रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 45] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, मार्च 1, 1973/फाल्गुन 10, 1894
No. 45] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 1, 1973/PHALGUNA 10, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATIONS

CUSTOMS

New Delhi, the 1st March 1973

G.S.R.74(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue or Department of Revenue and Insurance, as the case may be, namely:—

1. No. 18—Customs, dated the 1st March, 1961.
2. No. 36—Customs, dated the 23rd March, 1961.
3. No. 76—Customs, dated the 1st March, 1963.
4. No. 33—Customs, dated the 28th February, 1965.
5. No. 29.—Customs, dated the 1st March, 1968.
6. No. 30—Customs, dated the 1st March, 1968.
7. No. 49—Customs, dated the 9th May, 1970.
8. No. 76—Customs, dated the 12th August, 1970.
9. No. 2—Customs, dated the 16th January, 1971.
10. No. 54—Customs, dated the 29th May, 1971.
11. No. 99—Customs, dated the 13th December, 1971.

[No. 21/F. No. Bud (Cus)/73.]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचनाएं

सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1973

सा० का० नि० 74(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, यथास्थिति, राजस्व विभाग या राजस्व और बीमा विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को विखण्डित करती है, अर्थात् :—

1. सं० 18–सीमा–शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1961
2. सं० 36–सीमा-शुल्क, तारीख 23 मार्च, 1961
3. सं० 76–सीमा-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1963
4. सं० 33–सीमा-शुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1965
5. सं० 29–सीम-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1968
6. सं० 30–सीमा-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1968
7. सं० 49–सीमा-शुल्क, तारीख 9 मई, 1970
8. सं० 76–सीमा-शुल्क, तारीख 12 अगस्त, 1970
9. सं० 2–सीमा-शुल्क तारीख 16 जनवरी, 1971
10. सं० 54–सीमा-शुल्क, तारीख 29 मई, 1971
11. सं० 99–सीमा-शुल्क तारीख 13 दिसम्बर, 1971

[सं० 21-का०स० बजट (सी० शु)/73.]

G.S.R.75(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance, Revenue Division, Department of Revenue, Department of Revenue and Company Law or the Department of Revenue and Insurance, as the case may be specified in column (2) of the Table hereto annexed shall be further amended or amended, as the case may be, in the manner specified in column (3) of the said Table.

THE TABLE

Serial No.	Notification number and date	Amendment
(1)	(2)	(3)
1.	44—Customs, dated the 20th May, 1950.	In the Schedule annexed to the said notification, the entries in columns 2, 3 and 4 against Serial No. 10 shall be omitted.

(1)	(2)	(3)
2.	197—Customs, dated the 31st August, 1957	For the figures and words "30 per cent. *ad valorem*" and "20 per cent. *ad valorem*", the figures and words "40 per cent. *ad valorem*" and "30 per cent. *ad valorem*" shall, respectively, be substituted.
3.	308—Customs, dated the 21st December, 1957. 48—Customs, dated the 15th February, 1958. 143.—Customs, dated the 10th May, 1958. 150—Customs, dated the 10th May, 1958. 86.—Customs, dated the 20th August, 1960. 6—Customs, dated the 1st February, 1964. 9—Customs, dated the 8th February, 1964. 57—Customs, dated the 1st April, 1964 80—Customs, dated the 13th May, 1964. 13—Customs, dated the 8th January, 1966. 10—Customs, dated the 11th February, 1967. 46—Customs, dated the 3rd May, 1967. 80—Customs, dated the 21st May, 1968. 54—Customs, dated the 19th February, 1969. 65—Customs, dated the 26th February, 1969. 46—Customs, dated the 29th May, 1971. 48—Customs, dated the 29th May, 1971. 17—Customs, dated the 17th February, 1973.	In each of the said notifications, for the figures and words "30 per cent *ad valorem*", the figures and words "40 per cent. *ad valorem*" shall be substituted.
4.	86—Customs, dated the 26th June, 1962.	In the Schedule annexed to the said notification, Serial Nos. 6 and 7 and the entries relating thereto shall be omitted.
5.	71—Customs, dated the 28th April, 1964.	For the words "ten per cent. *ad valorem*", the figures and words "40 per cent. *ad valorem*" shall be substituted.
6.	117—Customs, dated the 20th August, 1965.	In the Table annexed to the said notification: (i) the entries in columns (2) and (3) against Serial Nos. 13, 30, 43, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83, 84, 85 and 92 shall be omitted; and (ii) the entries in columns (2), (3) and (4) against Serial Nos. 71, 91, 95, 96 and 97 shall be omitted.
7.	118—Customs, dated the 20th August, 1965.	In the Table annexed to the said notification, the entries in columns (2), (3) and (4) against Serial No. 13, and Serial No. 16 and the entries relating thereto shall be omitted.
8.	43—Customs, dated the 29th May, 1971.	In the Table annexed to the said notification, the entries in columns (2) and (3) against Serial Nos. 2 and 3 and Serial Nos. 40 to 62 (both inclusive) shall be omitted.

(1)	(2)	(3)
9.	44—Customs, dated the 29th May, 1971.	For the figures and words "30 per cent. *ad valorem*", the figures and words "60 per cent. *ad valorem*" shall be substituted.

[No. 22/F. No. Bud Cus)/73.]

सा० का० नि० 75(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के, यथास्थिति, राजस्व प्रभाग राजस्व विभाग, राजस्व और कम्पनी विधि विभाग या राजस्व और बीमा विभाग की इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट अधिसूचनाओं को, यथास्थिति, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट रीति से यथास्थिति, संशोधित या और आगे संशोधित की जाएगी ।

सारणी

क्रम संख्या	अधिसूचना संख्या और तारीख	संशोधन
1	2	3
1.	44—सीमा-शुल्क, तारीख 20 मई, 1950	उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में क्रम सं० 10 के सामने के स्तम्भ 2, 3 और 4 की प्रविष्टियां लुप्त कर दी जायेंगी ।
2.	197—सीमा-शुल्क, तारीख 31 अगस्त, 1957	"30 प्रतिशत मूल्यानुसार" और "20 प्रतिशत मूल्यानुसार" अंकों और शब्दों के स्थान पर क्रमशः "40 प्रतिशत मूल्यानुसार" और "30 प्रतिशत मुल्यानुसार" अंक और शब्द रखे जायेंगे ।
3.	308—सीमा-शुल्क, तारीख 21 दिसम्बर, 1957 48—सीमा-शुल्क तारीख 15 फरवरी, 1958 143—सीमा-शुल्क, तारीख 10 मई, 1958 150—सीमा-शुल्क, तारीख 10 मई, 1968 86—सीमा-शुल्क, तारीख 20 अगस्त, 1960	

1	2	3
	6–सीमा–शुल्क , तारीख 1 फरवरी, 1964 9–सीमा-शुल्क, तारीख 8 फरवरी, 1964 57–सीमा-शुल्क, तारीख 1 अप्रैल, 1964 80–सीमा-शुल्क, तारीख 13 मई, 1964 13–सीमा-शुल्क, तारीख 8 जनवरी, 1966 10–सीमा-शुल्क, तारीख 11 फरवरी, 1967 46–सीमा शुल्क, तारीख 3 मई, 1967 80–सीमा-शुल्क, तारीख 21 मई, 1968 54–सीमा-शुल्क, तारीख 19 फरवरी, 1969 65–सीमा-शुल्क, तारीख 26 फरवरी, 1969 46–सीमा-शुल्क, तारीख 29 मई, 1971 48–सीमा-शुल्क तारीख 29 मई, 1971 17–सीमा-शुल्क, तारीख 17 फरवरी, 1973	उक्त अधिसूचनाओं में से प्रत्येक में "30 प्रतिशत मूल्यानुसार" अंकों और शब्दों के स्थान पर "40 प्रतिशत मूल्यानुसार" अंक और शब्द रखे जायेंगे ।
4.	86–सीमा-शुल्क, तारीख 26 जून, 1962	उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में क्रम सं० 6 और 7 तथा उनसे सम्बन्धित प्रविष्टियां लुप्त कर दी जायेंगी ।
5.	71–सीमा-शुल्क, तारीख 28 अप्रैल, 1964	"दस प्रतिशत मूल्यानुसार" शब्दों के स्थान पर "40 प्रतिशत मूल्यानुसार" शब्द और अंक रखे जायेंगे ।
6.	117–सीमा-शुल्क तारीख 20 अगस्त, 1965	उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में :— (i) क्रम सं० 13, 30, 43, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83 84, 85, और 92 के सामने स्तम्भ 2 और 3 की प्रविष्टियां लुप्त कर दी जायेंगी और;

1	2	3
		(ii) क्रम सं० 71, 91, 95, 96 और 97 के सामने स्तम्भ (2) और (3) और (4) की प्रविष्टियां लुप्त कर दी जायगी ।
7.	118—सीमा-शुल्क तारीख 20 अगस्त, 1965	उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में क्रम सं० 13 और क्रम सं० 16 और उनसे सम्बन्धित स्तम्भ (2), (3) और (4) में की प्रविष्टियां लुप्त कर दी जायेंगी ।
8.	43—सीमा-शल्क, तारीख 29 मई, 1971	उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में क्रम सं० 2 और 3 के सामने सतम्भ (2) और (3) की प्रविष्टियां और क्रम सं० 40 से 62 (दोनों मिलाकर) लुप्त कर दी जायेंगी ।
9.	44—सीमा-शल्क, तारीख 29 मई, 1971	"30 प्रतिशत मूल्यानुसार" शब्दों और अंकों के स्थान पर "60 प्रतिशत मूल्यानुसार" अंश और शब्द रखे जायेंगे ।

[सं० 22—फा० सं० बजट (सी० शु०)/ 73]

G.S.R.76(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 to 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts tallow falling under Item No. 15(3) of the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), when imported into India, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule as is in excess of 30 per cent. *ad valorem*.

[No. 23/F. No. Bud(Cus)/73.]

सा० का० नि० 76(अ) :—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 15(3) के अन्तर्गत आने वाले टैलो पर, जब उनका प्रथम आयात किया जाये, उस पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क के, जो उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, उतने भाग से जितना 30 प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक है, छूट देती है ।

[सं० 23—फा० सं० बजट (सी० शु०)/73]

G.S.R.77(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts stainless steel strips falling under Item No. 63(20A) of the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), when imported into India, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule as is in excess of—

(i) 50 per cent. *ad valorem*, if manufactured in the United Kingdom; and

(ii) 60 per cent. *ad valorem*, in other cases.

[No. 24/F. No. Bud (Cus)/73.]

सा० का० नि० 77 (अ):—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 6(20क) के अन्तर्गत आने वाले अधिकारी इस्पात की पत्तियों, पर जब उसका भारत में आयात किया जाये उस पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क के, जो उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, उतना भाग से जितना—

(I) यदि यूनाइटेड किंगडम में अविनिर्मित है 50 प्रतिशत मूल्यानुसार ; और

(II) अन्य मामलों में 60 प्रतिशत मूल्यानुसार, । से अधिक है छूट देती है ।

[सं० 24-फा० सं० बजट (सी० शु०)/73]

G.S.R. 78(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-clause (4) of clause 25 of the Finance Bill, 1973 which clause, by virtue of the declaration made under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931(16 of 1931), has the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods specified in column (2) of the Table below, being goods mentioned in the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), from so much of the auxiliary duty of customs leviable thereon under sub-clause (1) of clause 25 of the said Finance Bill as is in excess the rate specified in column (3)of the said Table:

Provided that nothing contained in this notification shall affect the exemption granted under any other notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) for the time being in force, from the auxiliary duty of customs in respect of the goods referred to in this notification.

THE TABLE

Sl. No.	Description of goods	Rate of auxiliary duty of customs
(1)	(2)	(3)
1.	Goods in respect of which the rate of duty of customs specified in the said First Schedule read with any relevant notification of the Government of India for the time being in force, is 60 per cent. *ad valorem* or more but less than 100 per cent. *ad valorem.*	Ten per cent. of the value of the goods as determined in accordance with the provisions of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).
2.	Goods in respect of which the rate of duty of customs specified in the said First Schedule read with any relevant notification of the Government of India for the time being in force, is less than 60 per cent. *ad valorem* or nil.	Five per cent of the value of the goods as determined in accordance with the provisions of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).
3.	Goods in respect of which duty of customs specified in the said First Schedule read with any relevant notification of the Government of India for the time being in force, is— (i) at a specific rate; or (ii) at a specific rate or *ad valorem* rate, whichever is less or higher as the case may be; or	Five per cent. of the value of the goods as determined in accordance with the provisions of section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

(1)	(2)	(3)
	(iii) at a specific rate and *ad valorem* rate.	
4.	Crude petroleum falling under Item No. 27 (10) of the said First Schedule.	Rs. 9·50 per metric tonne.

Explanation: For the purposes of Sl. Nos. 1 and 2 in the above Table, the expression "the rate of duty of customs specified in the said First Schedule read with any relevant notification of the Government of India", in relation to any article liable to two or more different rates of duty, means that rate of duty which is the highest of those rates.

[No. 25/F. No. Bud (Cus)/73.]

सा० का० नि० 78(अ).—वित्त विधेयक, 1973 के खण्ड 25 के उपखण्ड (4), जो खण्ड करों का अनन्तिम संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट माल को, जो भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित माल है, पर उक्त वित्त विधेयक के खण्ड 25 के उपखण्ड (1) में उद्ग्रहणीय उतने सहायिकी सीमा-शुल्क से जितना उक्त सारणी के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट दर से अधिक है, छूट देती है ।

परन्तु इस अधिसूचना में की कोई भी बात, इस अधिसूचना में निर्दिष्ट माल की बाबत सीमा-शुल्क के सहायिकी शुल्क से भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिसूचना के अन्तर्गत दी गई छूट पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

सारणी

क्रम सं०	माल का विवरण	सहायिकी सीमा-शुल्क की दर
1	2	3
1.	ऐसे माल की जिनकी बाबत भारत सरकार के तत्समय प्रवृत्त किसी सुसंगत अधिसूचना के साथ पठित उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमा-शुल्क की दर 60 प्रतिशत मूल्यानुसार या उससे अधिक है किन्तु 100 प्रतिशत मूल्यानुसार से कम है ।	सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के उपबन्धों के अनुसार यथाअवधारित माल के मूल्य का दस प्रतिशत ।
2.	ऐसे माल जिनकी बाबत भारत सरकार के तत्समय प्रवृत्त किसी सुसंगत अधिसूचना के साथ पठित उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमा-शुल्क की दर 60 प्रतिशत मूल्यानुसार से कम है या कुछ नहीं है ।	सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के उपबन्धों के अनुसार यथाअवधारित माल के मूल्य का पांच प्रतिशत ।

1	2	3
3.	ऐसे माल जिनकी बाबत भारत सरकार के तत्समय प्रवृत्त किसी सुसंगत अधिसूचना के साथ पठित उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमा-शुल्क,- (i) विनिर्दिष्ट दर पर ; या (ii) विनिर्दिष्ट दर पर या मूल्यानुसार दर पर, यथास्थिति, जो भी कम या अधिक हो ; या (iii) विनिर्दिष्ट दर और मूल्यानुसार दर पर है ।	सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के उपबन्धों के अनुसार यथाअवधारित माल के मूल्य का पांच प्रतिशत ।
4.	उक्त प्रथम अनुसूची की मद सं० 27 (10) के अन्तर्गत आने वाला कच्चा पैट्रोलियम ।	9.50 प्रति मीटरी टन ।

स्पष्टीकरण.—ऊपर की सारणी की क्रम संख्या 1 और 2 के प्रयोजन के लिये "भारत सरकार की किसी सुसंगत अधिसूचना के साथ पठित उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमा-शुल्क की दर" अभिव्यक्ति से किसी ऐसी वस्तु के सम्बन्ध में जिस पर दो या दो से अधिक अलग अलग शुल्क की दरें लागू होती है, शुल्क की वह दर अभिप्रेत है जो उन दरों में सबसे अधिक है ।

[संख्या 25—फा० सं० बजट (सी० शु०)/73]

G.S.R. 79 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-clause (4) of clause 25 of the Finance Bill, 1973, which clause, by virtue of the declaration made under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), has the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods falling under Items Nos. 10, 10(1), 10(2), 15(3), 15(9), 27(4)(a), 27(5)(a), 27(6), 27(7)(b), 27(8), 44(5), 44(6), 45(1), 46(3), 47(8), 50(3) 62, 72, 72A(i) 72A(ii), 72(1), 72(2), 72(3), 72(8), 72(9), 72(13), 72(14)(a)(i), 72(14)(a)(ii), 72(14)(a)(iii), 72,(14)(b) 72(15), 72(16), 72(17), 72(18), 72(19), 72(20), 72(21), 72(22), 72(23), 72(24), 72(25), 72(34), 72(39) 72(40)(a), 72(40)(b), 75(18)(a), 75(18)(b)(i), 86(2), 86(3) and 86(4) of the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), from the payment of the auxiliary duty of customs leviable thereon under sub-clause(1) of clause 25 of the said Finance Bill.

[No. 26/F. No. Bud(Cus)/73].

सा० का० नि० 79 (अ).—वित्त विधेयक, 1973 के खण्ड 25 के उपखण्ड (4) जो खण्ड करों का अनन्तिम संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये केन्द्रीय सरकार यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है एतद्द्वारा, भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 10, 10(1), 10(2), 15(3), 15(9), 27(4)(क), 27(5)(क), 27(6) 27(7)(ख), 27(8), 44(5), 44(6), 45(1), 46(3), 47(8), 50(3), 62, 72, 72क (i) 72क(ii), 72(1), 72(2), 72(3), 72(8), 72(9), 72(13), 72 (14), (क) (i), 72 (14) (क)(ii), 72(14)(क) (iii),

72(14)(ख), 72(15), 72(16), 72(17), 72(18), 72(19), 72(20), 72(21), 72(22), 72(23), 72(24), 72(25), 72(34), 72(39), 72(40)(क), 72(40)(ख), 75(18)(क), 75(18)(ख) (i), 86(2), 86(3) और 86(4) के अन्तर्गत आने वाले माल को उक्त वित्त विधेयक के खण्ड 25 के उपखण्ड (1) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय सहायिकी सीमा-शुल्क की आदायगी से छूट देती है ।

[सं० 26-फा० सं० बजट (सी० शु) ०-73]

G.S.R. 80(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-clause(4) of clause 25 of the Finance Bill, 1973 which clause, by virtue of the declaration made under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), has the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts goods which are exempt from the duty of customs specified in the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934) by virtue of the notifications of the Government of India, in the Ministry of Finance, specified in the Schedule below, from payment of the auxiliary duty of customs leviable thereon under sub-clause (1) of clause 25 of the said Finance Bill.

THE SCHEDULE

1. No. 31—Customs, dated the 2nd April, 1949.
2. No. 2-Customs, dated the 10th January, 1953.
3. No. 43-Customs, dated the 6th June, 1953.
4. No. 12-Customs, dated the 25th February, 1963.
5. No. 75-Customs, dated the 31st July, 1954.
6. No. 136-Customs, dated the 30th November, 1956.
7. No. 3-Customs, dated the 8th January, 1957.
8. No. 113-Customs, dated the 16th May, 1957.
9. No. 220-Customs, dated the 12th October, 1957.
10. No. 65-Customs, dated the 22nd February, 1958.
11. No. 67-Customs dated the 22nd February, 1958.
12. No. 106-Customs, dated the 29th March, 1958.
13. No. 84-Customs, dated the 10th , May 1958.
14. No. 148-Customs dated the 10th May, 1958.
15. No. 151-Customs, dated the 10th May, 1958.
16. No. 259-Customs, dated the 11th October, 1958.
17. No. 260-Customs, dated the 11th October, 1958.
18. No. 261-Customs, dated the 11th October, 1958.
19. No. 262-Customs, dated the 11th October, 1958.
20. No. 269-Customs, dated the 25th October, 1958.
21. No. 271-Customs, dated the 25th October, 1958.
22. No. 273-Customs, dated the 25th October, 1958.
23. No. 275-Customs, dated the 25th October, 1958.
24. No. 276-Customs, dated the 25th October, 1958.
25. No. 84-Customs, dated the 13th August, 1960.
26. No. 132-Customs, dated the 9th December, 1961.
27. No. 26-Customs, dated the 19th February, 1962.
28. No. 46-Customs, dated the 21st April, 1962.
29. No. 116-Customs, dated the 1st September, 1962.
30. No. 136-Customs, dated the 29th September, 1962.
31. No. 168-Customs, dated the 8th November, 1962.
32. No. 169-Customs, dated the 8th November, 1962.
33. No. 170-Customs dated the 8th November, 1962.
34. No. 43-Customs, dated the 1st February, 1963.
35. No. 92-Customs, dated the 9th March, 1963.

36. No. 93-Customs, dated the 27th April, 1963.
37. No. 180-Customs, dated the 20th July, 1963.
38. No. 210-Customs, dated the 7th September, 1963.
39. No. 67-Customs, dated the 30th April, 1966.
40. No. 93-Customs, dated the 4th June, 1966.
41. No. 135-Customs, dated the 20th June, 1966.
42. No. 174-Customs, dated the 24th September, 1966.
43. No. 181-Customs, dated the 1st October, 1966.
44. No. 23-Customs, dated the 1st April, 1967.
45. No. 85-Customs, dated the 5th August, 1967.
46. No. 101-Customs, dated the 21st October, 1967.
47. No. 114-Customs dated, the 25th November, 1967.
48. No. 51-Customs, dated the 26th March, 1968.
49 No. 154-Customs, dated the 9th November, 1968.
50. No. 31-Customs, dated the 8th February, 1969.
51. No. 38-Customs, dated the 12th April, 1969.
52. No. 98-Customs, dated the 21st June, 1969.
53. No. 107-Customs, dated the 19th July, 1969.
54. No. 109-Customs, dated the 26th July, 1969.
55. No. 10-Customs, dated the 7th March, 1970.
56. No. 48-Customs, dated the 16th May, 1970.
57. No. 71-Customs, dated the 1st August, 1970.
58 No. 80-Customs, dated the 29th August, 1970.
59. No. 103-Customs, dated the 5th December, 1970.
60. No. 6-Customs, dated the 1st January, 1971.
61. No. 32-Customs, dated the 31st March, 1971.
62. No. 36-Customs, dated the 1st May, 1971.
63. No. 39-Customs, dated the 22nd May, 1971.
64. No. 40-Customs, dated the 22nd May, 1971.
65. No. 62-Customs, dated the 22nd June, 1971.
66. No. 66-Customs, dated the 31st July, 1971.
67. No. 84-Customs, dated the 11th September, 1971.
68. No. 89-Customs, dated the 30th October, 1971.
69. No. 52-Customs, datd the 6th April, 1972.
70. No. 64-Customs, dated the 13th May, 1972.
71. No. 79-Customs, dated the 10th June, 1972.
72. No. 81-Customs, dated the 10th June, 1972.
73. No. 86.-Customs, dated the 24th June, 1972.
74. No. 97-Customs, dated the 19th August, 1972.
75. No. 102-Customs, dated the 19th August, 1972.
76. No. 110-Customs, dated the 23rd September, 1972.
77. No. 127-Customs, dated the 28th November, 1972.
78. No. 11-Customs, dated the 3rd February, 1972.

[No. 27/F. No, Bud.(Cus)/73.]

सा० का० नि० 80(अ).—वित्त विधेयक, 1973 के खण्ड 25 के उपखण्ड (4), जो खण्ड करों का अनन्तिम संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है ऐसे माल पर, जिसको भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमा-शुल्क से, नीचे की अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की अधिसूचनाओं के आधार पर छूट प्राप्त है उक्त वित्त विधेयक के खण्ड 25 के उपखण्ड (1) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सहायिकी सीमा-शुल्क की अदायगी से छूट देती है ।

अनुसूची

1. सं० 31—सीमा-शुल्क, तारीख 2 अप्रैल, 1949
2. सं० 2—सीमा-शुल्क, तारीख 10 जनवरी, 1953
3. सं० 43—सीमा-शुल्क, तारीख 6 जून, 1953
4. सं० 12—सीमा-शुल्क, तारीख 25 फरवरी, 1953
5. सं० 75—सीमा-शुल्क, तारीख 31 जुलाई, 1954
6. सं० 136—सीमा-शुल्क, तारीख 30 नवम्बर, 1956
7. सं० 3—सीमा-शुल्क, तारीख 8 जनवरी, 1957
8. सं० 113—सीमा-शुल्क तारीख 16 मई, 1957
9. सं० 220—सीमा-शुल्क, तारीख 12 अक्तूबर, 1957
10. सं० 65—सीमा-शुल्क, तारीख 22 फरवरी, 1958
11. सं० 67—सीमा-शुल्क, तारीख 22 फरवरी, 1958
12. सं० 106 सीमा-शुल्क तारीख 29 मार्च, 1958
13. सं० 145—सीमा-शुल्क, तारीख 10 मई, 1958
14. सं० 148—सीमा-शुल्क, तारीख 10 मई, 1958
15. सं० 151—सीमा-शुल्क, तारीख 10 मई, 1958
16. सं० 259—सीमा-शुल्क, तारीख 11 अक्तूबर, 1958
17. सं० 260—सीमा-शुल्क, तारीख 11 अक्तूबर, 1958
18. सं० 261—सीमा-शुल्क, तारीख 11 अक्तूबर, 1958
19. सं० 262—सीमा-शुल्क, तारीख 11 अक्तूबर, 1958
20. सं० 269—सीमा-शुल्क, तारीख 25 अक्तूबर, 1958
21. सं० 271—सीमा-शुल्क, तारीख 25 अक्तूबर, 1958
22. सं० 273—सीमा-शुल्क, तारीख 25 अक्तूबर, 1958
23. सं० 275—सीमा-शुल्क, तारीख 25 अक्तूबर, 1958
24. सं० 276—सीमा-शुल्क, तारीख 25 अक्तूबर, 1958

25. सं० 84—सीमा-शुल्क, तारीख 13 अगस्त, 1960
26. सं० 132—सीमा-शुल्क, तारीख 9 दिसम्बर, 1961
27. सं० 26—सीमा-शुल्क, तारीख 19 फरवरी, 1962
28. सं० 46—सीमा-शुल्क, तारीख 21 अप्रैल, 1962
29. सं० 116—सीमा-शुल्क, तारीख 1 सितम्बर, 1962
30. सं० 136—सीमा-शुल्क, तारीख 29 सितम्बर 1962
31. सं० 168—सीमा-शुल्क, तारीख 8 नवम्बर, 1962
32. सं० 169—सीमा-शुल्क, तारीख 8 नवम्बर, 1962
33. सं० 170—सीमा-शुल्क, तारीख 8 नवम्बर, 1962
34. सं० 43—सीमा-शुल्क, तारीख 1 फरवरी, 1963
35. सं० 92—सीमा-शुल्क, तारीख 9 मार्च, 1963
36. सं० 93—सीमा-शुल्क, तारीख 27 अप्रैल, 1963
37. सं० 180—सीमा-शुल्क, तारीख 20 जुलाई, 1963
38. सं० 210—सीमा-शुल्क, तारीख 7 सितम्बर, 1963
39. सं० 67—सीमा-शुल्क, तारीख 30 अप्रैल, 1966
40. सं० 93—सीमा-शुल्क, तारीख 4 जून, 1966
41. सं० 135—सीमा-शुल्क, तारीख 20 जून, 1966
42. सं० 174—सीमा-शुल्क, तारीख 24 सितम्बर, 1966
43. सं० 181—सीमा-शुल्क, तारीख 1 अक्तूबर, 1966
44. सं० 23—सीमा-शुल्क, तारीख 1 अप्रैल, 1967
45. सं० 85—सीमा-शुल्क, तारीख 5 अगस्त, 1967
46. सं० 101—सीमा-शुल्क, तारीख 21 अक्तूबर, 1967
47. सं० 114—सीमा-शुल्क, तारीख 25 नवम्बर, 1967
48. सं० 51—सीमा-शुल्क, तारीख 26 मार्च, 1968
49. सं० 154—सीमा-शुल्क, तारीख 9 नवम्बर, 1968
50. सं० 31—सीमा-शुल्क, तारीख 8 फरवरी, 1969
51. सं० 38—सीमा-शुल्क, तारीख 12 अप्रैल, 1969
52. सं० 98—सीमा-शुल्क, तारीख 21 जून, 1969
53. सं० 107—सीमा-शुल्क, तारीख 19 जुलाई, 1969
54. सं० 109—सीमा-शुल्क, तारीख 26 जुलाई, 1969
55. सं० 10—सीमा-शुल्क, तारीख 7 मार्च, 1970
56. सं० 48—सीमा-शुल्क, तारीख 16 मई, 1970
57. सं० 71—सीमा-शुल्क, तारीख 1 अगस्त, 1970

58. सं० 80—सीमा-शुल्क, तारीख 29 अगस्त, 1970

59. सं० 103—सीमा-शुल्क, तारीख 5 दिसम्बर, 1970

60. सं० 6—सीमा-शुल्क, तारीख 1 जनवरी, 1971

61. सं० 32—सीमा-शुल्क, तारीख 31 मार्च, 1971

62. सं० 36—सीमा-शुल्क, तारीख 1 मई, 1971

63. सं० 39—सीमा-शुल्क, तारीख 22 मई, 1971

64. सं० 40—सीमा-शुल्क, तारीख 22 मई, 1971

65. सं० 62—सीमा-शुल्क, तारीख 22 जून, 1971

66. सं० 66—सीमा-शुल्क, तारीख 31 जुलाई, 1971

67. सं० 84—सीमा-शुल्क, तारीख 11 सितम्बर, 1971

68. सं० 89—सीमा-शुल्क, तारीख 30 अक्तूबर, 1971

69. सं० 52—सीमा-शुल्क, तारीख 6 अप्रैल, 1972

70. सं० 64—सीमा-शुल्क, तारीख 13 मई, 1972

71. सं० 79—सीमा-शुल्क, तारीख 10 जून, 1972

72. सं० 81—सीमा-शुल्क, तारीख 10 जून, 1972

73. सं० 86—सीमा-शुल्क, तारीख 24 जून, 1972

74. सं० 97—सीमा-शुल्क, तारीख 19 अगस्त, 1972

75. सं० 102—सीमा-शुल्क, तारीख 19 अगस्त, 1972

76. सं० 110—सीमा-शुल्क, तारीख 23 सितम्बर, 1972

77. सं० 127—सीमा-शुल्क, तारीख 28 नवम्बर, 1972

78. सं० 11—सीमा-शुल्क, तारीख 3 फरवरी, 1973

[सं० 27—फा० सं०-बजट (सी०शु०)/73]

G.S.R.81(E) .—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-clause (4) of clause 25 of the Finance Bill, 1973 which clause, by virtue of the declaration made under the Provisional Collection of Taxes, Act 1931 (16 of 1931), has the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts goods which are exempt from a part of the duty of customs specified in the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934) by virtue of the notifications of the Government of India, in the Ministry of Finance, specified in the Schedule below, from payment of the auxiliary duty of customs leviable on such goods under sub-clause (1) of clause 25 of the said Finance Bill.

THE SCHEDULE

1. No. 197-Customs, dated the 31st August, 1957.
2. No. 308-Customs, dated the 21st December, 1957.
3. No. 48-Customs, dated the 15th February, 1958.
4. No. 143-Customs, dated the 10th May, 1958.
5. No. 150-Customs, dated the 10th May, 1958.
6. No. 86-Customs, dated the 20th August, 1960.
7. No. 6-Customs, dated the 1st February, 1964.

8. No. 9-Customs, dated the 8th February, 1964.
9. No. 57-Customs, dated the 1st April, 1964.
10. No. 71-Customs, dated the 28th April, 1964.
11. No. 80-Customs, dated the 13th May, 1964.
12. No. 13-Customs, dated the 8th January, 1966.
13. No. 10-Customs, dated the 11th February, 1967.
14. No. 46-Customs, dated the 3rd May, 1967.
15. No. 80-Customs, dated the 21st May, 1968.
16. No. 54-Customs, dated the 19th February, 1969.
17. No. 65-Customs, dated the 26th February, 1969.
18. No. 46-Customs, dated the 29th May, 1971.
19. No. 48-Customs, dated the 29th May, 1971.
20. No. 17-Customs, dated the 17th February, 1973.

[No. 28/F. No. Bud(Cus)/73.]

सा०का०नि० 81(अ).—वित्त विधेयक, 1973 के खण्ड 25 के उपखंड (4), जो खंड करों का अन्तिम संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है ऐसे माल को जिसे भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सीमा-शुल्क के भाग से भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की अधिसूचनाओं के आधार पर छूट प्राप्त है उक्त वित्त विधेयक के खंड 25 के उपखंड (i) के अधीन ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय सहायिकी सीमा-शुल्क की अदायगी से छूट देती है ।

अनुसूची

1. सं० 197—सीमा शुल्क, तारीख 31 अगस्त, 1957
2. सं० 308—सीमा-शुल्क, तारीख 21 दिसम्बर, 1957
3. सं० 48—सीमा-शुल्क, तारीख 15 फरवरी, 1958
4. सं० 143—सीमा-शुल्क, तारीख 10 मई, 1958
5. सं० 150—सीमा-शुल्क, तारीख 10 मई, 1958
6. सं० 86—सीमा-शुल्क, तारीख 20 अगस्त, 1960
7. सं० 6—सीमा—शुल्क, तारीख 1 फरवरी, 1964
8. सं० 9—सीमा-शुल्क, तारीख 8 फरवरी, 1964
9. सं० 57—सीमा-शुल्क, तारीख 1 अप्रैल, 1964
10. सं० 71—सीमा-शुल्क तारीख 28 अप्रैल, 1964
11. सं० 80—सीमा-शुल्क तारीख, 13 मई, 1964
12. सं० 13—सीमा—शुल्क, तारीख 8 जनवरी, 1966
13. सं० 10—सीमा-शुल्क, तारीख 11 फरवरी, 1967
14. सं० 46—सीमा-शुल्क, तारीख 3 मई, 1967

15. सं० 80—सीमा-शुल्क, तारीख 21 मई, 1968

16. सं० 54—सीमा-शुल्क, तारीख 19 फरवरी, 1969

17. सं० 65—सीमा-शुल्क, तारीख 26 फरवरी, 1969

18. सं० 46—सीमा-शुल्क, तारीख 28 मई, 1971

19. सं० 48—सीमा-शुल्क, तारीख 29 मई, 1971

20. सं० 17—सीमा-शुल्क, तारीख 17 फरवरी, 1973

[सं० 28—फा० सं० बजट (सी० शु०)/73]

G.S.R. 82(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-clause (4) of clause 25 of the Finance Bill, 1973 which clause , by virtue of the declaration made under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931) , has the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts sheep falling under Item No. 1 of the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), when imported into India for the purpose of breeding only, from the whole of the auxiliary duty of customs levilable thereon under sub-clause (1) of clause 25 of the said Finance Bill.

[No. 29/F. No. Bud (Cus)/73.]

सा० का० नि०82(अ).—वित्त विधेयक, 1973 के खंड 25 के उपखंड (4) जो खंड करों का अनन्तिम संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 1 के अन्तर्गत आने वाली भेड़ें जब वे भारत में सिर्फ नस्ल सुधार के प्रयोजन के लिए आयात की जायें, उक्त वित्त विधेयक के खंड 25 के उपखंड (1) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त सहायिकी सीमा-शुल्क से छूट देती है ।

[सं० 29—फा० सं० बजट (सी० शु०)/73]

G.S.R. 83 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-clause (4) of clause 25 of the Finance Bill, 1973 which clause, by virtue of the declaration made under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), has the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts raw cashewnuts falling under Item No. 8 of the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), when imported into India, from the whole of the auxiliary duty of customs leviable thereon under sub-clause (1) of clause 25 of the said Finance Bill, subject to the following conditions, namely:—

(i) that the importer makes a declaration at the time of import that the raw cashewnuts are being imported for processing and re-export;

(ii) that the raw cashewnuts are re-exported in the form of cashew kernels within six months of the date of importation or within such extended period not exceeding one year , as the Collector of Customs may allow; and

(iii) that the weight of cashew kernels exported is not less than 25 per cent. of the weight of raw cashewnuts imported, or where it is proved to the satisfaction of the Collector of Customs concerned that the kernels were obtained only from imported raw cashewnuts, such lower percentage of the weight of the raw cashewnuts imported, as the Collector of Customs may in each case determine:

Provided that the importer executes a bond, with such surety or sufficient security as the Collector of Customs approves, undertaking—

(a) to re-export the raw cashewnuts after processing within six months of the date of importation or within such extended period not exceeding one year, as the Collector of Customs may allow;

(b) to produce the cashew kernels before the Collector of Customs prior to re-export; and

(c) to pay the auxiliary duty of customs, if the re-export does not take place within the period specified in condition (ii).

[No. 30/F. No. Bud (Cus)/73.]

सा० का० नि० 83 अ.—वित्त विधेयक, 1973 के खंड 25 के उपखंड (4) जो खंड करों का अनन्तिम संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 8 के अन्तर्गत आने वाले कच्चे काजू, भारत में आयात किए जाने, पर उक्त वित्त विधेयक, के खंड 25 के उपखंड (1) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त सहायिकी सीमा-शुल्क से निम्नलिखित शर्तों के अधीन छूट देती है, अर्थात् :—

(i) आयातकर्ता आयात करते समय यह घोषणा करे कि कच्चे काजू का आयात प्रसंस्करण और पुन : निर्यात करने के लिए किया जा रहा है ;

(ii) कि कच्चे काजू का पुन : निर्यात, आयात करने की तारीख से छह मास के भीतर या बढ़ाई गई ऐसी अवधि के भीतर जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी जिसे सीमा-शुल्क कलक्टर नियत करे, काजू की गिरी के रूप में किया जाता हो; और

(iii) कि निर्यातित काजू की गिरी का भार आयात किए गए कच्चे काजू का 25 प्रतिशत से कम न हो या जहां सीमा-शुल्क कलक्टर के समाधानप्रद्रूप में यह साबित हो गया है कि गिरी केवल आयातित कच्चे काजू से ही प्राप्त की गई थी, वहां, आयातित कच्चे काजू के भार की ऐसी कम प्रतिशतता जिसे कि सीमा-शुल्क कलक्टर प्रत्येक मामले में अवधारित करे हो सकती है ।

परन्तु यह कि आयातकर्ता ऐसे प्रतिभू या पर्याप्त प्रतिभूति के साथ जिसे सीमा-शुल्क कलक्टर अनुमोदित करे यह बचनबद्ध करते हुए बन्ध-पत्र निष्पादित करे, कि

(क) कच्चे काजू का पुन : निर्यात आयात करने की तारीख से छह मास के भीतर या बढ़ाई गई ऐसी अवधि के भीतर जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी, जिसे सीमा-शुल्क कलक्टर अनुज्ञात करे, प्रसंस्करण के पश्चात् करेगा,

(ख) वह काजू की गिरी को पुन: निर्यात करने से पहले सीमा-शुल्क कलक्टर के समक्ष पेश करेगा ; और

(ग) यदि शर्त (ii) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पुन : निर्यात नहीं किया जाता है तो सहायिकी सीमाशुल्क देगा ।

[सं० 30—फा० सं० बजट (सी०शु०)/73]

G.S.R. 84 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-clause (4) of clause 25 of the Finance Bill, 1973 which clause, by virtue of the declaration made under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), has the force of law, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts medicinal and other contraceptives falling under Items Nos. 28, 28A, 39(1) or 87 of the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), from the whole of the auxiliary duty of customs leviable thereon under sub-clause (1) of clause 25 of the said Finance Bill.

[No. 31/F. No. Bud (Cus)/73.]

सा०का०नि० 84 अ.—वित्त विधेयक, 1973 के खंड 25 के उपखंड (4), जो खण्ड, करों का अनन्तिम संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 28,28क, 39(1) या 87 के अन्तर्गत आने वाले औषधीय तथा अन्य गर्भ निरोधकों को उक्त वित्त विधेयक के खंड 25 के उपखंड (1) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त सहायिकी सीमा-शुल्क से छूट देती है ।

[सं० 31—फा० सं० बजट (सी० शु०)/73]

G.S.R. 85 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-clause (4) of clause 25 of the Finance Bill, 1973 which clause, by virtue of the declaration made under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), has the force of law, the Centeral Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts palm oil falling under Item No. 15 (6) of the first Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), when imported into India for use in the manufacture of vanaspati, from so much of the auxilary duty of customs leviable thereon, under sub-clause (1) of clause 25 of the said Finance Bill as is in excess of 5 percent of the value as determine in accordance with the provisions of section 14 of the first mentioned Act.

[No. 32/F. No. Bud(Cus)/73.]

सा०का०नि० 85 अ.—वित्त विधेयक 1973 के खंड 25 के उपखंड (4), जो खण्ड, 1 करों का अनन्तिम संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारतीय टैरिफ अधिनियम 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 15(6) के अन्तर्गत आने वाले ताड़ के तेल को, जब उसका वनस्पति के उत्पादन में प्रयोग किए जाने के लिए भारत में आयात किया जाए, उक्त वित्त विधेयक के खंड 25 के उपखंड (1) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उतने सहायिकी सीमा-शुल्क से जितना प्रथम वर्णित अधिनियम की धारा 14 के उपबंधों के अनुसार अवधारित मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक है पर, छूट देती है।

[सं० 32—फा० सं० बजट (सी०शु०) 73]

G.S.R. 86 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-clause (4) of clause 25 of the Finance Bill, 1973 which clause by virtue of the declaration made under the provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), has the force of law, the Centeral Government, being satisfied that it is necessary in the public intrest so to do, hereby exempts cinematograph films, exposed, falling under Items No. 29(1) of the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), when imported into India, from so much of the auxiliary duty of customs leviable therein under sub-clause (1) of clause 25 of the said Finance Bill as is in excess of 5 per cent. of the value of the cinematograph films, exposed, calculated at the rate of Rs. 1.94 per linear metre.

[No. 33/F. No. Bud (Cus) /73.]

सा० का० नि० 86 अ.—वित्त विधेयक, 1973 के खंड 25 के उपखंड (4), जो खंड करों का अनन्तिम संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा यह समाधान हो

जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934(1934 का 32) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 29(1) के अन्तर्गत आने वाले एक्सपोज्ड सिनेमाटोग्राफ फिल्म्स, भारत में आयात किए जाने पर उक्त वित्त विधेयक के खंड 25 के उपखंड (1) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उतने सहायिकी सीमा-शुल्क के जितना प्रति लिनियर मीटर 194 रु० की दर से परिकलित एक्सपोज्ड सिनेमाटोग्राफ फिल्म्स के मूल्य पर 5 प्रतिशत से अधिक है पर छूट देती है ।

[सं० 33–फा० सं० बजट (सी०शु०)/73]

G.S.R. 87 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts goods specified in column (3) of the Table hereto annexed and falling under the items specified in column (2) of the said Table, of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the additional duty which is leviable thereon under section 2A of the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), when imported into India as is equal to the auxiliary duty of excise leviable on such goods under sub-clause (1) of clause 28 of the Finance Bill 1973, which clause, by virtue of the declaration made under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), has the force of law.

THE TABLE

Sl. No.	Item No. of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944.	Description
(1)	(2)	(3)
1.	26	Steel Ingots including steel melting scrap.
2.	26A . . .	Copper and copper alloys containing not less than fifty per cent by weight of copper.
3.	26AA . . .	Iron or steel products.
4.	26B; . . .	Zinc.
5.	27 . . .	Aluminium.
6.	28 . . .	Tinplate and tinned sheets includiing tin taggers, and cuttings of such plates, sheets or taggers.

[No. 34/F. No. Bud(Cus)/73.]

सा० का० नि० 87 (अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962(1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट माल को और जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम 1944(1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मदों के जो उक्त सारणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट हैं, उस पर भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की धारा 2 क के अधीन भारत में आयात किए जाने पर, उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क के उतने भाग से जितना कि ऐसे माल पर वित्त विधेयक, 1973 के खंड 28 के उपखंड (1), जो खंड करों का अनन्तिम अवग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के अधीन उद्ग्रहणीय सहायिकी उत्पाद-शुल्क के बराबर हो, छूट देती है ।

सारणी

क्रम सं०	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद संख्या	विवरण
1	2	3
1.	26	इस्पात की सिल्लियां जिसके अन्तर्गत इस्पात पिघलन रद्दी है
2.	26क	तांबा, और भार के अनुसार पचास प्रतिशत से अन्यून तांबा, अन्तर्विष्ट करने वाला मिश्र तांबा ।
3.	26कक	लोहे या इस्पात के उत्पाद
4.	26ख	जस्ता
5.	27	अलुमिनियम
6.	28	टीन की प्लेटें और टीन की चादरें, जिसके अन्तर्गत टीन की पतली चादरें और ऐसी प्लेटों, चादरों या पतली चादरों की कतरनें भी हैं ।

[सं० 34/फा० सं० बजट(सी० शु०)/73]

G.S.R. 88 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 62 of the Finance Act, 1972 (16 of 1972), the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 72-Customs, dated the 28th May, 1972

[No. 35/F. No. Bud(Cus)/73.]

सा० का० नि० 88 (अ).—वित्त अधिनियम, 1972 (1972 का 16) की धारा 62 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 72–सीमा-शुल्क, तारीख 28 मई, 1972 को विखण्डित करती है ।

[सं० 35/फा० सं० बजट(सी०शु०)/73]

G.S.R. 89(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 62 of the Finance Act, 1972 (15 of 1972), the Central Government hereby rescinds the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), namely:—

1. No. 73-Customs, dated the 28th May, 1972.
2. No. 74-Customs, dated the 28th May, 1972.
3. No. 75-Customs, dated the 28th May, 1972
4. No. 83-Customs, dated the 10th June, 1972 ;
5. No. 122-Customs, dated the 28th October, 1972
6. No. 130-Customs, dared the 30th December, 1972.

[No. 36 /F. No. Bud(Cus)/73.]
B. N. SHARMA, Under Secy.

सा०का०नि० 68 (अ).—वित्त अधिनियम, 1972 (1972 का 16) की धारा 62 की उपधारा (4) के साथ पठित सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को विखण्डित करती है, अर्थात् :—

1. सं० 73—सीमा-शुल्क, तारीख 28 मई, 1972
2. सं० 74—सीमा-शुल्क, तारीख 28 मई, 1972
3. सं० 75—सीमा-शुल्क, तारीख 28 मई, 1972
4. सं० 83—सीमा-शुल्क, तारीख 10 जून, 1972
5. सं० 122—सीमा-शुल्क, तारीख 28 अक्टूबर, 1972
6. सं० 130—सीमा-शुल्क, तारीख 30 दिसम्बर, 1972।

[सं० 36—फा० सं० बजट (सी०शु०)/73]
बी० एन० शर्मा, अवर सचिव।

(Department of Revenue and Insurance)

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 1st March, 1973

G.S.R. 90 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule(1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby directs that the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance, Revenue Division, Department of Revenue, Department of Revenue and Company Law, or Department of Revenue and Insurance, as the case may be, specified in column (2) of the Table hereto annexed shall be amended or further amended, as the case may be, in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

THE TABLE

Sl. No.	Notification No. and date	Amendment
1	2	3
1.	23-Central Excises, dated the 29th April, 1955.	In the said notification, the entry against item No. (3) shall be omitted.
2.	35/62-Central Excises, dated the 24th April, 1962.	In the said notification, in the second proviso, after the words "perfumed hair-oils", the words " and shaving creams " shall be inserted.

1	2	3
3.	28/64-Central Excises, dated the 1st March, 1964.	In the said notification, the words and figure " sub-item II of " shall be omitted.
4.	14A/66-Central Excises, dated the 26th February, 1966.	In the said notification, for the figures " 4·15 " the figures "25·00 " shall be substituted.
5.	81/66-Central Excises, dated the 21st May, 1966.	In the said notification, for the figures "227·50 " the figures " 225·60" shall be substituted.
6.	208/67-Central Excises, dated the 8th September, 1967.	In the said notification clause (*ii*) of the proviso shall be omitted and clause (*iii*) of the proviso shall be renumbered as clause (*ii*) thereof.
7.	217/67-Central Excises, dated the 23rd September, 1967.	In the said notification, for the figures "163·70", the figures "250·00" shall be substituted.
8.	71/68-Central Excises, dated the 1st April, 1968.	In the said notification, for the words " used for the resoling or retreading of tyres ", the words " used for resoling, retreading or repairing of tyres" shall be substituted.
9.	144/68-Central Excises, dated the 13th July, 1968.	In the said notification, the words and figure, "sub-item I of " shall be omitted.
10.	70/69-Central Excises, dated the 1st March, 1969.	In the said notification, the entry against item (*viii*) shall be omitted.
11.	80/69-Central Excises, dated the 1st March, 1969.	In the said notification, the entry against item 2 and the Explanation at the end shall be omitted.
12.	50/70-Central Excises, dated the 1st March, 1970.	In the said notification, for the words " fifty-three and one-third percent *ad valorem*", the words "fifty per cent *ad valorem*" shall be substituted.
13.	59/71-Central Excises, dated the 29th May, 1971.	In the Table annexed to the said notification, in column (3) against S. No. 2 for the words and figures " Rupees forty-five per kilolitre at 15 degrees Centrigrade thermometer ", the words and figures " Rupees four hundred and twenty-five per kilolitre at 15 degrees Centrigrade thermometer " shall be substituted.
14.	128/70-Central Excises, dated the 6th June, 1970.	In the opening portion of the said notification, for the words, figures and brackets " falling under sub-item I (1) of Item No. 19", the words "figures, brackets and letter "falling under sub-item I (1) and I (1A) of Item No. 19 " shall be substituted.
15.	99/71-Central Excises, dated the 29th May, 1971.	In the said notification, in the Schedule, after item 11, the following item shall be inserted, namely:— "12. Filter elements, inserts and cartridges".
16.	101/71-Central Excises, dated the 29th May, 1971. 153/71-Central Excises, dated the 26th July, 1971. 155/71-Central Excises, dated the 26th July, 1971.	In each of the said notifications, for the words " and tie rod ends ", the words "tie rod ends and filter elements, inserts and cartridges " shall be substituted.

1	2	3
17.	31/72-Cental Excises, dated the 17th March, 1972.	In the Table annexed to the said notification, in column (4) against Serial No 2, for the words "Thirty-four rupees and fifty paise", the words "Four rupees and forty paise" shall be substituted.
18.	35/72-Central Excises, dated the 17th March, 1972.	In the Table annexed to the said notification, the entries in columns (2), (3) and (4) against S. No. 1 shall be omitted.
19.	44/72-Central Excises, dated the 17th March, 1972.	In the Table annexed to the said notification, in column (2), against Sl. Nos. 1 and 2, for the figures and brackets "I(1)" and "I(2)", the brackets and figures "(1)" and "(2)" shall respectively be substituted.
20.	97/72-Central Excises, dated the 17th March, 1972.	In the said notification, for the words "and electric horns", the words "electric horns and filter elements, inserts and cartridges" shall be substituted.
21.	168/72-Central Excises, dated the 24th July, 1972.	In the Table annexed to the said notification, in column (2) against S. No. 6, for the words "synthetic staple fibre of cellulosic origin", the words "synthetic staple fibre of non-cellulosic origin" shall be substituted.
22.	208/72-Central Excises, dated the 14th October, 1972.	In the said notification, for the words "used for resoling or retreading of tyres" the words "used for resoling retreading or repairing of tyres", shall be substituted.

[No. 27/73.]

(राजस्व और बीमा विभाग)

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1973

सा० का० नि० 90(अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के, यथास्थिति, राजस्व प्रभाग, राजस्व विभाग, राजस्व और कंपनी विधि विभाग या राजस्व और बीमा विभाग, की अधिसूचनाओं को, जो इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट हैं, उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति से, यथास्थिति, संशोधित या और आगे संशोधित किया जाएगा ।

सारणी

क्रम सं०	अधिसूचना सं० और तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	23—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 29 अप्रैल, 1955 ।	उक्त अधिसूचना में मद सं० (3) के सामने की प्रविष्टि लुप्त कर दी जाएगी ।

(1)	(2)	(3)
2.	35/62—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 24 अप्रैल, 1962 ।	उक्त अधिसूचना में द्वितीय परन्तुक में "सुगन्धित केश तेल" शब्दों के पश्चात् "तथा शेविंग क्रीम" शब्द अन्तःस्थापित किये जाएंगे ।
3.	28/64—केन्द्रीय उत्पाद—शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1964 ।	उक्त अधिसूचना में "की उप-मद 11" शब्द और अंक लुप्त कर दिये जाएंगे ।
4.	14क/66—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 26 फरवरी, 1966 ।	उक्त अधिसूचना में "4.15" अंकों के स्थान पर "25.00" अंक रखे जाएंगे ।
5.	81/66—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 21 मई, 1966 ।	उक्त अधिसूचना में "227.50" अंकों के स्थान पर "225.60" अंक रखे जाएंगे ।
6.	208/67—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 8 सितम्बर, 1967 ।	उक्त अधिसूचना में परन्तुक के खण्ड (ii) को लुप्त कर दिया जाएगा और परन्तुक के खण्ड (iii) को उसके खण्ड (ii) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा ।
7.	217/67—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 23 सितम्बर, 1967 ।	उक्त अधिसूचना में "163.70" अंकों के स्थान पर "250.00 अंक रखे जाएंगे ।
8.	71/68—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 अप्रैल, 1968 ।	उक्त अधिसूचना में "टायरों को रिसोल या रिट्रीड करने के लिए प्रयुक्त" शब्दों के स्थान पर "टायरों के रिसोल रिट्रीड या मरम्मत के लिए प्रयुक्त" शब्द रखे जाएंगे ।
9.	144/68—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 13 जुलाई, 1968 ।	उक्त अधिसूचना में "की उप-मद I" शब्द और अंक लुप्त कर दिये जाएंगे ।
10.	70/69—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1969 ।	उक्त अधिसूचना में मद (viii) के सामने की प्रविष्टि लुप्त कर दी जाएगी ।
11.	80/69—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1969 ।	उक्त अधिसूचना में मद 2 के सामने की प्रविष्टि और अन्त में स्पष्टीकरण लुप्त कर दिया जाएगा ।
12.	50/70—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1970 ।	उक्त अधिसूचना में "तिरेपन और एक-तिहाई प्रतिशत मूल्यानुसार" शब्दों के स्थान पर "मूल्यानुसार 50 प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे ।

(1)	(2)	(3)
13.	59/71–केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 29 मई, 1971 ।	उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में स्तम्भ (3) में क्रम सं० 2 के सामने "15 डिग्री सेंटीग्रेड थर्मामीटर पर पैंतालीस रुपये प्रति किलोमीटर" शब्दों और अंकों के स्थान पर "15 डिग्री सेंटीग्रेड थर्मोमीटर पर चार-सौ पच्चीस रुपये प्रति किलोलीटर" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।
14.	128/70–केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क, तारीख 6 जून, 1970 ।	उक्त अधिसूचना के आरम्भ के अंश में "मद सं० 19 की उप-मद 1(i) के अन्तर्गत आने वाले" अंतर्गत आने वाले शब्द के स्थान पर "मद सं० 19 की उप-मद 1(i) और 1(ik) के अन्तर्गत आने वाले" शब्द, अंक, कोष्टक और अक्षर रखे जाएंगे ।
15.	99/71–केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क, तारीख 29 मई, 1971 ।	उक्त अधिसूचना में अनुसूची में मद 11 के पश्चात् निम्नलिखित मद अन्तःस्थापित की जाएगी अर्थात् :— "12. फिल्टर एलीमेंट्स, इन्सर्ट्स तथा कार्ट्रिजेज"
16.	101/71–केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क, तारीख 29 मई, 1971 । 153/71–केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 26 जुलाई, 1971 । 155/71–केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 26 जुलाई 1971 ।	उक्त अधिसूचनाओं में से प्रत्येक में "और टाइ रौड एन्ड्स" शब्दों के स्थान पर "टाइ रौड एन्ड्स और फिल्टर एलीमेन्ट्स इन्सर्ट्स तथा कार्ट्रिजेज" शब्द रखे जाएंगे ।
17.	31/72–केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क, तारीख 17 मार्च, 1972 ।	उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में स्तम्भ (4) में क्रम सं० 2 के सामने "चौंतीस रुपये और पचास पैसे" शब्दों के स्थान पर "चार रुपये और चालीस पैसे" शब्द रखे जाएंगे ।
18.	35/72–केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क, तारीख 17 मार्च 1972 ।	उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में स्तम्भ (2) (3) और (4) की क्रम सं० 1 के सामने की प्रविष्टियां लुप्त कर दी जाएंगी ।

(1)	(2)	(3)
19.	44/72—केन्द्रीय उत्पाद—शुल्क, तारीख 17 मार्च, 1972 ।	उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, स्तम्भ (2) में क्रम सं० 1 और 2 के सामने "1(1)" और "1(2)" अंक और कोष्ठकों के स्थान पर "(1)" और "(2)" अंक और कोष्ठक क्रमशः रखे जाएंगे ।
20.	97/72—केन्द्रीय उत्पाद—शुल्क, तारीख 17 मार्च, 1972 ।	उक्त अधिसूचना में "और बिजली के हार्न" शब्दों के स्थान पर "बिजली के हार्न और फिल्टर, एलिमेन्ट्स, इन्सर्ट्स और कार्ट्रिजेज शब्द रखे जाएंगे ।
21.	168/72—केन्द्रीय उत्पाद—शुल्क, तारीख 24 जुलाई, 1972 ।	उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में स्तम्भ (2) में क्रम सं० 6 के सामने "खलखोषी उद्भव का सश्लिष्ट रेशा काश्वर" शब्दों के स्थान पर "अम्बलूलोषी उद्भव का रेशा फाइबर" शब्द रखे जाएंगे ।
22.	208/72—केन्द्रीय उत्पाद—शुल्क, तारीख 14 अक्तूबर, 1972 ।	उक्त अधिसूचना में "टायरों को रिसोल या रिट्रीट करने के लिए प्रयुक्त" शब्दों के स्थान पर "टायरों के रिसोल रिट्रीट या मरम्मत के लिए प्रयुक्त" शब्द रखे जाएंगे ।

[सं० 27/73]

G.S.R. 91 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts instant coffee falling under sub-item (2) of Item No. 2 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of 17·5 per cent *ad valorem* plus the duty for the time being leviable under sub-item (1) of the said item on cured coffee used in the manufacture of such instant coffee, if not already paid.

[No. 28/73.]

सा० का० नि० 91(अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 2 की उप-मद (2) के अन्तर्गत आने वाली इंस्टेन्ट काफी को उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना 17.5 प्रतिशत मूल्यानुसार तथा ऐसी इन्स्टेन्ट काफी में प्रयुक्त संसाधित काफी पर उक्त मद की उप-मद (1) के अधीन, तत्समय उद्ग्रहणीय शुल्क, यदि वह पहले से ही न दे दिया गया हो, सम्मिलित है, से अधिक हो ।

[सं० 28/73]

G.S.R. 92(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby exempts unmanufactured tobacco if flue cured and used for the manufacture of smoking mixtures for pipes and cigarettes falling under sub-item II(2) of Item No. 4 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the additional duty of excise leviable thereon under the first mentioned Act, as is in excess of sixty paise per kilogram.

[No. 29/73]

सा०का०नि० 92(अ).—अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अवि-निर्मित तम्बाकू को, यदि दग्ध संसाधित हो और पाइपों और सिगरेटों के लिए धूम्रपान मिश्रण के विनिर्माण के लिए प्रयोग में लाया जाता हो और जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 4 की उप-मद (2) के अन्तर्गत आता हो, प्रथम वर्णित अधिनियम के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उतने अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना साठ पैसे प्रति किलोग्राम से अधिक हो।

[सं० 29/73]

G.S.R. 93(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts cigarettes of the description specified in column (1) of the Table hereto annexed and falling under sub-item II(2) of Item No. 4 of the First Schednule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty specified in the corresponding entry in column (2) thereof.

THE TABLE

Description	Duty
(1)	(2)
Cigarettes of which the value per one thousand—	
(*i*) does not exceed rupees ten . . .	seventy-five per cent. *ad valorem.*
(*ii*) exceeds rupees ten . . .	seventy-five per cent. *ad valorem plus* three per cent. *ad valorem* for every additional rupee or part thereof in excess of a value of rupees ten per one thousand.

[No. 30/73]

सा०का०नि० 93(अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट वर्णन की और, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 4 की उप-मद II (2) के अन्तर्गत आने वाली सिगरेटों को, उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना उसके स्तम्भ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक हो।

सारणी

वर्णन	शुल्क
(1)	(2)
ऐसी सिगरेटें जिन का मूल्य प्रति एक हजार—	
(i) दस रुपये से अधिक नहीं है	पचहत्तर प्रतिशत मूल्यानुसार ।
(ii) दस रुपये से अधिक है	पचहत्तर प्रतिशत मूल्यानुसार तथा प्रति एक हजार के लिए 10 रुपये के मूल्य से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त रुपये या उसके भाग के आधिक्य के लिए तीन प्रतिशत मूल्यानुसार जोड़कर ।

[सं० 30/73]

G.S.R. 94(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby exempts cigarettes of the description specified in column (1) of the Table hereto annexed and falling under sub-item II(2) of Item No. 4 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the additional duty of excise leviable thereon under the first mentioned Act, as is in excess of the duty specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table.

THE TABLE

Description	Duty
(1)	(2)
Cigarettes of which the value per one thousand—	
(*i*) does not exceed rupees ten . . .	Twenty-five per cent *ad valorem*
(*ii*) exceeds rupees ten . . .	Twenty-five per cent. *ad valorem* plus two per cent. *ad valorem* for every additional rupee or part thereof in excess of a value of rupees ten per one tousand.

[No. 31/73.]

सा०का०नि० 94(अ).—अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा इससे

उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट वर्णन की और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 4 की उप-मद (ii)(2) के अन्तर्गत आने वाली सिगरेटों को, प्रथम वर्णित अधिनियम के अधीन उन पर उदग्रहणीय उतने अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है, जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक है ।

सारणी

वर्णन	शुल्क
(1)	(2)
ऐसी सिगरेटें जिन का मूल्य प्रति एक हजार—	
(i) दस रुपये से अधिक नहीं है	पच्चीस प्रतिशत मूल्यानुसार ।
(ii) दस रुपये से अधिक है	पच्चीस प्रतिशत मूल्यानुसार तथा प्रति एक हजार के लिए दस रुपये के मूल्य से अधिक प्रत्येक अतिरिक्त रुपये या उसके भाग के आधिक्य के लिये दो प्रतिशत मूल्यानुसार जोड़कर ।

[सं० 31/73]

G.S.R. 95(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule(1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts smoking mixtures for pipes and cigarettes falling under sub-item II(4) of Item No. 4 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of one hundred and fifty per cent. *ad valorem.*

[No. 32/73]

सा० का० नि० 95(अ):— केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 4 की उप-मद (ii)(4) के अन्तर्गत आने वाले पाइपों और सिगरेटों के लिए धूम्रपान मिश्रणों को, उन पर उदग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना डेढ़-सौ प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक हो ।

[सं० 32/73]

G.S.R. 96(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby exempts smoking mixtures for pipes and cigarettes falling under sub-item II(4) of Item No. 4 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the additional duty of excise leviable thereon under the first mentioned Act, as is in excess of fifty per cent. *ad valorem.*

[No. 33/73.]

सा०का०नि० 96(अ).—अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 4 की उप-मद ii(4) के अन्तर्गत आने वाले पाइपों और सिगरेटों के लिए धूम्रपान मिश्रण को, प्रथम वर्णित अधिनियम के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उतने अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना पचास प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक हो।

[सं० 33/73]

G.S.R. 97(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts motor spirit known as benzene, ethyl benzene, benzol, toluene, toluol and light solvent naptha and falling under Item No. 6 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of Rs. 34·00 per kilo-litre at 15 degrees Centigrade thermometer:

Provided that —

(a) the Collector of Central Excise is satisfied that the said motor spirit is intended for use as solvent in the formulation of pesticidal solutions, sprays and suspensions; and

(b) where such use is elsewhere than in the factory of production, the exemption shall be allowable only if the procedure laid down in Chapter X of the said rules is followed.

[No. 34/73.]

सा०का०नि० 97(अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 6 के अन्तगत आने वाली बैन्जीन, ईथिल बैन्जीन, बैन्जोल, टोल्यूइन, टोल्यूओल और लाईट साल्वेन्ट नेप्था नामक मोटर स्प्रिट को उस पर उदग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से जितना 15 डिग्री सेंटीग्रेड थर्मामीटर पर 34.00 रुपये प्रति किलोमीटर से अधिक है, छूट देती है

परन्तु यह कि–

(क) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के कलैक्टर का यह समाधान हो जाए कि उक्त मोटर स्प्रीट का वैस्टीसाइडल सोल्यूशन, स्प्रेज और सस्पेंनज के बनाने में सोल्वेन्ट के रूप में प्रयोग किया जाना आशचित है ; और

(ख) जहां ऐसा प्रयोग निर्माण कारखाने के अलावा अन्य स्थान पर होना है, तो उक्त नियमों के अध्याय 10 में वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण किए जाने पर ही छूट अनुज्ञेय होगी।

[सं० 34/73]

G.S.R. 98(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts motor spirit known as benzene, ethyl benzene, benzol, toluene, toluol and light solvent naptha and falling under Item No. 6 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of Rs. 150.00 per kilo-litre at 15 degrees Centigrade thermometer:

Provided that—

(a) the Collector of Central Excise is satisfied that the said motor spirit is intended for use—

(i) as an entraining fluid in the production of dehydrated alcohol;

(ii) as solvent or diluent of thinner for the manufacture of paints, varnishes, lacquers and allied materials or for use in painting; for the manufacture of adhesives, rubber solutions, water-proofing compositions and similar products in the production of plastics; for degreasing or cleaning;

(iii) as solvent for the extraction of alkaloids or other active principles from plant and animal products;

(iv) for chemical conversion into chemicals, drugs, dyes, explosives or synthetic rubbers or for intermediates thereof;

(v) as a preservative for compositions used in sizing textiles;

(vi) as solvent, thinner or diluent for the extraction, isolation or purification of articles of the nature of drugs, chemicals, perfumery chemicals and concentrates, dyes, synthetic resins, explosives produced in synthetic, partly synthetic or other chemical processes of manufacturing them;

(vii) as a medium and hydrogen-acceptor in the manufacture of camphor; or

(viii) as a dewaxing solvent in the process of purification of feed stock for the manufacture of lubricating oils; and

(b) where such use is elsewhere than in the factory of production, the exemption shall be allowable only if the procedure laid down in Chapter X of the said rules is followed.

[No. 35/73.]

सा०का०नि० 98(अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 6 के अन्तर्गत आने वाली बैन्जीन, ईथिल बेंजीन, बैन्जोल टोल्यूइन, टोल्यऔल और लाइट सालवेन्ट नेप्था नामक मोटर स्प्रिट को उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से जितना 15 डिग्री सेंटीग्रेड थर्मामीटर पर 150.00 पये प्रति किलो लिटर से अधिक है, छूट देती है :

परन्तु यह कि—

(क) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के कलैक्टर का यह समाधान हो जाय कि उक्त मोटर स्प्रिट का निम्नलिखित के रूप में प्रयोग आशयित है,—

(i) निर्जलित एल्कोहल के उत्पादन में एन्ट्रेनिंग तरल;

(ii) पेन्ट्स, वार्निशें, प्रलाक्षा तथा सम्बद्ध सामग्री के उत्पादन में निर्जलित या तनू कारक या पतला करने के या पेन्टिंग के प्रयोग में; प्लास्टिक के उत्पादन में आसंजक, रबड़, घोल लरोधी सिश्रण और ऐसे ही उत्पाद के उत्पादन के लिए; अचीकट या सफाई के लिए ;

(iii) वनस्पति और जान्तव उत्पाद से अल्कालौयड्स या अन्य सक्रिय अवयव निकालने के लिए विलायक;

(iv) रसायन, औषधि, रंजक, विस्फोटक या संश्लिष्ट रबड़ या उसके मध्यक में रासायनिक परिवर्तन के लिए ;

(v) माढ़-कपड़ा में प्रयुक्त मिश्रण के लिए रक्षक;

(vi) औषधि, रसायन, सुगंधित रसायन और सांद्रित, रंजक, संश्लिष्ट रेजिन, संश्लिष्ट में उत्पादित विस्फोटक, भागत : संश्लिष्ट या उनके उत्पादन में अन्य रसायनप्रक्रिया की जैसी वस्तुओं के खींचने, अलग करने या शुद्धीकरण के लिए विलायक, पतला करने या तनुकारक के रूप में;

(vii) कागज के उत्पादन में माध्यम और हाइड्रोजनगृहीता के रूप में;

(viii) स्नेहक तेल के उत्पादन के लिए फीड-स्टौक के शुद्धीकरण की प्रक्रिया में और अमोनी घोलक के रूप में; और

(ख) जहां ऐसा प्रयोग निर्माण कारखाने के अलावा अन्य स्थान पर होना है, तो उक्त नियमों के अध्याय 10 में वर्णित प्रक्रिया का अनुसरण किए जाने पर ही छूट अनज्ञेय होगी ।

[सं० 35/73]

G.S.R. 99(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts blended or compounded lubricating oils and greases manufactured—

(i) wholly out of imported base mineral oils; or

(ii) wholly or partly out of indigenous base mineral oils,

and falling under Item No. 11B of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of fifteen per cent *ad valorem*.

Provided that a manufacturer availing of the benefit of the exemption under this notification shall not be permitted in respect of such blended or compounded lubricating oils and greases to avail of the special procedure prescribed under rule 56-A of the aforesaid rules and shall also not be eligible to utilise the credit standing in the Entry book of proforma credit in form R.G.-23 Part-II prescribed under the said rule.

[No. 36/73.]

सा० का० नि० 99(अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा—

(i) पूर्णतया आयातित आधार खनिज तेल से; या

(ii) पूर्णतया या भागत: देशी आधार खनिज तेल से,

विनिर्मित ब्लैन्डेड या संयोजित स्नेहक तेल और ग्रीसों को, जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 11ख के अन्तर्गत आते हैं, उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना पन्द्रह प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक हो :

परन्तु इस अधिसूचना के अधीन छूट की प्रसुविधा लेने वाले विनिर्माता को, ऐसे ब्लैन्डेड या संयोजित स्नेहक तेल और ग्रीसों की बाबत, उपर्युक्त नियमों के नियम 56—क के अधीन विहित विशेष प्रक्रिया का उपयोग करने के लिए अनुज्ञा नहीं दी जाएगी और वह उक्त नियम के अधीन विहित प्ररूप आर० जी०—23भाग—II में, प्रौफार्मा क्रेडिट की प्रविष्टि-पुस्तिका में की जमा का उपयोग करने के लिए भी पात्र नहीं होगा ।

[सं० 36/73]

G.S.R. 100(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts blended and compounded lubricating oils and greases (hereinafter in this notification referred to as "the said goods") falling under Item No. 11B of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), upto a quantity not exceeding one hundred metric tonnes, cleared for home consumption, on or after the 1st day of April in any financial year by or on behalf of a manufacturer from one or more factories, from the whole of the duty of excise leviable thereon:

Provided that—

(i) this exemption shall apply only to the first clearances of the said goods upto a quantity not exceeding one hundred metric tonnes in a financial year;

(ii) this exemption shall not apply to the said goods manufactured by a manufacturer if the total quantity of the said goods so cleared in the preceding financial year had exceeded two hundred metric tonnes;

(iii) where the said goods are manufactured by a manufacturer who had no clearances in the preceding financial year, this exemption shall be applicable if the quantity of the said goods cleared during the financial year does not exceed two hundred metric tonnes; and

(iv) where a factory in which the said goods are produced is run at different times in any financial year by different manufacturers the quantity of the said goods so cleared from such factory in any such year at *nil* rate of duty shall not exceed one hundred metric tonnes:

Provided further that a manufacturer shall be permitted to clear for home consumption during the period commencing on the 1st March, 1973 and ending on the 31st March, 1973, the said goods upto a quantity not exceeding ten metric tonnes, subject to the condition that the quantity of the said goods cleared for home consumption, by or on behalf of such maufacturer from one or more factories during that period does not exceed twenty metric tonnes.

[No. 37/73.]

सा० का० नि० 100(अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा ग्लण्डेड और संयोजित स्नेहक तेल और ग्रीसों को (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् "उक्त माल" कहा गया है), जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 11ख के अन्तर्गत आते हैं, एक-सौ मैट्रिक टन से अनधिक मात्रा तक जिनकी निकासी एक या अधिक कारखानों से किसी विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से किसी वित्तीय वर्ष में अप्रैल के प्रथम दिन को या उसके पश्चात् गृह उपभोग के लिये की गई हो, उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है:

परन्तु यह कि—

(i) वह छूट उक्त माल की किसी वित्तीय वर्ष में प्रथम निकासी को एक-सौ मैट्रिक टन तक की मात्रा तक ही लागू होगी;

(ii) यह छूट किसी विनिर्माता द्वारा विनिर्मित उक्त माल को लागू नहीं होगी यदि इस प्रकार निकासी की गई उक्त माल की कुल मात्रा पूववर्ती वित्तीय वर्ष में दो-सौ मट्रिक टन से अधिक हो गई हो;

(iii) जहां उक्त माल किसी ऐसे विनिर्माता द्वारा विनिर्मित है, जिसे पूववर्ती वित्तीय वर्ष में कोई निकासी नहीं मिली थी, यह छूट लागू होगी, यदि वित्तीय वर्ष के दौरान निकासी की गई उक्त माल की मात्रा दो-सौ मैट्रिक टन से अधिक नहीं है।

(iv) जहां उक्त माल का उत्पादन करने वाला कोई कारखाना किसी वित्तीय वर्ष के विभिन्न समयों पर विभिन्न विनिर्माताओं द्वारा चलाया जाता हो वहां ऐसे कारखानों से और ऐसे किसी वर्ष में शुल्क की शून्य दर से इस प्रकार निकासी किये गए उक्त माल की मात्रा एक-सौ मैट्रिक टन से अधिक नहीं होगी ।

परन्तु यह और कि किसी विनिर्माता को 1 मार्च 1973 से आरम्भ होने वाली और 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान गृह उपभोग के लिये दस मैट्रिक टन से अनधिक मात्रा तक उक्त माल को इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए निकासी करने की अनुज्ञा होगी कि एक या अधिक कारखानों से ऐसे विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से गृह उपभोग के लिये निकासी किये गये उक्त माल की मात्रा उस अवधि के दौरान बीस मैट्रिक टन से अधिक न हो ।

[सं० 37/73]

G.S.R. 101(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts goods of the description specified in column (2) of the Table hereto annexed and falling under Item No. 15A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon subject to the conditions laid down in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

THE TABLE

Sl. No.	Description	Conditions
	2	3
1.	Polyester polymer chips . .	Nil.
2.	Cellulose acetate . . .	If used in the manufacture of acetate yarn: Provided that where such use is elsewhere than in the factory of production, the exemption shall be allowable only if the procedure laid down in Chapter X of the said rules is followed.
3.	Polyamide chips . . .	If used in the manufacture of nylon yarn: Provided that where such use is elsewhere than in the factory of production, the exemption shall be allowable only if the procedure laid down in Chapter X of the said rules is followed.
4.	Acrylic sheets . . .	If produced out of any of the following materials or a combination thereof, namely: — (i) artificial resins or plastic materials in any form falling under sub-item (1) of the aforesaid Item No. 15A on which the appropriate duty of excise or the additional duty under section 2A of the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), as the case may be, has already been paid; or (ii) scrap of plastics.

[No. 38/73.]

सा० का० नि० 101 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वर्णन के माल को जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 15 क के अन्तर्गत आता है, उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में अधिकथित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, छूट देती है ।

सारणी

क्रम सं०	वर्णन	शर्तें
(1)	(2)	(3)
1.	पौलिस्टर पौलिमेर चिप्स	कोई नहीं ।
2.	सैलूलोज एसेटेट	यदि एसेटेट धागे के उत्पादन में प्रयुक्त होता है : परन्तु जहां ऐसा प्रयोग उत्पादन-कारखाने से भिन्न स्थान पर होता हो तो यह छूट उक्त नियमों के अध्याय 10 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसरण करने पर ही अनुज्ञेय होगी ।
3.	पौलीमाइड चिप्स	यदि नाइलन धागे के उत्पादन में प्रयुक्त होता है : परन्तु जहां ऐसा प्रयोग उत्पादन कारखाने से भिन्न स्थान पर होता हो तो यह छूट उक्त नियमों के अध्याय 10 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसरण करने पर ही अनुज्ञेय होगी ।
4.	एक्रिलिक शीट्स	यदि निम्नलिखित किन्हीं सामग्रियों या उनके संयोजन से उत्पादित हो, अर्थात् :— (i) उपर्युक्त मद सं० 15क की उप-मद (1) के अन्तर्गत आने वाले कृत्रिम रेजिन या प्लास्टिक सामग्री के किसी भी रूप से, जिन पर, यथास्थिति, समुचित उत्पाद-शुल्क या भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की धारा 2 क के अधीन अतिरिक्त शुल्क पहले ही दिया जा चुका है ; अथवा (ii) प्लास्टिक की रद्दी ।

[सं० 38/73]

G.S.R. 102(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts—

(i) rigid polyvinyl chloride films of thickness below 0·25 mm,

(ii) flexible polyvinyl chloride films of thickness below 0·25 mm, and

(iii) polyvinyl chloride lay flat tubings, falling under sub-item (2) of Item No. 15A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and produced by extrusion process, by an industrial unit in respect of which an officer not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise is satisfied that the capital investment on the plant and machinery installed therein, as on the date of the initial installation of such plant and machinery, is not more than Rs. 7·5 lakhs, from the whole of the duty of excise leviable thereon.

2. This notification shall have effect notwithstanding anything contained in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 70/71-Central Excises, dated the 29th May, 1971 or No. 72/71-Central Excises, dated the 29th May, 1971.

[No. 39/73.]

सा० का० नि० 102 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा—

(i) 0.25 मि० मी० से नीचे की मोटाई की अनम्य पौलीविनायल क्लोराइड फिल्म्स,

(ii) 0.25 मि० मी० से नीचे की मोटाई की नम्य पोलीविनाइल क्लोराइड फिल्म्स, और

(iii) पोलीविनाइल क्लोराइड ले फ्लैट ट्यूबिंग्ज,

जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 15क की उप-मद (2) के अन्तर्गत आते हैं और एक्सट्यूजन प्रक्रिया द्वारा किसी ऐसे औद्योगिक एकक द्वारा उत्पादित हैं जिसकी बाबत किसी ऐसे अधिकारी को, जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक कलक्टर से नीचे की पंक्ति का न हो, यह समाधान हो जाता है कि उसमें स्थापित संयत्र और मशीनरी पर पूंजी-विनिधान, जैसा कि वह ऐसे संयत्र और मशीनरी के आरम्भिक स्थापन की तारीख को हो, 7.5 लाख रुपये से अधिक नहीं है, उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है ।

2. यह अधिसूचना भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 70, 71—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 29 मई, 1971 या सं० 72, 71—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 29 मई, 1971, में किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होगी ।

[सं० 39/73]

1G.S.R. 103(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendments to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 47/72—Central Excises, dated the 17th March, 1972, namely:—

In the said notification,—

(a) in the Table, in column (3), for the letters, figures and word "Rs. 4·00 crores", the words "two crores of rupees" shall be substituted;

(b) in the first proviso, for the letters, figures and word "Rs. 1·25 crores", the words "fifty lakhs of rupees" shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1973.

[No. 40/73.]

सा० का० नि० 103 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 47,72—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 1972 ; निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :—

उक्त अधिसूचना में ,—

(क) सारणी में, स्तम्भ (3) में, "4.00 करोड़ रुपये अक्षर, अंक और शब्दों के स्थान पर "दो करोड़ रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) प्रथम परन्तुक में "1.25 करोड़ रुपये" अक्षर, अंक और शब्द के स्थान पर "पचास लाख रुपये" शब्द रखे जाएंगे ।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1973 को प्रवृत्त होगी ।

[सं० 40/73]

G.S.R. 104(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 16/68-Central Excises, dated the 1st February, 1968, namely :—

In the said notification, in the Table, after S. No. 1 and the entries relating thereto, the following S. Nos. and entries shall be inserted, namely :—

(1)	(2)	(3)
"1A	Commercial plywood—	
	(a) in area 5625 square centimetres or less	Duty in excess of 15% *ad valorem*
	(b) in area exceeding 5625 square centimetres.	Duty in excess of 20% *ad valorem*
1B.	Batten boards and block boards (including flush-doors) having both faces of commercial plywood.	Duty in excess of 20% *ad valorem*
1C.	Veneered particle boards excluding particle boards with decorative veneers on one or both sides.	Duty in excess of 20% *ad valorem*"

[No. 41/73.]

सा० का० नि० 104 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 16,68—केन्द्रीय

उत्पाद-शुल्क , तारीख 1 फरवरी, 1968 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्र० सं० 1 और उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां अन्तः स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
"1क	वाणिज्यिक प्लाइवुड —	
	(क) क्षेत्रफल में 5625 वर्ग सेंटीमीटर या उससे कम ;	मूल्यानुसार 15 प्रतिशत से अधिक शुल्क
	(ख) क्षेत्रफल में 5625 वर्ग सेंटीमीटर से अधिक ।	मूल्यानुसार 20 प्रतिशत से अधिक शुल्क ।
1ख	दोनों ओर वाणिज्यिक प्लाइवुड वाले बरंगा तख्ते और ब्लैक बोर्ड (फ्लशडोर सहित)	मूल्यानुसार 20 प्रतिशत से अधिक शुल्क
1ग	एक ओर या दोनों ओर सजावटी परत वाले कण बोर्डों को छोड़ कर पर्टी कण बोर्ड	मूल्यानुसार 20 प्रतिशत से अधिक शुल्क

[सं० 41/73]

G.S.R.105(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule(1)of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby directs that in respect of paper, all sorts, other than newsprint and all varieties of boards, falling under Item No. 17 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and containing not less than 40 percent by weight of bagasse, jute stalks or cereal straw in the form of pulp, the duty of excise leviable thereon shall be reduced by an amount as is equivalent to the amount of the duty calculated at the rate of 9 paise per kg.

[No. 42/73.]

सा० का० नि० 105(अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि अखबारी कागज और सभी प्रकार के पट्टों को छोड़ कर, सभी प्रकार के ऐसे कागज की बाबत जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की मद सं० 17 के अन्तर्गत आते और जिनमें खोई, जूट-तना या धान्य भूसा लुग्दी के रूप में भार के अनुसार 40 प्रतिशत से कम न हो, उस पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क नौ-पैसे प्रति किलोग्राम की दर पर आकलित शुल्क की राशि के बराबर की राशि तक कम कर दिया जाएगा।

[सं० 42/73]

G.S.R. 106(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts paper, all sorts, other than straw board and mill board, falling under Item No. 17 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), produced in a factory which commences manufacture for the first time on or after 1st April, 1973, from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Item read with any notification for the time being in force issued by the Central Government, under the aforesaid rule, as is in excess of 85 per cent, of such duty.

Explanation.—For the purposes of this notification, the expressions "mill board" and "straw board" shall have the meanings respectively assigned to them in the Explanation to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 35/64-Central Excises, dated the 1st March, 1964.

[No. 43/73.]

सा० का० नि० 106 ( ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा गत्ता और मिलबोर्ड को छोड़ कर सभी प्रकार के कागजों को, जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 17 के अन्तर्गत आते हैं, जो ऐसे कारखाने में विनिर्मित हैं जिसमें पहली अप्रैल, 1973 को या उसके पश्चात् पहली बार उत्पादन आरम्भ होता है, केन्द्रीय सरकार द्वारा उपर्युक्त नियम के अधीन जारी की गई तत्समय प्रवृत्त किसी अधिसूचना के साथ पठित उक्त मद के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से जितना ऐसे शुल्क के 85 प्रतिशत से अधिक हो, छूट देती है ।

स्पष्टीकरण .—इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ "मिलबोर्ड" और "गत्ता" अभिव्यक्ति का क्रमशः वही अर्थ होगा जो उन्हें भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 35, 64—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 1 मार्च, 1964 के स्पष्टीकरण में दिया गया है ।

[सं० 43/ 73]

G.S.R. 107 E .—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts paper, all sorts, other than straw board and mill board, falling under Item No. 17 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), produced in a facotry existing immediately before 1st April, 1973, the production capacity of which has been enlarged and brought into operation on or after 1st April, 1973, to the extent such production is attibutable to the enlarged capacity, from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Item, read with any notification for the time being in force issued by the Central Government under the aforesaid rule, as is in excess of 85 per cent. of such duty:

Provided that nothing in this notification shall apply in any financial year to a factory when the total quantity of paper, all sorts other than straw board and mill board, produced therein in the preceding financial year exceeded 30,000 metric tonnes.

Explanation.—For the purposes of this notification, the expressions "mill board" and "straw board" shall have the meanings respectively assigned to them in the Explanation to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 35/64—Central Excises, dated the 1st March, 1964.

[No. 44/73.]

सा० का० नि० 107 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा गत्ता और मिलबोर्ड को छोड़ कर सभी प्रकार के कागजों को, जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधि-नियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 17 के अन्तर्गत आते हैं, जो पहली अप्रैल, 1973 से ठीक पूर्व विद्यमान किसी ऐसे कारखाने में उत्पादित हो जिसकी उत्पादन क्षमता 1 अप्रैल, 1973 को या उसके पश्चात् बढ़ा दी गई है और प्रचालित कर दी गई है, उस सीमा तक जहां तक ऐसा उत्पादन बढ़ाई गई क्षमता के कारण है, उपर्युक्त नियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई तत्समय प्रवृत्त किसी अधिसूचना के साथ पठित उक्त मद के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से जितना ऐसे शुल्क के 85 प्रतिशत से अधिक है, छूट देती है ।

परन्तु इस अधिसूचना की कोई बात किसी वित्तीय वर्ष में किसी ऐसे कारखाने को लागू नहीं होगी जिसमें गत्ता और मिलबोर्ड को छोड़ कर, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी प्रकार के कागजों की पूर्ण मात्रा, 30,000 मैट्रिक टन से अधिक है ।

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ "मिल बोर्ड" और "गत्ता" अभिव्यक्ति का क्रमशः वही अर्थ होगा जो उन्हें भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 35/64—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1964 के स्पष्टीकरण में दिया गया है ।

[सं० 44/73]

G.S.R. 108(E)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance)No. 208/67-Central Excises, dated the 8th September, 1967, the Central Government hereby exempts paper, all sorts, other than paper boards, newsprint, cigarette tissue, glassine paper, grease proof paper, coated paper and paper of a substance not exceeding 25 grammes per square metre and falling under Item No. 17 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) (hereinafter in this notification referred to as the "said paper"), cleared by any manufacturer for home consumption during any financial year, upto the quantity prescribed in column (1) of the Table below, from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Item read with any notification for the time being in force issued by the Central Government under the said rule, as is specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table:

THE TABLE

Quantity	Extent of exemption (percentage of the duty leviable)
(1)	(2)
On the 1st 1000 metric tonnes	75
On the next 1000 metric tonnes	25
On the next 2000 metric tonnes	15

Provided that :—

(i) the said paper is manufactured in a factory having no plant attached thereto for making bamboo pulp;

(ii) the said exemption shall not be admissible to a manufacturer who in respect of the first 4000 metric tonnes of the said paper (for which exemption under this notification is available) cleared during the financial year avails of the concessions admissible under the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 42/73-Central Excises, dated the 1st March, 1973, 43/73-Central Excises, dated the 1st March 1973 and 44/73-Central excises, dated the Ist March, 1973 ;

(iii) where a factory producing the said paper is run at different times in any financial year by different manufacturers, the quantity of the said paper cleared from such factory in any such financial year under the provisions of this notification shall not exceed in the aggregate the limits specified in column (1) of the Table.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1973.

[No. 45/73]

सा० का० नि० 108 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 208/67—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 8 सितम्बर, 1967 को अधिक्रान्त करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा पेपर बोर्ड, अखबारी कागज, सिगरटी कागज, ग्लासीन कागज, ग्रीज-रोधी कागज, लेपित कागज और ऐसा कागज जिसका वजन प्रति वर्ग मीटर 85 ग्राम से अधिक नहीं है और जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 17 के अन्तर्गत आते हैं, को छोड़ कर सभी प्रकार के कागज (जिसे इस अधिनियम में इसके पश्चात् "उक्त कागज" कहा गया है), जिसकी किसी विनिर्माता द्वारा किसी वित्तीय वर्ष के दौरान गृह उपभोग के लिए निकासी की गई हो, निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (1) में विहित मात्रा तक उक्त नियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई तत्समय प्रवृत्त किसी अधिसूचना के साथ पठित उक्त मद के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से, जितना कि उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट से अधिक है, छूट देती है।

सारणी

मात्रा	छूट की सीमा (उद्ग्रहणीय शुल्क का प्रतिशत)
1	2
पहले 1000 मैट्रिक टन पर	75
अगले 1000 मैट्रिक टन पर	25
अगले 2000 मैट्रिक टन पर	15

परन्तु यह कि —

(i) उक्त कागज का उत्पादन ऐसे कारखाने में हुआ हो जिसमें बांस-लुग्दी तैयार करने के लिए कोई संयंत्र न लगा हो ।

(ii) उक्त छूट ऐसे विनिर्माता को लागू नहीं होगी जिसने उक्त कागज (जिसके लिए इस अधिसूचना के अन्तर्गत छूट उपलब्ध है) के पहले 4000 मैट्रिक टन की बाबत, जिस की वित्तीय वर्ष के दौरान निकासी की गई है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 42/73—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 1 मार्च, 1973, 43/73—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 1 मार्च, 1973, 44/73—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1973 के अन्तर्गत अनुज्ञेय रियायत ले ली है ।

(iii) जहां कि उक्त कागज का उत्पादन करने वाला कोई कारखाना किसी वित्तीय वर्ष के विभिन्न समयों पर विभिन्न विनिर्माताओं द्वारा चलाया जाता हो वहां ऐसे किसी वित्तीय वर्ष में इस अधिसूचना के उपबन्धों के अन्तर्गत, ऐसे कारखाने से निकासी की गई उक्त कागज की मात्रा सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट सीमा से कुल मिला कर अधिक नहीं होगी ।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1973 को प्रवृत्त होगी ।

[सं० 45/73]

G.S.R. 109/E.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts goods of the description specified in column (2) of the Table hereto annexed and falling under Item No. 17 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty specified and, subject to the conditions laid down, in the corresponding entries in columns (3) and (4) respectively of the said Table.

THE TABLE

Sl. No.	Description	Duty	Conditions
(1	(2)	(3)	(4)
1.	Paper and pape board falling under sub-item(3)of the aforesaid Item No. 17	45 paise per Kilogram.	Nil
2.	Solid fibre board falling under sub-item (4) of the aforesaid Item No. 17.	40 paise per Kilogram	Nil
3.	Pressed jute felt sheets	45 paise per Kilogram	Nil

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Following varieties of paper, namely:—		
	(i) Waxed paper	Nil.	If it is proved to the satisfaction of the proper officer that the appropriate duty of excise or additional duty leviable under section 2A of the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), as the case may be, has been already paid in respect of the paper used in their manufacture.
	(ii) Polythene coated paper . .	Nil.	
	(iii) Crepe paper	Nil	
	(iv) Converted types of paper, commonly known as imitation flint paper or leatherette paper, or plastic coated paper, or by any other name, obtained by one side of paper being subjected to printing of colour, with or without design, irrespective of the fact whether or not such paper is subsequently varnished or glazed by chemicals or embossed and falling under sub-item (4) of the aforesaid Item No. 17.	Nil	
	(v) Gummed paper obtained by gum being applied to one side of paper and falling under sub-item (4) of the aforesaid Item No. 17.	Nil.	
5.	Metal coated paper	Nil.	If it is proved to the satisfaction of the proper officer that the appropriate duty of excise or additional duty leviable under section 2A of the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), as the case may be has been already paid in respect of the base paper used in the manufacture.
6.	Corrugated paper (other than corrugated board).	Nil.	If— (i) it consists of a single fluted sheet of paper; and (ii) it is manufactured out of paper on which the appropriate duty of excise or additional duty leviable under section 2A of the Indian Tariff Act, 1934, (32 of 1934), as the case may be has been already paid.

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	Polythene coated board.	Nil.	If it is proved to the satisfaction of the proper officer that the appropriate duty of excise or additional duty leviable under section 2A of the Indian Tariff Act, 1934 (2 of 1934), as the case may be, has been already paid in respect of the board used in its manufacture.

[No. 46/73.]

सा० का० नि० 109(अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वर्णन का माल, जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 17 के अन्तर्गत आता है, पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक है और उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि की शर्तों के अध्यधीन छूट देती है ।

सारणी

क्र स०	वर्णन	शुल्क	शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)
1	उपर्युक्त मद सं० 17 की उप-मद (3) के अन्तर्गत आने वाला पेपर और पेपर बोर्ड	45 पैसे प्रति किलोग्राम	कोई नहीं
2	उक्त मद सं० 17 के उप-मद (4) के अन्तर्गत आने वाले ठोस तन्तु बोर्ड	40 पैसे प्रति किलोग्राम	कोई नहीं
3	प्रैस्ड जूट फैल्ट सीट	45 पैसे प्रति किलोग्राम	कोई नहीं ।

1	2	3	4
4.	निम्न लिखित प्रकार के कागज, अर्थात् :— (i) मोमी कागज (ii) पौलीथीन लेपित कागज (iii) क्रेप कागज (vi) सामान्यतः इमिटेशन फ्लिन्ट कागज या लैदरेट कागज या प्लास्टिक लेपित कागज या किसी अन्य नाम से जाने जाने वाले सभी प्रकार के परिवर्तित कागज जिसे कागज के एक ओर रंगों की छपाई डिजाइन या डिजाइन के बगैर प्राप्त किया गया हो, भले ही ऐसे कागज को बाद में रसायन द्वारा वार्निश किया गया हो या ग्लेज किया गया हो या एम्बौस किया गया हो या नहीं और जो उपर्युक्त मद सं० 17 की उप-मद (4) के अन्तर्गत आता हो । (v) आगज के एक ओर गोंद लगाकर प्राप्त किया गया गोंदी कागज जो उपर्युक्त मद सं० 17 की उप-मद (4) के अन्तर्गत आता हो।	कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं	यदि उपयुक्त अधिकारी की समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया जाय कि समुचित उत्पाद-शुल्क या भारतीय टैरिफ अधिनियम 1934 (1934 का 32) की धारा 2 क के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क यथास्थिति, उनके उत्पादन में प्रयुक्त किये गये कागज की बाबत पहले ही दिया जा चुका है ।
5.	धातु लेपित कागज	कुछ नहीं	यदि उपयुक्त अधिकारी के समाधान प्रद रूप में यह साबित कर दिया जाय कि समुचित उत्पाद-शुल्क या भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की धारा 2क के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क यथास्थिति, उनके उत्पादन में प्रयुक्त किये गए आधारी कागज की बाबत पहले ही दिया जा चुका है ।

1	2	3	4
6.	खांचेदार कागज (खांचेदार बोर्ड से भिन्न)	कुछ नहीं	यदि— (i) उसमें कागज का एकल खांचित शीट है, और () वह ऐसे कागज से उत्पादित है जिस पर, यथास्थिति, समुचित उत्पाद-शुल्क या भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की धारा 2क के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क पहले ही दिया जा चुका हो।
7.	पौलीथीन लेपित बोर्ड	कुछ नहीं	यदि उपर्युक्त अधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया जाय कि समुचित उत्पाद-शुल्क या भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की धारा 2क के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क उनके उत्पादन में प्रयुक्त किये गए बोर्ड की बाबत पहले ही दिया जा चुका है।

[सं० 46/73]

G.S.R. 110(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Centra Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts rayon and synthetic fibres and yarn falling under Item No. 18 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and specified in column (2) of the Table hereto annexed from so much of the duty of excise eviable thereon as is in excess of the duty specified in the corresponding entry in column (3) thereof.

THE TABLE

Sl. No.	Description	Duty
1	2	3
		Rs. per kilogram
1.	Staple fibre tow:—	
	(i) of cellulosic origin	1·00
	(ii) of non-cellulosic origin:—	
	(a) acrylic fibre	6·00
	(b) polyester fibre:—	
	(A) of not more than 2 deniers	36·90
	(B) of more than 2 deniers	31·90
	(c) Others	30·00
	Provided that where staple fibre is made out of two which has paid the appropriate amount of the duty of excise, or the additional duty under section 2A of the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), as the case may be, the duty payable on such staple fibre shall be nil.	
2.	Rayon and synthetic yarn consisting entirely of cellulosic derivatives or regenerated cellulose or both:—	
	(a) Acetate yarn—	
	(a) below 75 deniers	10·35
	(ii) 75 deniers and above but below 100 deniers	7·80
	(iii) 100 deniers and above but below 120 deniers	5·80
	(iv) 120 deniers and above but below 150 deniers	4·00
	(v) 150 deniers and above but below 350 deniers	3·70
	(vi) 350 deniers and above but not above 1100 deniers	3·05
	(vii) above 1100 deniers	2·55
	(b) Others :—	
	(i) below 75 deniers	11·40
	(ii) 75 deniers and above but below 100 deniers	7·40
	(iii) 100 deniers and above but below 120 deniers	5·25
	(iv) 120 deniers and above but below 150 deniers	4·35
	(v) 150 deniers and above but below 350 deniers	3·75
	(vi) 350 deniers and above but not above 1100 deniers	2·50
	(vii) above 1100 deniers	2·00
3.	Other synthetic yarn:—	
	(a) Man-made metallic yarn:—	
	(i) below 30 deniers	40·00
	(ii) 30 deniers and above but below 75 deniers	35·00
	(iii) 75 deniers and above but below 100 deniers	25·00
	(iv) 100 deniers and above but not above 750 deniers	20·00
	(v) above 750 deniers	5·00

1	2	3
	(b) Polyamide (nylon) yarn—	
	(i) below 35 deniers	38·50
	(ii) 35 deniers and above but below 80 deniers	33·50
	(iii) 80 deniers and above but below 110 deniers	28·50
	(iv) 110 deniers and above but below 150 deniers	05·23
	(v) 150 deniers and above but not above 750 deniers	11·50
	(vi) above 750 deniers	5·85
	(c) Polyester yarn—	
	(i) below 30 deniers	41·90
	(ii) 30 deniers and above but below 75 deniers	36·90
	(iii) 75 deniers and above but below 100 deniers	26·90
	(iv) 100 deniers and above but not above 750 deniers	21·90
	(v) above 750 deniers	6·90
	(d) Others—	
	(i) below 30 deniers	40·00
	(ii) 30 deniers and above but below 75 deniers	35·00
	(iii) 75 deniers and above but below 100 deniers	25·00
	(iv) 100 deniers and above but not above 750 deniers	20·00
	(v) above 750 deniers	5·00

[No. 47/73]

सा० का० नि० 110(अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप- नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा रेयन और संश्लिष्ट फाइबर और धागे, जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1444 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 18 के अन्तर्गत आते हैं, और जो इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट है, उन पर उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना उसके स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक है।

सारणी

क्रम०सं०	वर्णन	शुल्क
1	2	3
		रु० प्रति किलोग्राम
1	रेशा फाइबर और शणसूत्र	
	(i) सैल्यूलोसी उद्भव का	1.00
	(ii) अ–सल्यूलोसी उद्भव का—	
	(क) एक्रिलिक फाइबर	6.00

1	2	3
	(ख) पालिएस्टर फाइबर—	
	(क) 2 डीनियर से अनधिक . .	36.90
	(ख) 2 डीनियर से अधिक . . .	31.90
	(ग) अन्य	30.00
	परन्तु यह कि शणसूत्र के बने ऐसे रेशे फाइबर, जिस पर, यथास्थिति, उत्पाद-शुल्क या भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की धारा 2क के अधीन अतिरिक्त शुल्क की समुचित रकम संदत्त कर दी गई है, पर कोई शुल्क देय नहीं होगा ।	
2	रेयन और संश्लिष्ट धागा जो पूर्णतः सल्यूलोसी व्युत्पादों या पुनर्योजित सैल्यूलोसी या दोनों से बना है ।	
	(क) एसेटेट धागा —	
	(i) 75 डीनियर से कम . . .	10.35
	(ii) 75 डीनियर और अधिक किन्तु 100 डीनियर से कम	7.80
	(iij) 100 डीनियर और अधिक किन्तु 120 डीनियर से कम	5.80
	(iV) 120 डीनियर और अधिक किन्तु 150 डीनियर से कम	4.00
	(V) 150 डीनियर और अधिक किन्तु 350 डीनियर से कम	3.70
	(Vi) 350 डीनियर और अधिक किन्तु 1100 डीनियर से अनधिक	3.05
	(Vii) 1100 डीनियर से अधिक . .	2.55
	(ख) अन्य—	
	(i) 75 डीनियर से कम . . .	11.40
	(ii) 75 डीनियर और अधिक किन्तु 100 डीनियर से कम	7.40
	(iii) 100 डीनियर और अधिक किन्तु 120 डीनियर से कम	5.25
	(iV) 120 डीनियर और अधिक किन्तु 150 डीनियर से कम	4.35
	(V) 150 डीनियर और अधिक किन्तु 350 डीनियर से कम	3.75

1	2	3
	(Vi) 350 डीनियर और अधिक किन्तु 1100 डी-नियर से अनधिक . . .	2.50
	(Vii) 1100 डीनियर से अधिक . .	2.00
3	अन्य संश्लिष्ट धागा —	
	(क) हाथ से कता मैटलिक धागा —	
	(i) 30 डीनियर से कम . . .	40.00
	(ii) 30 डीनियर और अधिक किन्तु 75 डीनियर से कम	35.00
	(iii) 75 डीनियर और अधिक किन्तु 100 डीनियर से कम	25.00
	(iV) 100 डीनियर और अधिक किन्तु 750 डीनियर से अनधिक	20.00
	(V) 750 डीनियर से अधिक . .	5.00
	(ख) पोलीमाइड (नायलान) धागा —	
	(i) 35 डीनियर से कम . . .	38.50
	(ii) 35 डीनियर और अधिक किन्तु 80 डीनियर से कम	33.50
	(iii) 80 डीनियर और अधिक किन्तु 110 डीनियर से कम	28.50
	(iV) 110 डीनियर और अधिक किन्तु 150 डीनियर से कम	23.50
	(V) 150 डीनियर और अधिक किन्तु 750 डीनियर से अनधिक	11.50
	(Vi) 750 डीनियर से अधिक . .	5.85
	(ग) पोलिस्टर धागा—	
	(i) 30 डीनियर से कम . . .	41.90
	(ii) 30 डीनियर और अधिक किन्तु 75 डीनियर से कम	36.90
	(iii) 75 डीनियर और अधिक किन्तु 100 डीनियर से कम	26.90
	(iV) 100 डीनियर और अधिक किन्तु 750 डीनियर से अनधिक	21.90

1	2	3
	(v) 750 डीनियर से अधिक	6.00
	(घ) अन्य—	
	(i) 30 डीनियर से कम . . .	40.00
	(ii) 30 डीनियर और अधिक किन्तु 75 डीनियर से कम	35.00
	(iii) 75 डीनियर और अधिक किन्तु 100 डीनियर से कम	25.00
	(iv) 100 डीनियर और अधिक किन्तु 750 डीनियर से अनधिक	20.00
	(v) 750 डीनियर से अधिक . .	5.00

[सं० 47/73]

G S.R. 111 (E) —In exercise of the powers conferred by sub-rule(1) of rule 8 of the Centra Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts rayon and synthetic fibres and yarn falling under Item No. 18 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1of 1944), and specified in column (2) of the Table hereto annexed from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty specified in the corresponding entry in column (3) thereof.

THE TABLE

S.No.	Description	Duty
	2	3
		Rs. per kilogram
1.	Glass fibre and yarn—	
	I. Glass fibre—	
	(i) Staple fibre (including glass tissues)	3·00
	(ii) Glass wool	1·50
	II. Continuous filament yarn—	
	(a) Textile yarn—	
	(i) next exceeding 225s counts	4·00
	(ii) exceeding 225s counts but not exceeding 450s counts . .	6·00
	(iii) exceeding 450s counts	8·0
	(b) Others	2·500
2.	Any other mineral fibres and yarn, whether continuous or otherwise, such as rock wool, slagwool and the like	Nil
3.	Yarn spun wholly out of glass fibres	Nil

Explanation.—For the purposes of this notification, the expression 'count' means the size of single yarn expressed as the number of 100 yard lengths per pound.

[No. 48/73].

सा० का० नि० 111. (अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा रेयन और संश्लिष्ट फाइबर और धागे को जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 18 के अन्तर्गत आते हैं और जो इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट हैं, उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद- शुल्क से छूट देती है जितना उस के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक है ।

सारणी

क्र० सं०	वर्णन	शुल्क
1	2	3
		रु० प्रति किलोग्राम
1.	कांच फाइबर और धागा —	
	I. कांच फाइबर —	
	(i) रेशा फाइबर (कांच तन्तु सम्मिलित है) .	3.00
	(ii) कांच ऊन . . .	1.50
	II. सतत् फिलामेंट धागा—	
	(क) कपड़ा धागा—	
	(i) 225 एस काउन्ट्स से अनधिक . .	4.00
	(ii) 225 एस काउन्ट्स से अधिक किन्तु 450 एस काउन्ट्स से अनधिक . . .	6.00
	(iii) 450 एस काउन्ट्स से अधिक . .	8.00
	(ख) अन्य	2.50
2.	कोई अन्य खनिज फाइबर और धागा चाहे सतत या अन्यथा, जिसे कि रोक वूल, खनिज रुई और इस प्रकार का .	कुछ नहीं
3.	कांच फाइबर से पूर्णरूप से काता गया धागा . .	कुछ नहीं

स्पष्टीकरण .—इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ "काउन्ट" अभिव्यक्ति से प्रति पाउण्ड सौ गज की लम्बाई के एकल धागों की संख्या अभिप्रेत है ।

[सं० 48/73]

G S.R. 112 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the ral Excise Rules, 1944, the Central Government hereby akes the following amendment to notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue Insurance) No. 52/72-Central Excises, dated the 17th March, 1972, namely:—

In the said notification, in the Table, for the entries in columns (2) and (3) against S. No. , the following entries shall be substituted, namely:—

2	3
"(2) manufactured on other systems—	
(i) of 40 counts and above	8·00
(ii) of above 20 counts but below 40 counts	5·00
(iii) of 20 counts and below	3·00'

[No. 49/73]

सा० का० नि० 112 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप- ; (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का योग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत र के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 52/72-केन्द्रीय :-शुल्क तारीख 17 मार्च, 1972 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिनियम में, सारणी में, क्रम सं० 3(2) के सामने स्तम्भ (2) और (3) :विष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

2	3
"(2) अन्य पद्धति पर विनिर्मित —	
(i) 40 काउन्ट और अधिक का . .	8.00
(ii) 20 काउन्ट से अधिक का किन्तु 40 काउन्ट से कम का	5.00
(iii) 20 काउन्ट और कम का . .	3.00

[सं० 49/73]

G.S.R. 113 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts yarn, all sorts, other than the yarn containing any two or more of the fibres specified in the Schedule hereto annexed, falling under Item No. 18E of the First Schedule to the Central Excises and Salt, Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon.

THE SCHEDULE

1. Cotton.
2. Silk.
3. Wool.
4. Jute (including Bimlipatam jute or mesta fibre).
5. Man-made fibres.
6. Flax.
7. Ramie.

[No. 50/73.]

सा०का०नि० 113 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी दो या अधिक फाइबर वाले धागों से भिन्न सभी प्रकार के धागों को, जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 18—ङ० के अन्तर्गत आते हैं, उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

अनुसूची

1. कपास
2. सिल्क
3. ऊन
4. जूट (विम्लीपट्टम जूट या मेस्टा तन्तु सम्मिलित है)
5. हाथ से बना तन्तु।
6. फ्लैक्स
7. रमी

[सं० 50/73]

G.S.R. 114 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby directs that the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), specified in column (2) of the Table hereto annexed shall be amended in the manner specified in column (3) of the said Table.

THE TABLE

S.No.	Notification No. and date.	Amendment
1	2	3
1.	No. 91/69-Central Excises, dated the 1st March, 1969.	In the said notification,— (1) in the Table, the entries in columns (2), (3) and (4) occurring against S. Nos. 9, 21 and 22 shall be omitted; (2) Explanation. 1 shall be omitted and in Explanation 2 the figures "2" shall be omitted.
2.	No. 130/69—Central Excises, dated the 29th April, 1969. No. 127/70—Central Excises, dated the 6th June, 1970.	In each of the said notifications, for the words, figures and brackets "falling under sub-item I(1) of Item. No. 19" the words, figures, brackets and letter falling under sub-items (I)(1) and I(1A) of Item No. 19" shall be substituted.
3.	No. 144/70—Central Excises, dated the 11th July, 1970.	In the said notification, after the words, figures and brackets "Item No. 191(1)" the words figures, brackets and letter "and Item No. 191(1A)" shall be inserted.

[No. 51/7

सा० का० नि० 114 (अ).—अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचनायें जो इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट हैं, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट रूप में संशोधित होंगी।

सारणी

क्रं० सं०	अधिसूचना सं० और तारीख	संशोधन
1	2	3
1	सं० 91, 69—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1969	उक्त अधिसूचना में,— (1) सारणी में क्रं० सं० 9, 21 और 22 के सामने स्तम्भ (2), (3) और (4) में की प्रविष्टियां लुप्त कर दी जाएगी ;

1	2	3
		(2) स्पष्टीकरण–1 लुप्त कर दिया जाएगा और स्पष्टीकरण–2 में का अंक "2" लुप्त कर दिया जाएगा ।
2.	सं० 130, 69–केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 29 अप्रैल, 1969 । सं० 127, 70—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख, 6 जून, 1970 ।	उक्त अधिसूचना में से प्रत्येक में "मद सं० 19 की उप-मद 1 (1) के अन्तर्गत आने वाले" शब्द, अंक और कोष्ठकों के स्थान पर "मद सं० 19 की उप-मद 1(1) और 1(1क) के अन्तर्गत आने वाले" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे ।
3.	सं० 144/70—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 11 जुलाई, 1970 ।	उक्त अधिसूचना में "मद सं० 119 (1)" शब्द, अंक और कोष्ठकों के स्थान पर "और मद सं० 19/(1क)", शब्द, अंक और कोष्ठक अन्तःस्थापित किये जाएंगे ।

[सं 51/73]

.. 115(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise 1944, the Central Government hereby exempts cotton fabrics of the description specified umn (3) of the Table hereto annexed and falling under the sub-items specified in the ponding entry in column (2) of the said Table, of Item No. 19 of the First Schedule Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise e thereon as is in excess of the duty specified in the corresponding entry in column (4) said Table.

THE TABLE

Sub-item No.	Description	Duty
2	3	4
(1)	Cotton fabrics, other than blankets, not exceeding Rs. 2·50 per square metre in value.	6·25 percent *ad volorem.*
(1)	Blankets not exceeding Rs. 4 per square metre in value.	6·25 percent *ad valorem.*
(1) (1A)	Other cotton fabrics	12·5 percent *ad valorem.*
(1)	Fents of fabrics specified against S. No. 1 and 2 above.	4·0 percent *ad valorem.*

1	2	3	4
5.	I(1) and I(1A)	Fents of fabrics specified against S.No. 3 above.	7·5 per cent *ad valorem.*
6.	I(1)	Rags of fabrics specified against S.No. 1 and 2 above.	2·0 per cent *ad valorem.*
7.	I(1) and I(1A)	Rags of fabrics specified against S.No. 3 above.	4·0 per cent *ad valorem.*

Explanation.—For the purposes of this notification:—

(a) the expression "fents" means,—

(i) *bona fide* cut-pieces of cotton fabrics (excluding cut-pieces of towels) of lenght 45 centimetres or more but not exceeding 90 centimeters where the width of the fabric is one metre or more, and of length 65 centimetres or more but not exceeding 135 centimetres where the width of the fabric is less than one metre, arising during the normal course of manufacturing (including processing) or packing or drawing samples;

(ii) damaged cotton fabrics (excluding damaged towels) of length 45 centimetres or more but not exceeding 90 centimetres where the width of the fabric is one metre or more, and of length 65 centimetres or more but not exceeding 135 centimetres where the width of the fabric is less than one metre; and

(iii) cut-pieces of length 45 centimetres or more but not exceeding 90 centimetres where the width of the fabric is one metre or more, and of length 65 centimetres or more but not exceeding 135 centimetres where the width of the fabric is less than one metre cut from damaged dhotics or sarees.

(b) the expression "rags" means,—

(i) *bone fide* cut-pieces of cotton fabrics of length more than 23 centimetres but less than 45 centimetres where the width of the fabric is one metre or more, and of length more than 23 centimetres but less than 65 centimetres where the width of the fabric is less than one metre, arising durin g the normal course of manufacturing (including processing) or packing or drawing samples, and

(ii) cut-pieces of damaged or sub-standard cotton fabrics of lenth more than 23 centimetres but less than 45 centimetres where the width of the fabric is one metre or more, and of length more than 23 centimetres but less than 65 centimetres where the width of the fabric is less than one metre.

[No. 52/73]

सा० का० नि० 115(अ)—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा इससे नाबद्ध सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट वर्णन के और उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उप-मदों के अन्तर्गत आने वाली, जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 19 की , सूती कपड़े को उस पर उदग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से जितना उक्त सारणी के स्तम्भ 4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पाद-शुल्क से अधिक है, छूट देती है ।

सारणी

सं०	उप-मद सं०	वर्णन	शुल्क
	2	3	4
1.	1(1)	कम्बलों से भिन्न, जिनका मूल्य 2.50 रु० प्रति वर्गमीटर से अधिक नहीं है ।	6.25 प्रतिशत मूल्यानुसार

1	2	3	4
2.	1(1)	कम्बल, जिनका मूल्य 4 रु० प्रति वर्गमीटर से अधिक नहीं है	6.25 प्रतिशत मूल्यानुसार
3.	1(1) और 1(क)	अन्य सूती कपड़े	12.5 प्रतिशत मूल्यानुसार
4.	1(1)	उपर्युक्त क्र० सं० 1 और 2 के सामने विनिर्दिष्ट कपड़ों के टुकड़े	4.0 प्रतिशत मूल्यानुसार
5.	1(1) और 1(1क)	उपर्युक्त क्रम सं० 3 के सामने विनिर्दिष्ट कपड़ों के टुकड़े	7.5 प्रतिशत मूल्यानुसार
6.	1(1)	उपर्यक्त क्र० सं० 1 और 2 के सामने विनिर्दिष्ट कपड़ों के चिथड़े	2.0 प्रतिशत मूल्यानुसार
7.	1(1) और 1(1क)	उपर्यक्त क्र० सं० 3 के सामने विनिर्दिष्ट कपड़ों के चिथड़े	4.0 प्रतिशत मल्यानुसार

स्पष्टीकरण :— इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए :—

(क) "टुकड़े" अभिव्यक्ति से अभिप्रेत है,—

(i) विनिर्माण (जिसमें प्रैस संस्करण भी सम्मिलित है) या पैक करने या नमूने लेने के प्रसामान्य अनुक्रम के दौरान निकले कपास के तन्तुकृतों के वस्तुतः कटे टुकड़े (जिनके अन्तर्गत तौलियों के कटे टुकड़े नहीं आते जो, जहां तन्तुकृत की चौड़ाई एक मोटर या उससे अधिक हो वहां, 45 सैंटीमीटर या उससे अधिक किन्तु 90 सेंटीमीटर से अनधिक लम्बे हों, और जहां तन्तुकृत की चौड़ाई एक मीटर से कम हो वहां, 65 सेंटीमीटर या उससे अधिक किन्तु 135 सेंटीमीटर से अनधिक लम्बे हों ;

(ii) क्षत कपास के तन्तुकृत (जिनके अन्तर्गत क्षत तौलिये नहीं आते), जो, जहां तन्तकृत की चौड़ाई एक मीटर या उससे अधिक हो, वहां 45 सैंटीमीटर या उससे अधिक किन्तु 90 सेंटीमीटर से अनधिक लम्बे हों और जहां तन्तुकृत की चौड़ाई एक मीटर से कम हो वहां, 65 सैंटीमीटर या उससे अधिक किन्तु 135 सेंटीमीटर से अनधिक लम्बे हों; और

(iii) क्षत धोतियों या साड़ियों के कटे टकड़े, जो, जहां तन्तुकृत की चौड़ाई एक मीटर या उससे अधिक हो वहां, 45 सैंटीमीटर या उससे अधिक किन्तु 90 सेंटीमीटर से अनधिक लम्बे हों और जहां तन्तुकृत की चौड़ाई एक मीटर से कम हो वहां, 65 सेंटीमीटर या उससे अधिक किन्तु 135 सेंटीमीटर से अनधिक लम्बे हों।"

(ख) "चिथड़े" अभिव्यक्ति से अभिप्रेत है,—

(i) विनिर्माण (जिसमें प्रसंस्करण भी सम्मिलित है) या पैक करने या नमूने लेने के प्रसामान्य अनुक्रम के दौरान निकले कपास के तन्तुकृतों के वस्तुतः कटे टकड़ों, जो जहां तन्तुकृत की चौड़ाई एक मीटर या उससे अधिक हो वहां, 23 सेंटीमीटर से अधिक किन्तु 45 सेंटीमीटर से कम लम्बे हों और जहां तन्तुकृत की चौड़ाई एक मीटर से कम हो वहां, 23 सेंटीमीटर से अधिक किन्तु 65 सेंटीमीटर से कम लम्बे हों, और

(ii) क्षत या निम्नतर कपास के तन्तुकृतों के कटे टकड़े, जो जहां तन्तुकृत की चौड़ाई एक मीटर या उससे अधिक हो वहां, 23 सेंटीमीटर से अधिक किन्तु 35 सेंटीमीटर से कम लम्बे हों और जहां तन्तुकृत की चौड़ाई एक मीटर से कम हो वहां, 23 सेंटीमीटर से अधिक किन्तु 65 सेंटीमीटर से कम लम्बे हों ;

[सं० 52/73]

G.S.R. 116 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts fents and rags of cotton fabrics of the description specified in column (2) of the Table hereto annexed and falling under sub-item I(2) of Item No. 19 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty specified in the corresponding entry in column (3) or column (4), as the case may be, of the said Table.

THE TABLE

S.No.	Description	Fents	Rags
1	2	3	4
		Rs. per kilomgram	
1.	Superfine fabrics—		
	(a) grey	0·60	0·30
	(b) bleached or dyed or both	2·00	1·00
	(c) processed, other than bleached or dyed or both	4·00	2·00
2.	Fine fabrics—		
	(a) grey	0·30	0·15
	(b) bleached or dyed or both	1·00	0·50
	(c) processed, other than bleached or dyed or both	2·00	1·00
3.	Medium—A fabrics—		
	(a) grey	Nil	Nil
	(b) bleached or dyed or both	0·10	0·05
	(c) processed, other than bleached or dyed or both.	0·50	0·25
4.	Medium—B fabrics—		
	(a) grey.	Nil	Nil
	(b) bleached or dyed or both	Nil	Nil
	(c) processed, other than bleached or dyed or both.	0·10	Nil

2	3	4
Coarse fabrics—		
(a) grey.	Nil	Nil
(b) bleached or dyed or both	Nil	Nil
(c) processed, other than bleached or dyed or both	0·10	Nil
Cotton fabrics specified below:		
(a) Cotton fabrics generally described as malime type fabrics or fabrics in which the warp and weft yarn are connected and fastened together by chain stitches barred against each other.	1·10	Nil
(b) Non-woven bonded fabrics which are webs or mats of fibres held together by bonding materials or by any other process	0·10	Nil

planation:—For the purposes of this notification, the expressions "fents" and "rags" shall have the meanings respectively assigned to them in the Explanation to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 52/73-Central Excises, dated the 1st March, 1973.

[No. 53/73]

सा० का० नि० 116(अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-'(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा इससे उपा-ारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वर्णन के और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक यम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 19 की उप-मद के अन्तर्गत आने वाले सूती कपड़े के टुकड़ों और चिथड़ों को उन पर उदग्रहणीय उत्पाद-शुल्क से जितना उक्त सारणी के, यथास्थिति, स्तम्भ (3) या (4) में ो प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक है, छूट देती है ।

सारणी

वर्णन	टुकड़े	चिथड़े
2	3	4
	रु० प्रति	किलोग्राम
सुपरफाइन कपड़ा—		
(क) कोरे	0.60	0.30
(ख) विरंजित या रंगे हुए या दोनों .	2.00	1.00
(ग) विरंजित या रंगे हुए या दोनों से भिन्न प्रसंस्कृत	4.00	2.00

1	2	3	4
2.	फाइन कपड़े		
	(क) कोरे	0.30	0.15
	(ख) विरंजित या रंगे हुए या दोनों . .	1.00	0.50
	(ग) विरंजित या रंगे हुए या दोनों से भिन्न प्रसंस्कृत . . .	2.00	1.00
3.	मध्यम क कपड़े—		
	(क) कोरे	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	(ख) विरंजित या रंगे हुए या दोनों	0.10	0.05
	(ग) विरंजित या रंगे हुए या दोनों से भिन्न प्रसंस्कृत	0.50	0.25
4.	मध्यम-ख कपड़े—		
	(क) कोरे	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	(ख) विरंजित या रंगे हुए या दोनों	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	(ग) विरंजित या रंगे हुए या दोनों से भिन्न प्रसंस्कृत	0.10	कुछ नहीं
5.	मोटे कपड़े—		
	(क) कोरे	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	(ख) विरंजित या रंगे हुए या दोनों	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	(ग) विरंजित या रंगे हुए या दोनों से भिन्न प्रसंस्कृत	0.10	कुछ नहीं
6.	नीचे विनिर्दिष्ट सूती कपड़े—		
	(क) सूती कपड़े जो साधारणतः मलाइम किस्म के कहे जाते हैं या वे कपड़े जिन में ताने तथा बाने के धागे एक-दूसरे से रोकते हुए जंजीर-नुमा टांकों से आपस में जुड़े और बंधे रहते हैं ।	0.10	कुछ नहीं
	(ख) बिना बने बंदित कपड़े जिन में फाइबर के बैबया मैट किसी बन्धक पदार्थ से या किसी अन्य प्रक्रिया से आपस में बन्धे हों ।	0.10	कुछ न

स्पष्टीकरण.—इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ "टुकड़े" और "चिथड़े" अभिव्यक्तियों के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उन्हें भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 52/73—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1973 के स्पष्टीकरण में दिये गए हैं ।

[सं० 53/7

G.S.R. 117 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby exempts fents and rags of cotton fabrics of the description specified in column (2) of the Table hereto annexed and falling under sub-item I(2) of Item No. 19 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the additional excise duty leviable thereon under the first mentioned Act, as is in excess of the duty specified in the corresponding entry in column (3) or column (4), as the case may be, of the said Table.

THE TABLE

S. No.	Description	Fents	Rags
1	2	3	4
		Paise per	*kilogram*
1.	Superfine fabrics	80	40
2.	Fine fabrics	50	25
3.	Medium-A fabrics	20	10
4.	Medium-B fabrics	15	Nil
5.	Coarse fabrics	10	Nil
6.	Cotton fabrics specified below :—		
	(a) Cotton fabrics generally described as malime type fabrics or fabrics in which the warp and weft yarn are connected and fastened together by chain stitches barred against each other.	15	Nil
	(b) Non-woven bonded fabrics which are webs or mats or fibres held together by bonding materials or by any other process.	15	Nil

Explanation.— For the purposes of this notification, the expression "fents" and "rags" shall have the same meanings respectively assigned to them in the Explanation to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 52/73-Central Excises, dated the 1st March, 1973.

[No. 54/73.]

सा०का०नि० 117(अ).—अतिरिक्त उत्पादन-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वर्णन के और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 19 की उप-मद 1(2) के अन्तर्गत आने वाले सूती कपड़ों के टुकड़ों और चिथड़ों को, प्रथम वर्णित अधिनियम के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उतने अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना उक्त सारणी के, यथास्थिति, स्तम्भ (3) या स्तम्भ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक है।

सारणी

क्र०सं०	वर्णन	टुकड़े	चिथड़े
		पैसे प्रति किलोग्राम	
1.	सुपरफाइन कपड़े	80	50
2.	फाइन कपड़े	50	25
3.	मध्य-क कपड़े	20	20
4.	मध्यम-ख कपड़े	15	कुछ नहीं
5.	मोटे कपड़े	10	कुछ नहीं
6.	नीचे विनिर्दिष्ट सूती कपड़े—		
	(क) सूती कपड़े जो साधारणतः मलाइम किस्म के कहे जाते हैं या वे कपड़े जिनमें ताने तथा बाने धागे एक-दूसरे से रोकने हुए जंजीरनुमा टांकों से आपस में जुड़े और बंधे रहते हैं	15	कुछ नहीं
	(ख) बिना बुने बंदित कपड़े जिन में फाइबर के वेब या मैट किसी बन्धक पदार्थ से या किसी अन्य प्रक्रिया से आपस में बंधे हो ।	15	कुछ नही

स्पष्टीकरण:—इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ "टुकड़े" और "चिथड़े" अभिव्यक्तियों के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उन्हें भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 52/73—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1973 के स्पष्टीकरण में दिये गए हैं ।

[सं० 54/73]

G.S.R. 118 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule(1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts fents and rags of cotton fabrics of the description specified in column (2) of the Table hereto annexed, and resulting out of such fabrics manufactured on a handloom or produced by factories working under the special procedure laid down in Rule 96-I of the said rules, and processed with the aid of power, from so much of the duty leviable thereon under sub-item I(2) of Item No. 19 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), as is in excess of the duty specified in the corresponding entry in column (3) or column (4), as the case may be, of the said Table.

THE TABLE

S.No.	Description	Fents	Rags
1	2	3	4
		Rupees per kilogram	
1.	Superfine fabrics	2·20	1·10
2.	Fine fabrics	1·10	0·55
3.	Medium-A fabrics	0·10	0·05

1	2	3	4
4.	Medium-B fabrics—		
	(a) Bleached or dyed or both	Nil	Nil
	(b) Others	0·10	Nil
5.	Coarse fabrics—		
	(a) Bleached or dyed or both	Nil	Nil
	(b) Others	0·10	Nil

Explanation :— For the purposes of this notification, the expressions "fents" and "rags" shall have the meanings respectively assigned to them in the Explanation to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 52/73-Central Excises, dated the 1st March, 1973.

[No. 55/73.]

सा० का० नि० 118 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वर्णन के, जो हाथकरघे पर विनिर्मित या उक्त नियमों के नियम 96-I में दी गई विशेष प्रक्रिया के अधीन कार्य करने वाले कारखानों द्वारा उत्पादित और बिजली की सहायता से प्रसंस्कृत हों, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 10 की उप-मद 1(2) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उतने शुल्क से जितना उक्त सारणी के यथास्थिति, स्तम्भ (3) या स्तम्भ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक है, छूट देती है।

सारणी

क्र०सं०	वर्णन	टुकड़े	चिथड़े
1	2	3	4
		रुपये प्रति किलोग्राम	
1.	सुपरफाइन कपड़े	2.20	1.10
2.	फाइन कपड़े	1.10	0.55
3.	मध्यम -क कपड़े	0.10	0.05
4.	मध्यम-ख कपड़े—		
	(क) विरंजित या रंगे हुए या दोनों	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	(ख) अन्य	0.10	कुछ नहीं

1	2	3	4
5	मोटे कपड़े—		
	(क) चित्रंजित या रंगे हुए या दोनों	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	(ख) अन्य	0.10	कुछ नहीं

स्पष्टीकरण:—इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ "टुकड़े" और "चिथड़े" अभिव्यक्तियों के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उन्हें भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 52/73-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1973 के स्पष्टीकरण में दिये गए हैं।

[सं० 55/73]

G.S.R. 119 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempt cotton fabrics falling under sub-item I(1) of Item 19 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and specified in column (2) of the Table hereto annexed from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table :

THE TABLE

S. No.	Description	Duty
1	2	3
1.	Cotton fabrics, other than blankets—	
	(a) not exceeding Rs. 2·50 per square metre in value	5 per cent *ad valorem*.
	(b) exceeding Rs. 2·50 per square metre in value	10 per cent *ad valorem*.
	Blankets—	
	(a) not exceeding Rs. 4·00 per square metre in value	5 per cent *ad valorem*.
	(b) exceeding Rs. 4·00 per square metre in value	10 per cent *ad valorem*.
3.	Fents	4 per cent *ad valorem*.
4.	Rags	2 per cent *ad valorem*.

Provided that nothing contained in this notification shall apply to cotton fabrics which in the grey stage are manufactured in a composite mill.

Explanation —For the purposes of this notification—

(a) the expression "composite mill" means a manufacturer who is engaged in spinning of cotton twist, yarn or thread, or weaving of cotton fabrics or processing of cotton fabrics with the aid of power and has a proprietary interest in at least two of such manufacturing activities;

(2) the expressions "fents" and "rags" shall have the meanings respectively assigned to them in the Explanation to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 52/73-Central Excises, dated the 1st March, 1973.

[No. 56/73.]

सा० का० नि० 119 (अ):—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 19 की उप-मद 1(i) के अन्तर्गत आने वाली और इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सूती कपड़ों को उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से जितना कि उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक है, छूट देती है ।

सारणी

क्र० सं०	वर्णन	शुल्क
1	2	3
1.	कम्बलों से भिन्न सूती कपड़े—	
	(क) जिनका मूल्य 2.50 रु० प्रति वर्ग मीटर से अधिक नहीं है ।	5 प्रतिशत मूल्यानुसार
	(ख) जिनका मूल्य 2.50 रु० प्रति वर्ग मीटर से अधिक है ।	10 प्रतिशत मूल्यानुसार
2	कम्बल—	
	(क) जिनका मूल्य 5.00 रु० प्रति वर्ग मीटर से अधिक नहीं है ।	5 प्रतिशत मूल्यानुसार
	(ख) जिनका मूल्य 4.00 रु० प्रति वर्ग मीटर से अधिक है ।	10 प्रतिशत मूल्यानुसार
3.	टुकड़े	4 प्रतिशत मूल्यानुसार
4.	चिथड़े	2 प्रतिशत मूल्यानुसार

परन्तु इस अधिसूचना में की कोई बात ऐसे सूती कपड़ों को लागू नहीं होगी जो किसी संयुक्त मिल में कोरे स्तर पर विनिर्मित हों ।

स्पष्टीकरण .—इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ—

(i) संयुक्त मिल से ऐसा विनिर्माता अभिप्रेत है जो बिजली की सहायता से सूती बटे हुए धागे या डोरे को कातने या सूती कपड़े बुनने या सूती कपड़ों को प्रसंस्कृत करने में लगा हुआ हो और जिसका कम से कम ऐसी दो विनिर्माण प्रक्रियाओं में स्वत्वधारी हित है ।

(ii) 'टुकड़े" और "चिथड़े" अभिव्यक्तियों के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उन्हें भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 52/73–केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1973 के स्पष्टीकरण में दिए गए है ।

[सं० 56/73.]

G.S.R. 120(E)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duty of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby exempts fents and rags of cotton falling fabrics under sub-item I(2) of Item No. 19 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944)] resulting out of further processing of processed cotton fabrics on which appropriate additional duty of excise leviable under the first mentioned Act has been paid, from the whole of the additional duty of excise leviable thereon.

Explanation :—For the purposes of this notification, expression "fents" and "rags" shall have the meanings respectively assigned to them in the Explanation to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 52/73-Central Excises, dated the 1st March, 1973.

[No. 57/73.]

सा०का०नि० 120(अ).—अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा सूती कपड़ों के टुकड़े और चिथड़े [केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की मद सं० 19 की उप-मद 1(2) के अन्तर्गत आने वाले] जो प्रसंस्कृत सूती कपड़ों की और प्रसंस्करण के फलस्वरूप है तथा जिन पर प्रथम वर्णित अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय समुचित अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क दे दिया गया है, उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद्-शुल्क से छूट देती है ।

स्पष्टीकरण.—इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ "टुकड़े" और "चिथड़े" अभिव्यक्तियों के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उन्हें भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 52/73–केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1973 के स्पष्टीकरण में दिये गए हैं ।

[सं० 57/73.]

G.S.R. 121(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendments to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 175/72-Central Excises, dated the 24th July, 1972, namely :—

In the said notification, for the existing provisos and the Explanation, the following provisos and Explanation shall be substituted, namely :—

"Provided that—

(i) the duty payable on rayon or artificial silk fabrics processed with the aid of machines operated without the aid of power or steam, other than the process of calendering with plain rollers, whether done with or without the aid of power or steam, shall be reduced by forty percent;

(ii) the duty payable on each consignment of rayon or artificial silk fabrics shall be reduced by five percent, if such fabrics are cleared from the processing factory without cutting any fents, rags, chindies or any portion of these fabrics, whether damaged or not ; and

(iii) nothing contained in this notification shall apply to fents and rags.

Explanation :—For the purposes of this notification,—

(i) the expression "processed" means any process which is ordinarily conducted with the aid of machines whether operated with or without the aid of power or steam;

(ii) the expression "fents" means—

(a) *bona fide* cut-pieces of rayon or artificial silk fabrics of length 45 centimetres or more but not exceeding 90 centimetres where the width of the fabric is one metre or more, and of length 65 centimetres or more but not exceeding 135 centimetres where the width of the fabric is less than one metre, arising during the normal course of manufacturing (including processing) or packing or drawing samples; and

(b) damaged rayon or artificial silk fabrics of length 45 centimetres or more but not exceeding 90 centimetres where the width of the fabric is one metre or more and of length 65 centimetres or more but not exceeding 135 centimetres where the width of the fabric is less than one metre.

(iii) the expression "rags" means—

(a) *bona fide* cut-pieces of rayon or artificial silk fabrics of length more than 23 centimetres but less than 45 centimetres where the width of the fabric is 1 metre or more, and of length more than 23 centimetres but less than 65 centimetres where the width of the fabric is less than 1 metre, arising during the normal course of manufacturing (including processing) or packing or drawing samples; and

(b) cut pieces of damaged or sub-standard rayon or artificial silk fabrics of length more than 23 centimetres but less than 45 centimetres where the width of the fabric is one metre or more and of length more than 23 centimetres but less than 65 centimetres where width of the fabric is less than one metre.

[No. 58/73]

सा० का० नि० 121(अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 175/72-

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 24 जुलाई, 1972, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में वर्तमान परन्तुक और स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक और स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु यह कि—

(i) सादे रौखरों से कलैण्डरिंग करने की प्रक्रिया से भिन्न, बिजली या भाप की सहायता के बगैर चलाए जाने वाली मशीनों की सहायता से प्रसंस्कृत रेयन या कृत्रिम सिल्क के कपड़े भले ही बिजली या भाप की सहायता से या उसके बगैर किया गया हो, पर देय शुल्क 40 प्रतिशत कम कर दिया जाएगा;

(ii) रेयन या कृत्रिम सिल्क के कपड़े ऐसे प्रत्येक परेषण के संबंध में यदि ऐसे कपड़ों की निकासी, चाहे वह क्षत हुए हों या नहीं, प्रसंस्कृत कारखाने से कोई टुकड़े, चिथड़े, चिंदियां या किसी भाग को काटे बिना होती है तो संदेय शुल्क 5 प्रतिशत कम कर दिया जाएगा; और

(iii) इस अधिसूचना में की कोई बात टुकड़ों और चिथड़ों पर लागू नहीं होगी।

स्पष्टीकरण.—इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ,—

(i) "प्रसंस्कृत" अभिव्यक्ति से ऐसी मशीनों की सहायता से जो भले ही बिजली या भाप से या उसके बगैर चलाई जाती हो, सामान्यतः चलाई जाने वाली कोई प्रक्रिया अभिप्रेत है ।

(ii) "टुकड़े" अभिव्यक्ति से अभिप्रेत है,—

(क) विनिर्माण (जिसमें प्रसंस्करण भी सम्मिलित है) या पैक करने या नमूने लेने के प्रसामान्य अनुक्रम के दौरान निकले कृत्रिम रेशम के तन्तुओं के वस्तुतः कटे टुकड़े जहां तन्तुकृत की चौड़ाई एक मीटर या उससे अधिक हो वहां, 45 सेंटीमीटर या उससे अधिक किन्तु 90 सेंटीमीटर से अनधिक लम्बे हों और जहां तन्तुकृत की चौड़ाई एक मीटर से कम हो वहां 65 सेंटीमीटर या उससे अधिक किन्तु 135 सेंटीमीटर से अनधिक लम्बे हों; और

(ख) क्षत केवल कृतसिल्क के तन्तुकृत, जो, जहां तन्तुकृत की चौड़ाई एक मीटर या उससे अधिक हो, वहां, 45 सेंटीमीटर या उससे अधिक किन्तु 90 सेंटीमीटर से अनधिक लम्बे हों और जहां तन्तुकृत की चौड़ाई एक मीटर से कम हो वहां 65 सेंटीमीटर या उससे अधिक किन्तु 135 सेंटीमीटर से अनधिक लम्बे हों।

(iii) "चिथड़े" अभिव्यक्ति से अभिप्रेत है,—

(क) विनिर्माण (जिसमें प्रसंस्करण भी सम्मिलित है) या पैक करने या नमूने लेने के प्रसामान्य अनुक्रम के दौरान निकले रेयन या कृत्रिम शिल्क के तन्तुओं के वस्तुतः कटे टुकड़े, जो, जहां तन्तुकृत की चौड़ाई एक मीटर या उससे अधिक हो वहां 23 सेंटीमीटर से अधिक किन्तु 45 सेंटीमीटर से कम लम्बे हों और जहां तन्तुकृत की चौड़ाई एक मीटर से कम हो वहां 23 सेंटीमीटर से अधिक किन्तु 65 सेंटीमीटर से कम लम्बे हों; और

(ख) क्षत या निम्नस्तर रेयन या कृत्रिम शिल्क के तन्तुकृतों के कटे टुकड़े जो तन्तुकृत की चौड़ाई एक मीटर या उससे अधिक हो, वहां, 23 सेंटीमीटर से अधिक किन्तु 45 सेंटीमीटर से कम लम्बे हो और जहां तन्तुकृत की चौड़ाई एक मीटर से कम हो वहां, 23 सेंटीमीटर से अधिक किन्तु 65 सेंटीमीटर से कम लम्बे हों।"

[सं० 58/73]

G.S.R. 122 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby makes the following further amendment to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance(Department of Revenue and Insurance) No. 179/72-Central Excises, dated he 24th July, 1972, namely :—

In the said notification, for the existing provisos and the Explanation, the following provisos and Explanation shall be substituted, namely :—

"Provided that—

(i) the duty payable on rayon or artificial silk fabrics processed with the aid of machines operated without the aid of power, or steam, other than the process of calendering with plain rollers, whether done with or without the aid of power or steam, shall be reduced by forty percent;

(ii) the duty payable on each consignment of rayon or artificial silk fabrics shall be reduced by five percent if such fabrics are cleared from the processing factory without cutting any fents, rags, chindies or any portion of these fabrics, whether damaged or not; and

(iii) nothing contained in this notification shall apply to fents and rags.

Explanation.— For the purposes of this notification the expressions "processed", "fents" and "rags" shall have the same meanings respectively assigned to them in the Explanation to the Notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 175/72-Central Excise dated the 24th July, 1972."

[No. 59/73.]

सा०का०नि० 122 (अ).—अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, भारत

सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 179/72–केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 24 जुलाई, 1972 में एतद्द्वारा और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में वर्तमान परन्तुक और स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक और स्पष्टीकरण रखा जाएगा,' अर्थात्:—

"परन्तु यह कि—

(i) सादे रौलरों से कलैण्डरिंग करने की प्रक्रिया से भिन्न, बिजली या भाप की सहायता के बगैर चलाए जाने वाली मशीनों की सहायता से प्रसंस्कृत रेयन या कृत्रिम सिल्क के कपड़े भले ही बिजली या भाप की सहायता से या उसके बगैर किया गया हो पर देय शुल्क चालीस प्रतिशत कम कर दिया जाएगा;

(ii) रेयन या कृत्रिम सिल्क के कपड़े ऐसे प्रत्येक परेषण के संबंध में यदि ऐसे कपड़ों की निकासी, चाहे वह क्षत हुए हों या नहीं, प्रसंस्कृत कारखाने से कोई टुकड़े, चिथड़े, चिंदियां या किसी भाग को काटे बिना होती है तो संदेय शुल्क 5 प्रतिशत कम कर दिया जाएगा; और

(iii) इस अधिसूचना में की कोई बात टुकड़ों और चिथड़ों पर लागू नहीं होगी।

स्पष्टीकरण.—इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ "प्रसंस्कृत", "टुकड़े" और "चिथड़े" अभिव्यक्तियों के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उन्हें भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 175/72–केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 24 जुलाई, 1972 के स्पष्टीकरण में दिये गए हैं।

[सं० 59/73.]

G. S. R. 123 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts fents and rags of processed rayon and artificial silk fabrics of the description specified in column (2) of the Table hereto annexed and falling under sub-item (1) of Item No. 22 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) from so much of the duty of excise leviable thereon as in excess of the duty specified in the corresponding entry in column (3) or column (4), as the case may be, of the said Table.

THE TABLE

S. No.	Description	Fents	Rags
1	2	3	4
1	Processed rayon or artificial silk fabrics.		
	(a) containing 50 per cent or more by weight of—	7·5 per cent. *ad valorem*	4·0 per cent. *ad valorem*
	(i) polyester fibre or yarn or both; or		

1	2	3	4
	(ii) acrylic fibre or yarn or both; or (iii) a combination of (i) and (ii)		
	(b) containing 30 percent or more but less than 50 per cent by weight of— (i) polyester fibre or yarn or both; (ii) acrylic fibre or yarn or both; or (iii) a combination of (i) and (ii), but excluding fents, or as the case may be, rags, of fabrics containing more than 50 percent by weight of polyamide fibre or yarn or both.	5·0 percent. *ad valorem*	2·5 percent *ad valorem*
	(c) containing more than 50 per cent by weight of polyamide fibre or yarn or both.	3·0 per cent. *ad valorem*	1·0 per cent. *ad valorem*
	(d) containing 30 per cent or more but not more than 50 per cent by weight of polyamide fibre or yarn or both, but excuding fents or as the case may be rags, of fabrics containing 30 percent or more but less than 50 percent by weight of— (i) polyester fibre or yarn or both; (ii) acrylic fibre or yarn or both; or (iii) a combination of (i) and (ii)	2·0 per cent *ad valorem*	1·0 percent *ad valorem*
2	Other processed rayon or artificial silk fabrics.	1·0 percent. *ad valorem*	nil

Explanation:—For the purposes of this notification, the expressions "processed", "fents" and "rags" shall have the meanings respectively assigned to them in the Explanation to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 175/72 Central Excises, dated the 24th July, 1972.

[No. 60/73.]

सा० का० नि० 123 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वर्णन के और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 22 की उप-मद (1) के अन्तर्गत आने वाले प्रसंस्कृत रेयन और कृत्रिम सिल्क कपड़ों के टुकड़ों और चिथड़ों को उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से जितना उक्त सारणी के तत्स्थानी प्रविष्टियों में यथास्थिति, क्रम सं० (3) और (4) में विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक है, छूट देती है ।

सारणी

क्र० सं०	वर्णन	टुकड़े	चिथड़े
1	2	3	4
1.	प्रसंस्कृत रेयन या कृत्रिम सिल्क कपड़ा—		
	(क) जिसमें वजन के अनुसार 50 प्रतिशत या उससे अधिक हों . . .	7.5 प्रतिशत मूल्यानुसार	4.0 प्रतिशत मूल्यानसार
	(i) पौलिस्टर फाइबर या धागा या दोनों;		
	(ii) एक्रिलिक फाइबर या धागा या दोनों; या		
	(iii) (i) और (ii) का मिश्रण		
	(ख) जिसमें निम्नलिखित वजन के अनुसार 30 प्रतिशत या अधिक किन्तु 50 प्रतिशत से कम हो।	5.0 प्रतिशत मूल्यानुसार	2.5 प्रतिशत मूल्यानुसार
	(i) पौलिस्टर फाइबर या धागा या दोनों;		
	(ii) एक्रिलिक फाइबर या धागा या दोनों; या		
	(iii) (i) और (ii) का मिश्रण लेकिन टुकड़े, यथास्थिति; ऐसे कपड़े जिन में वजन के अनुसार पौलिमाइड फाइबर या धागा या दोनों 50 प्रतिशत से अधिक हों, के चिथड़े छोड़कर।		
	(ग) जिसमें वजन के अनुसार पौलिमाइड फाइबर या धागे या दोनों 50 प्रतिशत से अधिक हों। . . .	3.0 प्रतिशत मूल्यानुसार	1.0 प्रतिशत मूल्यानुसार

1	2	3	4
	(घ) जिसमें वजन के अनुसार पौलिमाइड फाइबर या धागे या दोनों 30 प्रतिशत या उससे अधिक किन्तु 50 प्रतिशत से कम हों लेकिन, यथास्थिति टुकड़े और ऐसे कपड़े जिन में निम्नलिखित वजन के अनुसार 30 प्रतिशत या अधिक किन्तु 50 प्रतिशत से कम हो, के चिथड़े ।	2.0 प्रतिशत मूल्यानुसार	1·0 प्रतिशत मूल्यानुसार
	(i) पौलिस्टर फाइबर या धागा या दोनों;		
	(ii) एक्रिलिक फाइबर या धागा या दोनों; या		
	(iii) (i) और (ii) का मिश्रण ।		
2.	अन्य प्रसंस्कृत रेयन या कृत्रिम सिल्क कपड़े	1.0 प्रतिशत मूल्यानुसार ।	कुछ नहीं।

स्पष्टीकरण:—इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ "प्रसंस्कृत", "टुकड़े" और "चिथड़े" अभिव्यक्तियों के क्रमश: वही अर्थ होंगे जो उन्हें भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 175/72—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 24 जुलाई, 1972 के स्पष्टीकरण में दिये गए हैं।

[सं० 60/73.]

G.S.R. 124 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby exempts fents and rags of processed rayon or artificial silk fabrics of the description specified in column (2) of the Table hereto annexed and falling under sub-item (1) of Item No. 22 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the additional excise duty leviable thereon as is in excess of the duty specified in the corresponding entry in column (3) or column (4), as the case may be, of the said Table.

THE TABLE

S. No.	Description	Fents	Rags
1	2	3	4
1.	Processed rayon or artificial silk fabrics—		
	(a) containing 50 percent or more by weight of—	2·5 per cent. *ad valorem*	1·0 per cent. *ad valorem*
	(i) polyester fibre or yarn or both;		

1	2	3	
	(ii) acrylic fibre or yarn or both; or		
	(iii) a combination of (i) and (ii)		
	(b) containing 30 percent or more but less than 50 per cent by weight of—	2·5 percent *ad valorem*	1·0 per cent *ad valorem*
	(i) Polyester fibre or yarn or both;		
	(ii) acrylic fibre or yarn or both; or		
	(iii) a combination of (i) and (ii)		
	but excluding fents, or as the case may be, rags, of fabrics containing more than 50 per cent by weight of polyamide fibre or yarn or both.		
	(c) containing more than 50 percent. by weight of polyamide fibre or yarn or both.	1·0 per cent *ad valorem*	0·5 per cent *ad valorem*
	(d) containing 30 percent or more but not more than 50 percent, by weight of polyamide fibre or yarn or both, but excluding fents, or as the case may be, rags, of fabrics containing 30 per cent or more but less than 50 per cent. by weight of—	1·0 per cent. *ad valorem*	0·5 per cent *ad valorem*
	(i) polyester fibre or yarn or both;		
	(ii) acrylic fibre or yarn or both; or		
	(iii) a combination of (i) and (ii)		
2.	Other processed rayon or artificial silk fabrics	0·5 per cent. *ad valorem.*	nil

Explanation.—The expressions "processed", "fents" and "rags" shall have the meanings respectively assigned to them in the Explanation to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 175/72. Central Excises dated the 24th July, 1972.

[No. 61/73].

सा० का० नि० 124(अ).—अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उप-धारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वर्णन के और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 22 की उप-मद (i) के अन्तर्गत आने वाले प्रसंस्कृत रेयन या कृत्रिम सिल्क कपड़े के टुकड़ों और चिथड़ों को उन पर उद्ग्रहणीय उतने अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना उक्त सारणी के, यथास्थिति, स्तम्भ (3) या स्तम्भ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक है ।

सारणी

क्र० सं०	वर्णन	टुकड़े	चिथड़े
1	2	3	4
1.	असंस्कृत रेयन या कृत्रिम सिल्क कपड़े—		
	(क) जिसमें वजन के अनुसार 50 प्रतिशत या उससे अधिक हों	2.5 प्रतिशत मूल्यानुसार	1.0 प्रतिशत मूल्यानुसार
	(i) पौलिस्टर फाइबर या धागा या दोनों;		
	(ii) एक्रिपलि फाइबर या धागा या दोनों; या		
	(iii) (i) और (ii) का मिश्रण		
	(ख) जिसमें निम्नलिखित वजन के अनुसार 30 प्रतिशत या अधिक किन्तु 50 प्रतिशत से कम हो। . .	2.5 प्रतिशत मूल्यानुसार	1.0 प्रतिशत मूल्यानुसार
	(i) पौलिस्टर फाइबर या धागा या दोनों;		
	(ii) एक्रमिक फाइबर या धागा या दोनों; या		
	(iii) (i) और (ii) का मिश्रण		
	लेकिन टुकड़े, यथास्थिति, ऐसे कपड़े जिन में वजन के अनुसार पौलिमाइड फाइबर या धागा या दोनों 50 प्रतिशत से अधिक हों, के चिथड़े छोड़कर ।		
	(ग) जिसमें वजन के अनुसार पौलिमाइड फाइबर या धागे या दोनों 50 प्रतिशत से अधिक हों ।	1.0 प्रतिशत मूल्यानुसार	0.5 प्रतिशत मूल्यानुसार

1	2	3	4
	(घ) जिसमें वजन के अनुसार पौलिमाइड फाइबर या धागे या दोनों 30 प्रतिशत या उससे अधिक किन्तु 50 प्रतिशत से कम हों लेकिन, यथास्थिति, टुकड़े और ऐसे कपड़े जिनमें निम्नलिखित वजन के अनुसार 30 प्रतिशत या अधिक किंतु 50 प्रतिशत से कम हो, के चिथड़े	1.0 प्रतिशत मूल्यानुसार	0.5 प्रतिशत मूल्यानुसार
	(i) पौलिस्टर फाइबर या धागा या दोनों;		
	(ii) एक्रिलिक फाइबर या धागा या दोनों; या		
	(iii) (i) और (ii) का मिश्रण		
2	अन्य प्रसंस्कृत रेयन या कृत्रिम सिल्क कपड़े	0.5 प्रतिशत मूल्यानुसार।	कुछ नहीं।

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ "प्रसंस्कृत", "टुकड़े" और "चिथड़े" अभिव्यक्तियों के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उन्हें भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 175/72-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 24 जुलाई, 1972 के स्पष्टीकरण में दिये गए हैं।

[सं० 61/73]

G.S.R. 125 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (2) and (3) of section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 138/70-Central Excises, dated the 13th June 1970, namely :—

In the said notification,—

(1) for the existing proviso before the Table, the following proviso shall be substituted, namely:— "Provided that nothing contained in this notification shall apply to fents and rags.,"

(2) after the Table the following Explanation shall be inserted, namely :—

"Explanation—For the purposes of this notification, the expressions "fents" and "rags" shal have the meanings respectively assigned to them in the Explanation to the notification of the Government of India in the Ministry of Finanse (Department of Revenue and Insurance) No. 175/72-Central Excises, dated the 24th July, 1972.

[No. 62/73]

सा० का० नि० 125 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 की उपधारा (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 138/70 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 13 जून, 1970, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

(1) सारणी से पहले वर्तमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु इस अधिसूचना में की कोई बात टुकड़ों और चिथड़ों पर लागू नहीं होगी ।

(2) सारणी के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—.

"स्पष्टीकरण:— इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ "टुकड़े" और "चिथड़े" अभिव्यक्तियों के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उन्हें भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना संख्या 175/72—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 24 जुलाई, 1972 के स्पष्टीकरण में दिये गए हैं ।

[सं० 62/7]

G.S.R.126(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts textile fabrics (other than such fabrics containing any two or more of the fibres specified in the Schedule hereto annexed) falling under Item No. 22AA of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon.

THE SCHEDULE

1. Cotton.
2. Silk.
3. Wool.
4. Jute (including Bimlipatam jute or mesta fibre).
5. Man-made fibres.
6. Flax.
7. Ramie.

[No. 62/73].

B. K. AGARWAL, Under Secy.

सा० का० नि० 126 (अ)—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा टैक्स्टाइल कपड़ें (इससे उपाबद्ध अनसूची में विनिर्दिष्ट किसी दो या अधिक फाइबर वाले कपड़ों से भिन्न कपड़ें) जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 22कक के अन्तर्गत आते हैं, उन पर उदग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से, छूट देती है ।

सारणी

1. कपास
2. सिल्क
3. ऊन
4. जूट (विम्लीपटटन जूट या मेस्टा तन्तू सम्मिलित हैं)
5. हाथ से बना तन्तु ।
6. फ्लैक्स
7. रमी

[सं० 63/73] ।

बी० के० अग्रवाल, अवर सचिव ।

(Department of Revenue and Insurance)

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 1st March 1973

GSR.127(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules 1944, the Central Government hereby exempts laboratory glassware falling under sub-item (2) of Item No. 23A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from, so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of five per cent. *ad valorem*

[No. 64/73.]

(राजस्व और बीमा विभाग)

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1973

सा० का० नि० 127(अ)—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा प्रयोगशाला में काम आने वाला

कांच का सामान, जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 23क की उप-मद (2) के अन्तर्गत आता है, उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से जितना पांच प्रतिशत मूल्यानसार से अधिक है, छूट देती है।

[सं 64/73]

G.S.R. 128(E)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules 944, the Central Government hereby exempts steel ingots falling under Item No. 26 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and manufactured with the aid of electric furnace from so much of the duty of excise leviable thereon, as is in excess of fifty rupees per metric tonne:

Provided that such steel ingots are manufactured from any of the following materials, namely :—

(a) old iron or steel melting scrap;

(b) a combination of the material referred to at (a) above with fresh unused steel melting scrap on which the appropriate duty of excise has been paid; and

(c) iron in any crude form falling under Item No. 25 of the said First Schedule on which the appropriae duty of excise has been paid, in combination with the materials referred to at (a) and (b) above.

[No. 65/73.]

सा० का० नि० 128(अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा इस्पात सिल्ली जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 26 के अन्तर्गत आती हैं और विद्युत भट्टी की सहायता से विनिर्मित हैं, उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से जितना प्रति मैट्रिक टन 50 रुपये से अधिक हो, छूट देती है :

परन्तु यह कि ऐसी इस्पात सिल्लियां निम्नलिखित सामग्री में से किसी से विनिर्मित हों, अर्थात् :—

(क) पुराना लोहा या इस्पात पिघलन रद्दी ;

(ख) उपर्युक्त (क) पर निर्दिष्ट सामग्री का नए अप्रयुक्त इस्पात पिघलन रद्दी का सम्मिश्रण जिस पर समुचित उत्पाद-शुल्क दे दिया गया हो ; और

(ग) उक्त प्रथम अनुसूची की मद सं० 25 के अन्तर्गत आने वाली किसी कच्चे रूप में लोहा जिस पर समुचित उत्पाद-शुल्क दे दिया गया है, उपर्युक्त (क) और (ख) में निर्दिष्ट सामग्रियों के मिश्रण में ।

[सं० 65/73]

G.S.R. 129 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts steel ingots falling under Item No. 26 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon:

Provided that—

(a) such steel ingots are manufactured exclusively from fresh unused steel melting scrap on which the appropriate duty of excise leviable under the aforesaid Item No. 26 of the said First Schedule has already been paid; and

(b) no set-off or proforma credit has been availed of in respect of the duty paid on such steel melting scrap used in the manufacture of such steel ingots.

[No. 66/73]

सा० का नि० 129(अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा इस्पात सिल्ली जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 26 के अन्तर्गत आती हैं, उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद शुल्क से, छूट देती है ।

परन्तु यह कि—

(क) ऐसी इस्पात सिल्लियां नये अप्रयुक्त इस्पात पिघलन रद्दी, जिस पर उक्त प्रथम अनुसूची की उपर्युक्त मद सं० 26 के अधीन उद्ग्रहणीय समुचित उत्पाद-शुल्क पहले ही दे दिया गया है, से मात्र विनिर्मित हैं ; और

(ख) ऐसी उत्पाद पिघलन रद्दी जो ऐसे इस्पात सिल्लियों के विनिर्माण में प्रयुक्त हुई है, के लिए संदत्त शुल्क की बाबत कोई मुजराई या प्रोफार्मा क्रडिट नहीं लिया गया है ।

[सं० 66/73]

G.S.R.130(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts iron or steel products falling under Item No. 26AA of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and specified in column (2) of the Table hereto annexed, from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty specified in the corresponding entries in column (3) of the said Table, subject to the conditions laid down in the corresponding entries in column (4) thereof.

THE TABLE

S.No.	Description	Duty	Conditions
1	2	3	4
		Rs. per m. tonne	
1.	All forms of semi-finished steel falling under sub-item (*i*) of Item 26AA—		
	(*a*) made from steel ingots on which duty at the appropriate rate has already been paid	65·00	NIL
	(*b*) Others	165·00	NIL
2.	All products falling under sub-item (*ia*) of Item 26AA (other than rails and sleeper bars covered by Sl. No. 3 below)—		
	(*a*) made from steel ingots on which duty at the appropriate rate has already been paid	65·00	NIL

1	2	3	4
	(*b*) made from semi-finished steel falling under sub-item (*i*) of Item 26AA on which appropriate duty of excise or additional duty under section 2A of the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), as the case may be, has already been paid	NIL	NIL
	(*c*) Others	165·00	NIL
3.	Rails and Sleeper bars—		
	(*a*) made from steel ingots or semi-finished steel on which duty at the appropriate rate has already been paid	NIL	If it is proved to the satifaction of the Collector of Central Excise that the rails or sleeper bars, as the case may be, are actually used for railway track and the procedure set out in Chapter X of the Central Excise Rules, 1944, is followed.
	(*b*) others	100·00	
4.	Steel castings—		
	(*a*) made from steel ingots or semi-finished steel on which duty at the appropriate rate has already been paid	NIL	NIL
	(*b*) others	100·00	NIL

Provided that in the case of the products mentioned against S. Nos. 1(*b*), 2(c), 3(b) and 4(b) of the aforesaid Table, manufactured with the aid of electric furnace from any of the following materials, namely:—

(*i*) old iron or steel melting scrap ;

(*ii*) a combination of the material referred to at (*i*) above with fresh unused steel melting scrap on which the appropriate duty of excise has been paid ; and

(*iii*) iron in any crude form falling under Item No. 25 of the said First Schedule on which the appropriate duty of excise has been paid, in combination with the materials referred to at (i) and (ii) above,

the duty specified against the corresponding entries in column (3) of the said Table shall be reduced by fifty rupees per metric tonne.

[No. 67/73]

सा० का० नि० 130(अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा लोहा और इस्पात के उत्पाद जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 26क क के अन्तर्गत आते हैं और इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट हैं, उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, से अधिक है, उसके स्तम्भ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में अधिकथित शर्त के अधीन, छूट देती है ।

सारणी

क्र० सं०	वर्णन	शुल्क	शर्तें
1	2	3	4
		रुपये प्रति मैट्रिक टन	
1.	सभी प्रकार के तैयारवत इस्पात जो मद 26कक की उप-मद (i) के अन्तर्गत आते हैं—		
	(क) ऐसी इस्पात सिल्ली से बना हो जिस पर शुल्क की उपयुक्त दर पहले ही दे दी गई हो . . .	65.00	कुछ नहीं
	(ख) अन्य . . .	165.00	कुछ नहीं
2.	मद 26कक की उप-मद (ii) के अन्तर्गत आने वाले सभी उत्पाद (नीचे की क्रम सं० 3 में आये रेल और स्लिपर बार से भिन्न)—		
	(क) ऐसे इस्पात सिल्लियों से बने जिस पर शुल्क की उपयुक्त दर पहले ही दे दी गई है . . .	65.00	कुछ नहीं
	(ख) मद 26कक की उप-मद (i) के अन्तर्गत आने वाला ऐसा तैयारवत् इस्पात से, बना जिस पर, यथास्थिति, उपयुक्त उत्पाद-शुल्क या भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की धारा 2क के अधीन अतिरिक्त शुल्क पहले ही दिया जा चुका है . . .	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	(ग) अन्य . . .	165.00	कुछ नहीं

1	2	3	4
3.	रेल और स्लिपर बार—		
	(क) ऐसे तैयारवत् इस्पात या इस्पात सिल्ली से बना जिस पर समुचित दर पर शुल्क पहले ही दे दिया गया है ।	कुछ नहीं	यदि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के कलक्टर के समाधानप्रद रूप में यह साबित हो जाये कि रेल या स्लिपर बार, यथास्थिति रेल मार्ग में वास्तविक प्रयुक्त किये जाने हैं तथा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अध्याय 10 में उपवर्णित प्रक्रिया का पलन किया गया है ।
	(ख) अन्य . . .	100.00	
4.	इस्पात ढलाई—		
	(क) ऐसी इस्पात सिल्ली या तैयारवत् इस्पात से बना हो जिस पर उपयुक्त दर पर शुल्क पहले ही दे दिया गया है ।	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	(ख) अन्य . . .	100.00	कुछ नहीं

परन्तु यह कि उपर्युक्त सारणी की क्रम सं० 1(ख), 2(ग), 3(ख) और 4(ख) के सामने वर्णित उत्पादनों की बाबत, जो विद्युत भट्टी की सहायता से निम्नलिखित सामग्रियों में से किसी एक से विनिर्मित हैं, अर्थात् :—

(i) पुराना लोहा या इस्पात पिघलन रद्दी ;

(ii) उपर्युक्त (i) में निर्दिष्ट सामग्री के नये अप्रयुक्त इस्पात पिघलन रद्दी के सम्मिश्रण से, जिस पर समुचित उत्पाद-शुल्क पहले ही दे दिया गया है ।

(iii) किसी कच्चे रूप में लोहा जो प्रथम अनुसूची की मद सं० 25 के अन्तर्गत आता है और जिस पर समुचित उत्पाद-शुल्क दे दिया गया है, के उपर्युक्त (i) और (ii) में निर्दिष्ट सामग्री के सम्मिश्रण से ।

उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में के सामने विनिर्दिष्ट शुल्क पचास रुपये प्रति मैट्रिक टन कम कर दिया जाएगा ।

[सं० 67/73]

G.S.R.131 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts iron or steel products falling under Item No. 26AA of the First Schedule to the Central Excsies and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and specified in column (2) of the Table hereto annexed, from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty specified in the corresponding entries incolumn (3) of the said Table, subject to the conditions laid down in the corresponding entries in column (4) thereof.

THE TABLE

S.No.	Description	Rate of duty	Conditions
1	2	3	4
		Rs. per] metric tonne	
1.	All products falling under sub-item (*ii*) of Item 26AA except uncoated plates, galvanised forms and galvanised plates and sheets, all sorts, including plain and corrugated—		
	(*a*) cold rolled sheets . . .	325·00	NIL
	(b) others	225.00	NIL
2.	Uncoated plates	175·00	NIL
3.	Galvanised plates and sheets, all sorts, including plain and corrugated. . .	425·00	NIL
4.	Flats—		
	(*a*) not exceeding 5 mm. in thickness .	225·00	NIL
	(*b*) exceeding 5 mm. but not exceeding 10 mm. in thickness. . . .	175·00	If the Collector of Central Excise is satisfied that such flats are not intended for use in the manufacture of pipes and tubes.

(c) exceeding 10 mm. in thickness .	165·00	NIL
5. Skelp	325·00	NIL
6. Strips—		
(a) strips of iron and steel not below 5 mm. but not exceeding 10mm. in thickness and of not less than 600 mm. in width.	175·00	NIL
(b) other cold rolled strips . . .	325·00	NIL
(c) other hot rolled strips . . .	225·00	NIL
7. Seamless pipes and tubes . . .	175·00	NIL

Provided that —

(a) in the case of the products mentioned in the aforesaid Table manufactured with the aid of electric furnace from any of the following materials, namely:—

(i) old iron or steel melting scrap ;

(ii) a combination of the material referred to at (i) above with fresh unused steel melting scrap on which the appropriate duty of excise has been paid ; and

(iii) iron in any crude form falling under Item No. 25 of the said First Schedule on which the appropriate duty of excise has been paid, in combination with the materials referred to at (i) and (ii) above,

the duty specified against the corresponding entries in column (3) of the said Table shall be reduced by fifty rupees per metric tonne.

(b) Where the products mentioned in the aforesaid Table are made from steel ingots or semi-finished steel, as the case may be, on which the appropriate duty of excise has already been paid, the duty specified in the corresponding entries in column (3) thereof shall be reduced by an amount equal to the duty of excise already paid on such steel ingots or semi-finished steel used in the manufacture of such products.

[No. 68/73]

सा० का० नि० 131(अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा लोहा और इस्पात उत्पाद जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की अनुसूची की मद सं० 26क्क के अन्तर्गत आते हैं और इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट हैं, उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक है, उस के स्तम्भ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में अधिकथित शर्तों के अधीन, छूट देती है ।

सारणी

क्र०सं०	वर्णन	शुल्क की दर	शर्तें
1	2	3	4
		(रुपये प्रति मैट्रिक टन)	
1.	अलेखित प्लेट, गैल्वेनाइज्ड रूप और गैल्वेनाइज्ड प्लेट और शीट, सभी प्रकार के, सादी और नालीदार सहित को छोड़ कर, मद 26क्क की उप-मद (ii) के अन्तर्गत आने वाले सभी उत्पाद—		
	(क) कोल्ड रोल्ड शीट . .	325.00	कुछ नहीं
	(ख) अन्य . . .	225.00	कुछ नहीं
2.	अलेखित प्लेट	175.00	कुछ नहीं
3.	गैल्वेनाइज्ड प्लेट और शीट, सभी प्रकार की, सादा और नालीदार सम्मिलित है .	425.00	कुछ नहीं
4.	पर्फेटम—		
	(क) मोटाई में 5 मि० मी० से अनधिक .	225.00	कुछ नहीं
	(ख) मोटाई में 5 मि० मी० से अधिक किन्तु 10 मि० मी० से अनधिक .	175.00	यदि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के कलक्टर का यह समाधान हो जाये कि ऐसे पर्फेटम का प्रयोग पाइप और ट्यूबों के विनिर्माण में आशियत नहीं है।

1	2		
	(ग) मोटाई में 10 मि० मी० से अधिक	165.00	कुछ नहीं
5.	स्क्रैप . . .	325.00	कुछ नहीं
6.	पत्री--		
	(क) मोटाई में 5 मि० मी० से अन्यून किन्तु 10 मि० मी० से अनधिक और चौड़ाई कम से कम 600 मि० मी० वाली लोहे और इस्पात की पत्तियां .	175.00	कुछ नहीं
	(ख) अन्य कोल्ड रोल्ड पत्तियां .	325.00	कुछ नहीं
	(ग) अन्य हाट रोल्ड पत्तियां . .	225.00	कुछ नहीं
7.	सीवनहीन पाइप और ट्यूब . .	175.00	कुछ नहीं

परन्तु यह कि--

(क) उपर्युक्त सारणी में वर्णित उत्पादनों की बाबत, जो विद्युत भट्टी की सहायता से, निम्नलिखित सामग्रियों में से किसी एक से विनिर्मित हैं, अर्थात् :—

(i) पुराना लोहा व इस्पात पिघलन रद्दी ;

(ii) उपर्युक्त (i) में निर्दिष्ट सामग्री के नये अप्रयुक्त इस्पात पिघलन रद्दी के सम्मिश्रण से, जिस पर समुचित उत्पाद-शुल्क पहले ही दे दिया गया है; और

(iii) किसी कच्चे रूप में लोहा जो उक्त प्रथम अनुसूची की मद सं० 25 के अन्तर्गत आता है और जिस पर समुचित उत्पाद-शुल्क दे दिया गया है, के उपर्युक्त (i) और (ii) में निर्दिष्ट सामग्री के सम्मिश्रण से,

उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि के सामने विनिर्दिष्ट शुल्क पचास रुपये प्रति मैट्रिक टन कम कर दिया जाएगा ।

(ख) जहां उपर्युक्त सारणी में उल्लिखित उत्पाद ऐसे इस्पात सिल्लियों या तैयारवत् इस्पात, यथास्थिति, से बने हैं, जिस पर समुचित उत्पाद शुल्क पहले ही दे दिया गया है, उस के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शुल्क पहले से ही दिये गये उत्पाद-शुल्क की राशि के बराबर, ऐसे इस्पात सिल्लियों और तैयारवत् इस्पात जो ऐसे उत्पादन के विनिर्माण में प्रयुक्त होता है, पर कम कर दिया जाएगा ।

[सं० 68/73]

G.S.R. 132(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts iron or steel products falling under sub-item (iv) of Item No. 26AA of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and specified in column (2) of the Table hereto annexed, from the whole of the duty of excise leviable thereon subject to the conditions laid down in the corresponding entries in column (3) thereof.

THE TABLE

S.No.	Description	Conditions
1	2	3
1	Iron pipes, cast or spun . . .	If made from iron in any crude form falling under Item No. 25 of the said First Schedule on which the appropriate duty of excise has already been paid.
2	Steel pipes and tubes other than seamless pipes and tubes.	If made from plates, sheets, strips, skelp hoops or flats not exceeding 5 mm, in thickness, on which the duty of excise at the appropriate rate has already been paid.

[No. 69/73]

सा०का०नि० 132(अ)—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा लोहा और इस्पात उत्पाद जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 26कक की उप-मद (iv) के अन्तर्गत आती हैं और इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट हैं, उसके स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टियों में अधिकथित शर्तों के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से, छूट देती है ।

सारणी

क्र०सं०	वर्णन	शर्तें
1	2	3
1	लोहे का पाइप, ढले या बटें	यदि किसी भी ऐसे कच्चे रूप में लोहे से बने हैं जिस पर उक्त अनुसूची की मद सं० 25 के अधीन समुचित उत्पाद-शुल्क पहले ही दे दिया गया है ।

1	3
2 इस्पात पाइप और ट्यूब्स, सीवनहीन पाइप और ट्यूबों से भिन्न	यदि प्लेट्स, शीट्स, स्कैल्प, हूप्स या फ्लेट्स, जो मोटाई में 6 मि० मी० से अनधिक है, से बने हैं जिन पर उत्पाद-शुल्क समुचित दर पर पहले ही दे दिया गया है ।

[सं 69/73]

G.S.R.133(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts forms made from plates or sheets of iron or steel and falling under sub-item (*ii*) of Item 26AA of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and of the description specified in column (2) of the Table hereto annexed from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of the amount specified in the corresponding entries in column (3) of the said Table.

THE TABLE

S.No.	Description	Duty
1	2	3
		Rupees per metric tonne
1	Galvanised forms, the following namely :— ridges, ribs, channels, channel pipes, rain water pipes and fittings therefor, if rivetted or otherwise built up of plates or sheets—	
	(*a*) if made from plates or sheets on which the appropriate duty of excise has not been paid.	425·00
	(*b*) if made from galvanised plates or sheets on which the appropriate duty of excise has already been paid.	NIL
2	Others—if made from plates or sheets, whether galvanised or not, on which the appropriate duty of excise has already been paid.	NIL

Provided that the duty specified against S. No. 1(*a*) of the aforesaid Table shall be reduced by the amount equivalent to the duty of excise or the additional duty under section 2A of the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), as the case may be, already paid on plates or sheets (other than galvanised plates or sheets) so used in the manufacture thereof.

[No. 70/73]

मा०का०नि० 133(अ) —केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा लोहे या इस्पात के प्लेट्स या शीट्स से बने रूप को और जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 26कक की उप-मद (ii) के अन्तर्गत आते है और इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वर्णन के हैं, उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद शुल्क से जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि से अधिक है, छूट देती है ।

सारणी

क्र०सं०	वर्णन	शुल्क
2	2	3
		रुपये प्रति मैट्रिक टन
1	गल्बैनाइज्ड रूप निम्नलिखित, अर्थात् :—	
	रिजज, रिब्ज, चैनल्स, चेनल पाइप्स, बरसाती पानी नल और उनके फिटिंग्ज, यदि रिबेट किये गये हों या अन्यथा, जो प्लेट्स और शीट्स के बने हों, —	
	(क) यदि ऐसी प्लेट्स या शीट्स के जिन पर समुचित उत्पाद-शुल्क नही दिया गया हो,	425.00
	(ख) यदि गल्बैनाइज्ड प्लेट्स या शीट्स से बने हों जिन पर समुचित उत्पाद-शुल्क पहले ही दे दिया गया है	कुछ नहीं
2.	अन्य—यदि प्लेट्स और शीट्स, भले ही गल्बैनाइज्ड हो या न हो, जिस पर समुचित उत्पाद-शुल्क पहले ही दे दिया गया है, से बने हों ।	कुछ नहीं

परन्तु यह कि उपर्युक्त सारणी के क्रम सं० 1(क) के सामने विनिर्दिष्ट शुल्क यथा-स्थिति, उत्पाद-शुल्क या भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की धारा 2क के अधीन प्लेट्स या शीट्स (गल्बैनाइज्ड प्लेट्स या शीट्स से भिन्न) जो उन के विनिर्माण में प्रयुक्त हुई हैं, पर पहले से ही दी गई राशि के बराबर कम कर दी जाएगी ।

[सं० 70/73]

G.S.R.134(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts tin plate and tinned sheets including tinned taggers and cuttings of such plates, sheets, or taggers falling under Item No. 28 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of five hundred and twenty rupees per metric tonne.

[No. 71/73]

सा०का०नि० 134 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा टिनप्लेट्स और टिन विलेषित शीट्स जिनमें टिन्ड टैगर और ऐसी प्लेटों, शीटों या टैग्गरों की कतरनें भी सम्मिलित हैं जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 28 के अंतर्गत आती हैं, उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से जितना प्रति मैट्रिक टन 520 रुपये से अधिक है, छूट देती है ।

[सं० 71/73]

G.S.R.135(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby directs that in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 132/68-Central excises dated the 13th June, 1968 for the words "forty-per cent *ad valorem*", the words "sixty per cent. *ad valorem*" shall be substituted.

[No. 71A/73]

सा०का०नि० 134(अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम, (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 132/68—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 14 जून, 1968 में "चालीस प्रतिशत मूल्यानुसार "शब्दों के स्थान पर "साठ प्रतिशत मूल्यानुसार" शब्द रखे जाएंगे ।

[सं० 71क/73]

G.S.R.136(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (2) and (3) of section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 183 72-Central Excises, dated the 12th August, 1972, namely:—

For the existing second proviso in the said notification, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided further that nothing contained in this notification shall apply to the following, namely :—

(a) variable speed motors;

(b) dual speed or multi-speed motors; and

(c) traction motors,

whatever may be their ampereage and voltage or voltage and horsepower and

(d) electric motors designed to work at a pressure not exceeding 50 volts."

[No. 72/73]

सा०का०नि० 136 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 की उपधारा (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 183/ 72—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 12 अगस्त, 1972 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्.—

उक्त अधिसूचना में वर्तमान द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और कि इस अधिसूचना में की कोई बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी, अर्थात्:—

(क) परिवर्ती गति मीटर ;

(ख) दोहरी गति या बहुगति मीटर; और

(ग) ट्रैक्शन मीटर,

उनकी एम्परेज और वोल्टता या वोल्टता और अश्व-शक्ति, कुछ भी हो ; और

(घ) 50 वोल्ट के अनधिक दाब पर कार्य करने के लिए निर्मित विद्युत मीटर ।"

[सं० 72/73]

G.S.R. 137(E).--In exercise of the powers conferred by sub rul (1) of rule(8)of the central Excise Rules 1944, the Central Government hereby exempts filter elements, inserts and cartridges (hereinafter in this notification referred to as "filters") falling under Item No. 34 A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), up to a value not exceeding rupees one lakh, cleared for home consumption, on or after the first day of April in any financial year by or on behalf of a manufacturer from one or more factories, from the whole of the duty of excise leviable thereon:

Provided that—

(i) this exemption shall not apply to any such filters manufactured by a manufacturer, if the total value of such filters so cleared by such manufacturer during such financial year exceeds rupees two lakhs;

(ii) where a factory producing the said filters is run at different times of any financial year by different manufacturers, the value of the said filters so cleared in any such year at nil rate of duty shall not exceed rupees one lakh;

(iii) in the case of such filters manufactured by a manufacturer the value of which so cleared during such financial year exceeds rupees one lakh but does not exceed rupees two lakhs, this exemption shall apply only to the first clearances thereof upto a value not exceeding rupees one lakh.

Provided further that—

(i) a manufacturer shall be permitted to clear for home consumption during the period, commencing on the 1st March, 1973 and ending with the 31st March, 1973, filters up to a value not exceeding ten thousand rupees subject to the condition that the value of the said filters cleared for home consumption, by or on behalf of sch manufactuer from one or more factories during the financial year 1972-73 does not exceed rupees two lakhs;

(ii) if a manufactures other parts of motor Vehicles, namely, brakelinings Rly—clutch-facings, engine valves, gaskets, nozzles and nozzleholders, pistons, piston rings, shock aborbers, thin-walled bearings, tie-rod ends and electric horns falling under Item No. 34A of the aforesaid Schedule, the total value of the clearances of all these aforesaid parts including filters at nil rate of duty shall not exceed rupees one lakh during such financial year.

(iii) nothing contained in this notification shall apply to manufacturers of the said parts who avail exemption under the notification of the Government of India in the Ministry o Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 101/71-Central Excises, dated the 29th May, 1971 or 153/71-Central Excises, dated the 26th July, 1971.

[No. 73/73]

सा० का० नि० 137 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 34क के अन्तर्गत आने वाले एक लाख रुपये से अनधिक के मूल्य के फिल्टर एलिमेन्ट्स, इन्सर्ट्स और कार्टिरिजेज (जिन्हें इस अधिसूचना में इसके पश्चात् "फिल्टर" कहा गया है) को जिनकी निकासी एक या अधिक कारखानों से किसी विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से किसी वित्तीय वर्ष में, अप्रैल के प्रथम दिन को या उसके पश्चात् गृह उपभोग के लिए की गई है, उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से, छूट देती है :

परन्तु यह कि—

(i) यह छूट विनिर्माता द्वारा विनिर्मित ऐसे फिल्टरों पर लागू नहीं होगी यदि ऐसे वित्तीय वर्ष में उस विनिर्माता द्वारा इस प्रकार निकासी किये गये ऐसे फिल्टरों का कुल मूल्य दो लाख रुपये से अधिक हो ;

(ii) जहां कि उक्त फिल्टरों का उत्पादन करने वाला कोई कारखाना किसी वित्तीय वर्ष के विभिन्न समयों पर विभिन्न विनिर्माताओं द्वारा चलाया जाता हो, वहां ऐसे किसी वित्तीय वर्ष में शुल्क की शून्य दर से इस प्रकार निकासी किये गये उक्त फिल्टरों का मूल्य एक लाख रुपये से अधिक न होगा;

(iii) किसी विनिर्माता द्वारा विनिर्मित ऐसे फिल्टरों की दशा में जिनका ऐसे वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रकार निकासी किया गया मूल्य एक लाख रुपये से अधिक हो किन्तु दो लाख से अधिक न हो यह छूट एक लाख रुपये से अनधिक के मूल्य की उसकी प्रथम निकासियों को ही लागू होगी।

परन्तु यह और भी कि—

(i) विनिर्माता को 1 मार्च, 1973 से प्रारम्भ होने वाली और 31 मार्च 1973 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान गृह उपभोग के लिए दस हजार रुपये से अनधिक मूल्य के फिल्टरों को इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए निकासी करने की अनुज्ञा होगी कि वित्तीय वर्ष 1972–73 के दौरान एक या अधिक कारखानों से ऐसे विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से गृह उपभोग के लिए निकासी किये गये उक्त फिल्टरों का मूल्य दो लाख रुपये से अधिक न हो ;

(ii) यदि कोई विनिर्माता पूर्वोक्त अनुसूची की मद सं० 34क के अन्तर्गत आने वाले मोटर यान के अन्य पुर्जों अर्थात् ब्रेक लाइनिंग क्लच फेसिंग, इंजिन बाल्व, गास्केट, नाजल और नाजल होल्डर, पिस्टन, पिस्टन रिंग, शाक अबसोर्बर, थिन वाल्ड बेयरिंग, टाइराड एन्डस, और बिजली के हार्न विनिर्मित करता है तो इन सभी पूर्वोक्त पुर्जों का जिन के अन्तर्गत फिल्टर भी हैं शुल्क की शून्य दर से निकासी किया गया कुछ मूल्य ऐसे वित्तीय वर्ष के दौरान एक लाख रुपये से अधिक नहीं होगा;

(iii) इस अधिसूचना की कोई भी बात उक्त पुर्जों के उन विनिर्माताओं को लागू नहीं होगी जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 101/71—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 29 मई, 1971 या 153/73—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 26 जुलाई, 1971 के अधीन छूट का फायदा उठाते।

[सं० 73/73]

G.S.R.139(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts gramophone records falling under Item No. 37A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and of the description specified in column (2) of the Table hereto annexed, from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty specified in the corresponding entry in column (3) thereof:

THE TABLE

S. No.	Description	Duty
1	2	3
1.	Gramophone records commonly known as "L. P." or long playing records.	Ten per cent. *ad valorem.*
2.	Other gramophone records.	Nil.

[No. 74/73]

सा० का० नि० 138(अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा ग्रामोफोन रिकार्ड्स, जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 37क के अन्तर्गत आते हैं और इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वर्णन के हैं, उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से जितना उसके स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट से अधिक है, छूट दे देती।

सारणी

क्रम सं०	वर्णन	शुल्क
1	2	3
1.	सामान्यतः "एल० पी०" या "लौंग प्लेइंग रिकार्ड्स के नाम से जानने वाले ग्रामोफोन रिकार्ड्स	10 प्रति शत मूल्यानुसार
2.	अन्य ग्रामोफोन रिकार्ड्स	कुछ नहीं

[सं० 74/73]

G.S.R. 139(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Goverment hereby exempts wire ropes falling under Item No. 63 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) from the whole of the duty of excise leviable thereon, if such wire ropes are intented to be used in the further manufacture of wire ropes falling under the aforesaid item on which the whole of the duty of excise is liveble:

Provided that where such use is elsewhere than in the factory of production, the exemption contained in this notification shall be allowable only if the procedure laid down in rule 56A of the said Rules is followed.

[No. 75/73]

सा० का० नि० 139(अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा तार के रस्से जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 63 के अन्तर्गत आते हैं, उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है यदि ऐसे तार रस्सों का उपर्युक्त मद के अन्तर्गत आने वाले तार रस्सों का फिर से उत्पादन में प्रयुक्त किया जाना आशयित है, जिन पर समस्त उत्पाद-शुल्क उद्ग्रहणीय है :

परन्तु जहां ऐसा उपयोग उत्पादन के कारखाने में से अन्यत्र किया जाता है वहां इस अधिसूचना में की छूट केवल तभी अनुज्ञेय होगी जब उक्त नियमों के नियम 56क में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण किया गया हो।

[सं० 75/73]

G.S.R. 140(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules,1944, the Central Government hereby exempts carbon black falling under Item No. 64 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), up to a value not exceeding rupees one lakh, cleared for home consumption on or after the 1st day of April in any financial year by or on behalf of a manufacturer from one or more factories, from the whole of the duty of excise leviable thereon:

Provided that —

(i) this exemption shall not apply to any such carbon black manufactured by a manufacturer if the total value of such carbon black so cleared by such manufacturer during such financial year exceeds rupees two lakhs;

(ii) where carbon black is produced in any factory and such factory is run at different times in any financial year by different manufacturers, the value of such carbon black so cleared from such factory in any such year at nil rate of duty shall not exceed rupees one lakh ;

(iii) in the case of such carbon black manufactured by a manufacturer the value of which so cleared during such financial year exceeds rupees one lakh but does not exceed rupees two lakhs, this exemption shall apply only to the first clearences thereof upto a value not exceeding rupees one lakh :

Provided further that a manufacturer shall be permitted to clear for home consumption during the period commencing on the 1st March, 1973 and ending on the 31st March, 1973, such carbon black upto a value not exceeding ten thousand rupees subject to the condition that the value of such carbon black cleared for home consumption by or on behalf of such manufacturer from one or more factories during that period does not exceed twenty thousand rupees.

[No. 76/73]

सा० का० नि० 140(अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 64 के अन्तर्गत आने वाले एक लाख रुपये से अनधिक मूल्य के कार्बन ब्लैक को जिनकी भारत निकासी एक या अधिक कारखाने से किसी विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से किसी वित्तीय वर्ष में अप्रैल के प्रथम दिन को या उसके पश्चात् गृह उपभोग के लिए की गई हो उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है :

परन्तु यह कि —

(i) यह छूट किसी विनिर्माता द्वारा विनिर्मित ऐसे किन्हीं कार्बन ब्लैक को लागू नहीं होगी यदि ऐसे वित्तीय वर्ष में उस विनिर्माता द्वारा इस प्रकार निकासी किये गए ऐसे कार्बन ब्लैक का कुल मूल्य दो लाख रुपये से अधिक हो ;

(ii) जहां कार्बन ब्लैक का उत्पादन करने वाला कोई कारखाना किसी वित्तीय वर्ष के विभिन्न समयों पर विभिन्न विनिर्माताओं द्वारा चलाया जाता हो वहां ऐसे कारखाने से और ऐसे किसी वर्ष में शुल्क की शून्य दर से इस प्रकार निकासी किए गए ऐसे कार्बन ब्लैक का मूल्य एक लाख रुपये से अधिक न होगा ;

(iii) किसी विनिर्माता द्वारा विनिर्मित ऐसे कार्बन ब्लैक की दशा में न जिनका ऐसे वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रकार निकासी किया गया मूल्य एक लाख रुपये से अधिक हो किन्तु दो लाख रुपए से अधिक न हो यह छूट एक लाख रुपए से अनधिक के मूल्य की उसकी प्रथम निकासियों को ही लागू होगी :

परन्तु यह और भी कि विनिर्माता को 1 मार्च, 1973 से प्रारम्भ होने वाली और 31 मार्च, 1973 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान गृह उपभोग के लिए दस हजार रुपये से अनधिक मूल्य के कार्बन ब्लैक को इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि निकासी करने की अनुज्ञा

होगी कि उस अवधि के दौरान एक या अधिक कारखानों से ऐसे विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से गृह उपभोग के लिए निकासी किए गए कार्बन ब्लैक का मूल्य बीस हजार रुपये से अधिक न हो ।

[सं० 76/73]

G.S.R. 141(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts inorganic accelerators falling under Item No. 65 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon.

Explanation.—For the purpose of this notification the term "inorganic accelerators" shall mean accelerators which are inorganic compounds, such as Zinc Oxide, Magnesium Oxide and litharge.

[77/73.]

सा०का०नि० 141(अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा इनआर्गेनिक एक्सलरेटर्स जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 65 के अन्तगत आते है उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है ।

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ "इनआर्गेनिक एक्सलरेटर्स" शब्द से जिन्क आक्साइड मग्नेसियम आक्साइड और लिथेरेज जैसे इन आर्गेनिक कम्पाउण्ड वाले एक्सलरेटर्स अभिप्रेत हैं ।

[सं० 77/73]

G.S.R. 142(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts accelerators and antioxidants falling under Item No. 65 of the First Schedule to the Central excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and consumed within the factory in which they are produced, for further manufacture of any other kind or variety of accelerators or antioxidants, as the case may be, and falling under the said Item of the said Schedule, from the whole of the duty of excise leviable thereon :

Provided that where such consumption is elsewhere than in the factory of production, the exemption contained in this notification shall be allowable only if the procedure laid down in rule 56A of the said rules is followed.

[No. 78/73]

सा०का०नि० 142 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा एक्सलेरेटर्स और एन्टी-आक्सीडेन्ट्स, जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 65 के अन्तर्गत आते हैं और जिन का उपभोग उनके उत्पादन वाले कारखाने के भीतर ही, यथास्थिति, किसी अन्य प्रकार के एक्सलेरेटर्स और एन्टीआक्सीडेन्ट्स के विनिर्माण

में किया जाता है और जो उक्त अनुसूची की उक्त मद के अन्तर्गत आते हैं, उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है

परन्तु जहां ऐसा उपभोग उत्पादन के कारखाने में से अन्यत्र किया जाता है, वहां इस अधिसूचना में दी गई छूट तभी अनुज्ञेय होगी जब उक्त नियमों के नियम 56क में अधिकथित प्रक्रिया को अनुसरण किया गया हो ।

[सं० 78/73]

G.S.R. 143(E).—In exercise of the powers conferred by rule 12 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 197/62-Central Excises, dated the 17th November, 1962, namely :—

In the Table annexed to the said notification,—

(1) in column (2), against serial No. 1,—

(*i*) for the entry "Caustic Soda, whether in a solid form or in lye", the followng entry shall be substituted, namely :—

" Caustic Soda and Caustic Potash, whether in a solid form or in lye".

(*ii*) for the entry " Cosmetics and Toilet preparations not containing any Alcohol or opium, Indian Hemp or Other Narcotic drugs or Narcotics, namely, preparations for the care of the skin and preparations for the care of the hair", the following entry shall be substituted, namely :—

" Cosmetics and Toilet preparations falling under Item No. 14F of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944)".

(*iii*) the following entries shall be added at the end, namely :—

" Tool tips in any form or size, unmounted, of sintered carbides of metals.

Wire ropes of iron or steel.

Carbon black (including lamp black and acetylene black).

Rubber processing chemicals falling under Item No. 65 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) ".

(2) in column (2), against Serial No. 3, for the word " cigarettes ", the words " cigarettes and smoking mixtures for pipes and cigarettes" shall be substituted.

[No. 79/73]

सा०का०नि० 143 (अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 197/62—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 नवम्बर, 1962 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में,—

(1) स्तम्भ (2) में, क्रम सं० 1 के सामने,—

(i) "कौस्टिक सोडा, भले ही ठोस रूप में हो या लाई में" प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"कौस्टिक सोडा और कौस्टिक पोटाश, भले ही ठोस रूप में या लाई में"

(ii) "शृंगार और प्रसाधन निर्मितियां जिन में कोई अलकोहल या अफीम, भांग या अन्य संवेदमंदक औषधियां या संवेदनमंदक न हों, अर्थात् त्वचा की संभाल के लिए निर्मितियां और केश की संभाल के लिए निर्मितियां" प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"शृंगार और प्रसाधन निर्मितियां जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 14च के अन्तर्गत आती हैं" ।

(iii) निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्त में जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :—

"बिना मढ़े औजार सिरा, किसी भी रूप में या आकार में जो सिन्टर्ड कार्बाइड धातु के हों ।

लोहा या इस्पात के तार रस्से ।

कार्बन ब्लैक (जिसमें लैम्प ब्लैक और एसिटिलीन ब्लैक सम्मिलित है)

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 65 के अन्तर्गत आने वाले रबड़ प्रसंस्करण रसायन"

(2) स्तम्भ (2) में क्रम सं० 3 के सामने "सिगरेट्स" शब्द के स्थान पर "सिगरेट्स और और पाइप तथा सिगरेट्स के लिए धूम्रपान मिश्रण" शब्द रखे जाएंगे ।

[सं० 79/73]

G.S.R. 144(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 56A of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 223/62-Central Excises, dated the 29th December, 1962, namely :—

In the said notification, after Item No. 37, the following items shall be inserted, namely :—

"38. Wire ropes of iron or steel.

39. Rubber processing chemicals, namely (*i*) accelerators and (*ii*) antioxidants ".

[No. 80/73]

सा०का०नि० 144(अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 56क के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के वित्त

मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 223/ 62—केन्द्रीय उत्पादशुल्क, तारीख 29 दिसम्बर, 1962, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, मद सं० 37 के पश्चात् निम्नलिखित मद अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"38. लोहा या इस्पात के तार रस्से ।

39. रबड़ प्रसंस्करण रसायन, अर्थात्, (i) एक्सलेरेटर्स और (ii) एन्टीआक्सीडेन्ट्स।"

[सं० 80/73]

G.S.R.145(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-clause 5 of clause 28 of the Finance Bill, 1973, which clause has by virtue of the declaration under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931) the force of law, the Central Government hereby exempts all the items falling in the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) (hereinafter called the Central Excises Act), other than those specified in column (2) of the Table hereto annexed and of the description mentioned in column (3) thereof, from the whole of the auxiliary duty of excise leviable hereon under sub-clause 1 of clause 28 of the Finance Bill, 1973.

THE TABLE

Sl. No.	Item No. of the First Schedule to the Central Excises Act.	Description
1	2	3
1	18D	Jute twist, yarn, thread, rope and twine, all sorts.
2	22A(2)	Jute manufactures (including manufactures of Bimlipatam jute or of mesta fibre), all sorts, other than hessions.
3	26	Steel ingots including steel melting scrap.
4	26A	Copper and copper alloys containing not less than fifty per cent., by weight of copper.
5	26AA	Iron or steel products.
6	26B	Zinc.
7	27	Aluminium
8	28	Tin plate and tinned sheets including tin taggers, and cuttings of such plates, sheets or taggers.

[No. 81/73]

सा०का०नि० 145(अ).—वित्त विधेयक आज, 1973 के खण्ड 28 के उपखण्ड 5, जो खण्ड करों का अन्तिम संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) (जिसे इसके पश्चात् केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम कहा गया है) की प्रथम अनुसूची में के अन्तर्गत आने वाले सभी मदों, इसमें उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट और उस के स्तम्भ (3) में उल्लिखित वर्णन वाली को छोड़कर, वित्त विधेयक 1973 के खण्ड 28 के उपप्रारम्भ खण्ड (1) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त सहायिकी उत्पाद-शुल्क से छूट देती है ।

सारणी

क्रम सं०	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद सं०	वर्णन
1	2	3
1	18घ	जूट ट्विस्ट, धागा, सूत, रस्से और ट्वाइन, सभी प्रकार के
2	22क(2)	जूट विनिर्मितियां (जिनके अन्तर्गत बीमलीपट्टम जूट या मेस्ता फाइबर भी है) सभी प्रकार की, हैसियन से भिन्न ।
3	26	इस्पात सिल्लियां जिनके अन्तर्गत गलाई जा सकने वाली इस्पात की रद्दी भी है
4	26क	तांबा और तांबे के धातु-मिश्रण जिनमें तांबा, भार से, पचास प्रतिशत से कम न हो ।
5	26कक	लोहा और इस्पात उत्पाद
6	26ख	जस्ता ।
7	27	एल्युमिनियम ।
8	28	टिन प्लेटें और टिन-विलेपित आरजशीटें, जिनके अन्तर्गत टिनटैगर, और ऐसी प्लेटों, शीटों या टैगरों की करतनें भी हैं ।

[सं०81/73]

G.S.R.146(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-clause 5 of clause 28 of the Finance Bill, 1973, which clause has, by virtue of a declaration made under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law and the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 81/73-Central Excises, dated the 1st March, 1973, the Central Government hereby exempts the excisable goods specified in column (3) of the Table hereto annexed and falling under the Items, specified in column (2) of the said Table, of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), (hereinafter called the Central Excises Act), from so much of the auxiliary duty of excise leviable thereon under sub-clause 1 of clause 28 aforesaid, as is in excess of the duty specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table.

THE TABLE

Sl. No.	Item No. in the First Schedule to the Central Excises Act	Description	Duty as percentage of duty leviable under the Central excises Act, read with any notification for the time being in force issued under the said Act or the rules made there under.
1	2	3	4
1	18D	Jute twist, yarn, thread, rope and twine, all sorts	Fifty
2	22A (2)	Jute manufactures (including manufactures of Bimlipatam jute or of mesta fibre), all sorts, other than hessians.	Fifty
3	26	Steel ingots including steel melting scrap	Seventy-five
4	26A	Copper and copper alloys containing not less than fifty percent by weight of copper.	Seventy-five
5	26AA	Iron or steel products [other than skelp falling under sub-item (*iii*) of Item No. 26AA].	Seventy-five
6	26AA(*iii*)	Skelp	Fifty
7	26B	Zinc	Seventy-five
8	27	Aluminium	Thirty-three and onethird.
9	28	Tin plate and tinned sheets including tin taggers and cuttings of such plates, sheets or taggers.	Fifty

Provided that where in respect of such goods manufactured (hereinafter called " finished products") out of other excisable goods (hereinafter called "inter mediate products") on which the regulatory duty of excise leviable under sub-section (1) of section 65 of the Finance Act, 1972 (16 of 1972) has already been paid, the duty calculated at the percentages specified in column (4) of the said Table in respect of such finished products shall be further reduced by an amount as is equivalent to the regulatory duty of excise already paid on the intermediate products.

Provided further that the duty calculated at the percentages specified in column (4)of the said Table read with the first proviso shall not in any case exceed 20 per cent of the value of such goods as determined in accordance with the provisions of section 4 of the Central Excises Act.

[No.82/73]

सा० का० नि० 146 (अ).—वित्त विधेयक 1973 के खण्ड 28 के उपखण्ड (5) जो खण्ड, करों के अनंतिम संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 81/73–केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1973 के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट उत्पाद-शुल्क योग्य माल को जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) (जिससे इसके पश्चात् केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम कहा गया है) की प्रथम अनुसूची की मद के अन्तर्गत आते हैं उन पर उद्ग्रहणीय उपर्युक्त खण्ड 28 के उपखण्ड (1) के अधीन उद्ग्रहणीय उतने सहायिकी उत्पाद-शुल्क से जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक है, छूट देती है।

सारणी

क्र० सं०	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की प्रथम अनुसूची की मद सं०	वर्णन	तत्समय प्रवृत्त किसी अधिसूचना, जो उक्त अधिनियम के अधीन जारी की गई हो या उसके अधीन बनाये गये नियमों के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय शुल्क की प्रतिशत के रूप में शुल्क
1	2	3	4
1.	18(घ)	जूट ट्विस्ट धागा, सूत रस्से और ट्वाइन सभी प्रकार के,	पचास
2.	22क(2)	जूट विनिर्मितियां (जिनके अन्तर्गत बीमली-पट्टम जूट या मेस्ता फाइबर भी हैं), सभी प्रकार की, हैसियन से भिन्न	पचास

1	2	3	4
3.	26	इस्पात की मिल्लियां जिनके अन्तर्गत गलाई जा सकने वाली इस्पात की रद्दी भी है	पचहत्तर
4.	26क	तांबा और तांबे के धातु-मिश्रण जिन में तांबा, भार से, पचास प्रतिशत से कम न हो	पचहत्तर
5	26कक	लोहा और इस्पात के उत्पाद (मद सं० 26कक की उप मद (iii) के अधीन स्कैल्प से भिन्न)	पचहत्तर
6.	26कक (iii)	स्कैल्प	पचास
7.	26ख	जस्ता	पचहत्तर
8.	27	एल्युमिनियम	तैंतीस और एक-तिहाई
9.	28	टिन प्लेटें और टिन-बिलेपित शीटें जिनके अन्तगत टिन-टैगर, और ऐसी प्लेटों, शीटों या टैगरों की कतरनें भी हैं	पचास

परन्तु यह कि ऐसे अन्य उत्पाद-शुल्क योग्य माल (इसके पश्चात "मध्यम उत्पाद" कहा गया है) से उत्पादित माल (जिसे "तैयार माल" कहा गया है) के सम्बन्ध में वित्त अधिनियम 1972 (1972 का 16) की धारा 65 की उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय विनियामक उत्पाद-शुल्क पहले ही दिया जा चुका है, उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट प्रतिशत पर परिकलित शुल्क, ऐसे तैयार माल की बाबत मध्यम उत्पाद पर पहले से ही दी गई विनियामक शुल्क की राशि के बराबर और कम कर दिया जाएगा।

परन्तु यह और कि प्रथम परन्तुक के साथ पठित उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट प्रतिशत पर परिकलित शुल्क किसी भी स्थिति में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 4 के उपबन्धों के अनुसार ऐसे माल की यथा अवधारित मूल्य के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

[सं० 82/73]

G.S.R. 147(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (*i*) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-clause 5 of clause 28 of the Finance Bill, 1973, which clause has, by virtue of a declaration made under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government hereby exempts excisable goods specified in the Table annexed to the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 81/73 Central Excises, dated the 1st March, 1973 and is respect of which goods a notification under sub-rule (*i*) of rule 8 of the aforesaid rules has been issued by the Central Government exempting them from so much of the duty of excise leviable thereon as is equivalent to the amount of duty of excise already paid on other excisable goods (hereinafter referred to as "the intermediate products") used in their manufacture and which are specified in the respective notifications, from so much of the auxiliary duty of excise leviable thereon as is equivalent to the auxiliary duty of excise already paid on the intermediate products specified in the respective notifications.

[No. 83/73]

सा० का० नि० 147 (अ).—वित्त विधेयक, 1973 के खण्ड 28 के उपखण्ड 5 के, जो खण्ड करों का अनन्तिम संग्रहण अधिनियम 1931 (1931 का 16) के अधीन की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 81/83–केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1973 से उपाबद्ध सारणी में विनिर्दिष्ट और उत्पाद-शुल्क योग्य माल को, जिस की बाबत पूर्वोक्त नियमों के नियम 8 के उपनियम (1) के अधीन एक अधिसूचना, उस माल को उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से, जितना उस माल के विनिर्माण में प्रयोग में लाए गए और सम्बद्ध अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अन्य उत्पाद-शुल्क योग्य माल पर (जिसे इस में इसके पश्चात् "मध्यम माल" कहा गया है,) दिये जा चुके उत्पाद-शुल्क की रकम के बराबर है, छूट देते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई है, उस पर उद्ग्रहणीय उतने सहायिकी उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना सम्बद्ध अधिसूचना में विनिर्दिष्ट मध्यम माल पर दिये जा चुके सहायिकी उत्पाद-शुल्क के बराबर है।

[सं 83/73]

G.S.R. 148(E).—In exercise of the powers conferred by rules 12, 12A and 191A of the Central Excise Rules, 1944 read with clause 28 of the Finance Bill, 1973, which clause has, by virtue of a declaration made under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government hereby directs that where any goods have been subjected to an auxiliary duty of excise under the aforesaid clause and where on the export of such goods to any country or territory outside India other than Nepal, Bhutan and Sikkim, the Central Government, by a notification under the said rules 12 and 12A or the Central Board of Excise and Customs, by a declaration under the said rule 191A, as the case may be, has permitted the rebate of excise duty paid on such goods under the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), a rebate of the auxiliary duty of excise shall also be made subject to the same conditions as govern the rebate of excise duty.

[No. 84/73]

सा० का० नि० 148 (अ).—वित्त विधेयक 1973 के खण्ड 28, जो खण्ड करों का अनन्तिम संग्रहण अधिनियम 1931 (1931 का 16) के अधीन की गई घोषणा के आधार पर विधि] को बल रखता है, के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 12 12क और 191 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि जहां किसी माल पर

उपर्युक्त खण्ड के अधीन सहायिकी उत्पाद-शुल्क लगाया जा चुका हो और जहा भारत से बाहर किसी देश या राज्यक्षेत्र को, नैपाल, भूटान और सिक्किम से भिन्न, ऐसे माल के निर्यात पर, यथा-स्थिति, उक्त नियम 12 और 12क के अधीन अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय सरकार या उक्त नियम 101, क के अधीन घोषणा द्वारा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड ने केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) के अधीन ऐसे माल पर संदत्त उत्पाद-शुल्क की रिबेट की अनुज्ञा दी हो, वहा सहायिकी उत्पाद-शुल्क मे रिबेट भी उन्हीं शर्तों के अधीन होगी जो उत्पाद-शुल्क की रिबेट को लागू होती है।

[स० 84/73]

G.S.R. 149(E).—In exercise of the powers conferred by rule 191-B of the Central Excise Rules 1944, read with clause 28 of the Finance Bill, 1973, which clause has, by virtue of a declaration made under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government hereby directs that where any goods are liable to auxiliary duty of excise under the aforesaid clause and where the Central Government has, by a notification issued under the said rule 191-B, permited the manufacture of specified articles in hand from specified excisable goods, manufacture of such articles in bond from such excisable goods shall also be permissible for the purposes of the aforesaid clause subject to the same conditions as govern such manufacture under the aforesaid rule 191-B.

[No. 85/73]

सा० का० नि० 149(अ)—वित्त विधेयक, 1973 के खण्ड 28 जो खण्ड करो का अनन्तिम संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 191—ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि जहां किसी माल पर उपर्युक्त खण्ड के अधीन साहायिकी उत्पाद-शुल्क लगाया गया हो और जहा केन्द्रीय सरकार ने उक्त नियम 101—ख के अधीन जारी की गई किसी अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट उत्पाद-शुल्क योग्य माल से बन्धपत्राधीन वस्तुओं के विनिर्माण की अनुज्ञा दी हो, वहां ऐसे उत्पाद-शुल्क-योग्य माल का उत्पादन उपर्युक्त खण्ड के प्रयोजन के लिए भी उपर्युक्त नियम 101—ख के अधीन ऐसे उत्पादन को लागू शर्तों के अधीन, अनुज्ञेय होगा।

[स० 85/73]

G.S.R. 150(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (*i*) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (4) of section 65 of the Finance Act, 1972 (16 of 1972) the Central Government hereby rescinds the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), namely:—

1. No. 144/72-Central Excises, dated the 28th May, 1972.
2. No. 145/72 Central Excises, dated the 28th May, 1972.
3. No. 146/72-Central Excises, dated the 28th May, 1972.
4. No. 147/72-Central Excises dated the 28th May, 1972.

[No. 86/73]

सा० का० नि० 150(अ).—वित्त अधिनियम 1972 (1972 का 16) की धारा 65 की उपधारा (4) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को विखंडित करती है, अर्थात् :—

1. सं० 144, 72—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 28 मई, 1972।
2. सं० 145, 72—केन्द्रीय उत्पादशुल्क, तारीख 28 मई, 1972।
3. सं० 146, 72—केन्द्रीय उत्पादशुल्क, तारीख 28 मई, 1972।
4. सं० 147, 72—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 28 मई, 1972।

[सं० 86/73]

G.S.R. 151 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby rescinds the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, Department of Revenue and Company Law, or, as the case may be, Department of Revenue and Insurance, namely:—

1. No. 14/57-Central Excises, dated the 23rd February, 1957.
2. No. 61/57-Central Excises, dated the 27th May, 1957.
3. No. 79/59-Central Excises, dated the 26th September, 1959.
4. No. 18/61-Central Excises, dated the Ist March, 1961.
5. No. 145/61-Central Excises, dated the Ist July, 1961.
6. No. 26/62-Central Excises, dated the 24th April, 1962.
7. No. 155/63-Central Excises, dated the 21st September, 1963.
8. No. 40/64-Central Excises, dated the Ist March, 1964.
9. No. 43/64-Central Excises, dated the Ist March, 1964.
10. No. 46/65-Central Excises, dated the 28th February, 1965.
11. No. 86/65-Central Excises, dated the Ist June, 1965.
12. No. 133/65-Central Excises, dated the 20th August, 1965.
13. No. 163/65-Central Excises, dated the Ist October, 1965.
14. No. 176/65-Central Excises, dated the 6th November, 1965.
15. No. 194/65-Central Excises, dated the 8th December, 1965.
16. No. 202/65-Central Excises, dated the 27th December, 1965.
17. No. 43/66-Central Excises, dated the 24th March, 1966.
18. No. 136/67-Central Excises, dated the 3rd July, 1967.
19. No. 244/67-Central Excises, dated the 4th November, 1967.
20. No. 72/69-Central Excises, dated the Ist March, 1969.
21. No. 73/69-Central Excises, dated the Ist March, 1969.
22. No. 129/69-Central Excises, dated the 29th April, 1969.
23. No. 165/70-Central Excises, dated the 5th September, 1970.
24. No. 143/71-Central Excises, dated the 26th July, 1971.
25. No. 15/72-Central Excises, dated the 24th January, 1972.
26. No. 33/72-Central Excises, dated the 17th March, 1972.
27. No. 43/72-Central Excises, dated the 17th March, 1972.
28. No. 48/72-Central Excises, dated the 17th March, 1972.
29. No. 51/72-Central Excises, dated the 17th March, 1972.
30. No. 66/72-Central Excises, dated the 17th March, 1972.
31. No. 71/72-Central Excises, dated the 17th March, 1972.
32. No. 72/72-Central Excises, dated the 17th March, 1972.

33. No. 81/72-Central Excises, dated the 17th March, 1972.
34. No. 180/72-Central Excises, dated the 29th July, 1972.
35. No. 207/72-Central Excises, dated the 6th October, 1972.

[No. 87/73]

सा०का०नि० 151(अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में, यथास्थिति, राजस्व विभाग, राजस्व और कंपनी विधि विभाग, या राजस्व और बीमा विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को विखंडित करती है, अर्थात् :—

1. सं० 14/57—केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क, तारीख 23 फरवरी, 1967।
2. सं० 61/57—केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क, तारीख 27 जुलाई, 1957।
3. सं० 79/59—केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क, तारीख 26 सितम्बर, 1959।
4. सं० 18/61—केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1961।
5. सं० 145/61—केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क, तारीख 1 जुलाई, 1961।
6. सं० 26/62—केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क, तारीख 24 अप्रैल, 1962।
7. सं० 155/63—केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क, तारीख 21 सितम्बर, 1963।
8. सं० 40/64—केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1964।
9. सं० 43/64—केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1964।
10. सं० 46/65—केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1965।
11. सं० 86/65—केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क, तारीख 1 जून, 1965।
12. सं० 133/65—केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क, तारीख 20 अगस्त, 1965।
13. सं० 163/65—केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क तारीख 1 अक्तूबर, 1965।
14. सं० 176/65—केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क, तारीख 6 नवम्बर, 1965।
15. सं० 194/65—केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क, तारीख 8 दिसम्बर, 1965।
16. सं० 202/65—केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क, तारीख 27 दिसम्बर, 1965।
17. सं० 53/66—केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क, तारीख 24 जुलाई, 1966।
18. सं० 136/67—केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क, तारीख 3 जुलाई, 1967।
19. सं० 244/67—केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क, तारीख 4 नवम्बर, 1967।
20. सं० 72/69—केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1969।
21. सं० 73/69—केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1969।
22. सं० 129/69—केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क, तारीख 29 अप्रैल, 1969।
23. सं० 165/70—केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क, तारीख 5 सितम्बर, 1970।
24. सं० 143/71—केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क, तारीख 26 जुलाई, 1971।
25. सं० 15/72—केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क, तारीख 24 जनवरी, 1972।
26. सं० 33/72—केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क तारीख 17 मार्च, 1972।

27. सं० 43 /72—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 1972।

28. सं० 48 /72—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 1972।

29. सं० 51-/72—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 1972।

30. सं० 66 / 72—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 1972 ।

31. सं० 71 / 72—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 1972।

32. सं० 72 / 72—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 1972।

33. सं० 81 / 72—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 1972।

34. सं० 180 /72—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 29 जुलाई, 1972।

35. सं० 207 /72—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 6 अक्तूबर, 1972।

[सं० 87 / 73]

G.S.R. 152(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby rescinds the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), namely :—

1. No. 136/69 Central Excises, dated the 8th May, 1969.

2. No. 34/72-Central Excises, dated the 17th March, 1972.

3. No. 178/72-Central Excises, dated the 24th July, 1972.

[No. 88/73]

R. JAYARAMAN, Under Secy.

सा०का०नि० 152(अ).—अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम 1957 (1957 की 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को विखंडित करती है, अर्थात् :—

1. सं० 136 /69—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 8 मई, 1969।

2. सं० 34 / 72—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 1972।

3. सं० 178 /72—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 24 जुलाई, 1972।

[सं० 88 /73]

आर० जयरामन, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973